VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

Classroom Study Material

May 2020 - May 2021

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

विषय सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....1
 - 1.1 आयुष्मान सहकार योजना (Ayushman Sahaka Scheme)....1
 - 1.2 हाल ही में आरंभ की गई अन्य पहलें (Other Recently Launched Initiative)....2

1.2 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)....2
 - * 1.2.1 प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM Kisan)....2
 - * 1.2.2 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOS)}....4
 - # 1.2.3 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana)....5
 - * 1.2.4 फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन योजना (हरित क्रांति का उप-घटक-कृषोन्नति योजना) {Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue (Sub-Component of Green Revolution-Krishonnati Yojana)}....7
 - * 1.2.5 राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agricultural Market: NAM)....8
 - # 1.2.6 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)...9

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)

2.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....10
 - 2.1.1 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)....10

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)

3.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....11
 - 3.1.1 औषध के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme For Pharmaceuticals)....11

3.2 पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/ Modified Schemes)....12
 - 3.2.1 महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषध सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical KSMs (Key Starting Materials)/ Drug Intermediates and APIs (Active Pharmaceutical Ingredients)}....12
 - 3.2.2 उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु) {Production Linked Incentive (PL) Scheme (for Promotion of Domestic Manufacturing of Medical Devices)....13

3.3 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)....13
 - * 3.3.1 यूरिया सब्सिडी (Urea Subsidy)....13
 - * 3.3.2 पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (Nutrient Based Subsidy Scheme)....14
 - * 3.3.3 सिटी कम्पोस्ट स्कीम (City Compost Scheme)....15
 - * 3.3.4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना (Scheme for Promotion of Medical Devices Park)....15
 - 3.3.5 प्लास्टिक पार्क योजना (Plastic Park Scheme)....16

© Vision IAS

विषय सूची

4. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)

4.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....17

* 4.1.1 उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय संपर्क योजना {Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/Regional Connectivity Scheme) RCS)}....17

4.1.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)....18

5. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce)

5.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....19

5.1.1 भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive scheme (PLI) for White Goods (air aonditioners and Led lights) Manufacturers in India}...19

* 5.1.2 स्टार्ट–अप इंडिया सीड फंड स्कीम (Start Up India Seed Fund Scheme)....19

5.2 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in news)....21

* 5.2.1 स्टार्ट–अप इंडिया (Startup India)....21

5.2.2 मेक इन इंडिया (Make in India)....22

* 5.2.3 निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)....23

5.2.4 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)......24

6. संचार मंत्रालय (Ministry of Communication)

6.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....25

6.1.1 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) scheme for Promoting Telecom & Networking Products}....25

6.2 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....26

6.2.1 भारत नेट परियोजना (Bharat Net Project).... 26

7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

7.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....27

7.1.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {National Food Security Act (NFSA), 2013}....27

7.1.2 एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card: ONORC)....28

7.1.3 अंत्योदय अन्न योजना {Antyodaya Anna Yojana (AAY)}....29

7.1.4 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS)....29

© Vision IAS

विषय सूची

8. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)

8.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....31

9. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

9.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....32

9.1.1 रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना {Defence Testing Infrastructure (DTI) Scheme}....32

9.2 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes In News)....32

9.2.1 वन रैंक वन पेंशन योजना (One Rank One Pension Scheme)....32

10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences)

10.1 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)....34

* 10.1.1 वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान–प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (Atmosphere and Climate Research – Modelling, Observing Systems and Services: ACROSS)....34

10.1.2 राष्ट्रीय मानसून मिशन (National Monsoon Mission)....34

10.1.3 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)..36

11. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)

11.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched schemes)....37

* 11.1.1 स्ट्रेंथनिंग टीचिंग–लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' परियोजना (स्टार्स) {Strengthening Teaching-Learning And Results For States Program (STARS)}....37

11.1.2 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)..37

11.2 पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)....38

* 11.2.1 प्रधान मंत्री शोध अध्येतावृत्ति योजना (Prime Minister's Research Fellowship: PMRF)....38

11.3 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes In News)....39

11.3.1 मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)....39

* 11.3.2 उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan: UBA)....40

11.3.3 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)....41

12. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology: MEITY)

12.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....42

12.1.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme)....42

विषय सूची

12.1.2 जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan)..................43
12.1.3 राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission: NSM)...............43
12.1.4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना (Software Technology Park Scheme).....44
12.1.5 इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS)............................45
12.1.6 व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing}...45
12.1.7 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)...46

13. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change).......................48

13.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....................................48

13.2 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News).......................................48

* 13.2.1 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan On Climate Change: NAPCC)..48
* 13.2.2 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP)..................49

14. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)

14.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes).....................................51

15. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

15.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....................................52

15.1.1 निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना {Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP)}..................52
15.1.2 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)..52

15.2 पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Modified or Restructured Schemes)..........................56

* 15.2.1 प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: PMVVY)...56
* 15.2.2 स्टैंड–अप इंडिया योजना (Stand up India scheme)..57
* 15.2.3 अवसंरचना व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण में सार्वजनिक–निजी भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता {Financial Support to Public Private Partnerships (PPP) in Infrastructure Viability Gap Funding (VGF)}..58
15.2.4 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)...59

15.3 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News).......................................59

* 15.3.1 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana)..59

विषय सूची

* 15.3.2 अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana: APY)....61
* 15.3.3 प्रधान मंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY)....62
* 15.3.4 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)....63

16. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)

16.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....65
16.1.1 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, चरण–2 {Nationwide Artificial Insemination Programme (NAIP) – Phase-II}....65

17. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries)

17.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....66
17.1.1 प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना {PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME) Scheme}....66
* 17.1.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)}....67

17.2 पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)....68
* 17.2.1 ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens)....68

17.3 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)....70
* 17.3.1 प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)....70

18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)

18.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....72
18.1.1 आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)....72
18.1.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)....73
18.1.3 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission)....74
18.1.4 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission)....75
18.1.5 जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)....75
18.1.6 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (Janani Shishu Suraksha Karyakram)....76
18.1.7 प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan)....76
18.1.8 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme: UIP)....76
18.1.9 मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush)....77

विषय सूची

19. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)

19.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....79

19.1.1 उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैट्री भंडारण कार्यक्रम" {Production Linked Incentive (PLI) Scheme 'National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage}....79

20. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

20.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....80

20.1.1 साक्षी संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme)....80

21. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs)

21.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....81

21.1.1 जल जीवन मिशन–शहरी {Jal Jeevan Mission (Urban) (JJM-U)}....81

21.1.2 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)....82

21.2 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)....82

*/# 21.2.1 प्रधान मंत्री आवास योजना– शहरी {Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) – Urban}....82

21.2.2 स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)..84

21.2.3 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) {Swachh Bharat Mission (URBAN)}....86

21.2.4. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)..88

22. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

22.1 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)....89

22.1.1 जल जीवन मिशन–ग्रामीण {Jal Jeevan Mission (JJM) – RURAL}....89

22.1.2 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण {Swachh Bharat Mission - Gramin (SBM-G)}....90

* 22.1.3 नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)....93

* 22.1.4 राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (National Hydrology Project: NHP)....95

* 22.1.5 बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project: DRIP)....96

23. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

23.1 हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)....98

* 23.1.1 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana: ABRY)....98

विषय सूची

23.2 पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)...........98

23.2.1 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana: ABVKY)...........98

23.3 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)...........99

* 23.3.1 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project Scheme)...........99

23.3.2 कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees' State Insurance Scheme)...........100

24. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)

24.1 पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)...........102

* 24.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme For MSMEs)...........102

24.2 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)...........103

24.2.1 शहद मिशन (Honey Mission)...........103

24.2.2 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)...........103

25. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

25.1 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)...........105

26. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)

26.1 पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)...........107

26.1.1 प्रधान मंत्री–किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम. – कुसुम) योजना {PM-Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyan (PM-KUSUM) Scheme}...107

26.2 सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)...........108

26.2.1 ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) {Grid Connected Rooftop Solar Programme (Phase-II)}...........108

26.2.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (Jawaharlal Nehru National Solar Mission: JNNSM)...........109

26.2.3 सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना (Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project)...........110

27. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchyati Raj)

27.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)...........112

* 27.1.1 स्वामित्व: ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (SVAMITVA: Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas)...........112

विषय सूची

28. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

28.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....114
28.1.1 जलमार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project: JMVP)....114

29. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport and Highways

29.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....115
29.1.1 भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana)

30. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

30.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....117
30.1.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005}....117
30.1.2 प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)}....118
30.1.3 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)....119
30.1.4 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DeenDayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana: DDU-GKY)....121
30.1.5. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan)....122

31. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)

31.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....123
31.1.1 इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (इंस्पायर योजना) {Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE)}....123
31.1.2 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)....124

32. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

32.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....127
32.1.1 प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना {Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)}....127
32.1.2 राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)....128

33. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

33.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....129
33.1.1 सुगम्य भारत अभियान {Sugamya Bharat Abhiyan/Accessible India Campaign (AIC)}....129

विषय सूची

34. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile)

34.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....130

* 34.1.1 एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Park: SITP)....130

35. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

35.1 सुर्खियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....131

* 35.1.1 तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन– प्रसाद योजना {(National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) PRASAD Scheme}....131

36. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

36.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....132

* 36.1.1 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School: EMRS)....132

36.1.2 प्रधान मंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana)....132

36.1.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र {Scheme for 'Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) Through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP}....133

36.1.4 विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)..134

37. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

37.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....135

37.1.1 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (Integrated Child Development Services: ICDS)....135

37.1.2 राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) {National Nutrition Mission (Poshan Abhiyaan)}....136

37.1.3 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao, Beti Padhao: BBBP)....137

38. नीति आयोग (Niti Ayog)

38.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....140

* 38.1.1 अटल नवप्रवर्तन मिशन (Atal Innovation Mission: AIM) 140

39. प्रधान मंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office: PMO)

39.1 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)....142

39.1.1 प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) (Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI) 142

नोट:

- पढ़ने में आसानी के लिए और अभ्यर्थियों को उनके समय का सर्वाधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सहायता करने के लिए, इस वर्ष हम सरकारी योजनाओं की पत्रिका के दो सेट जारी करेंगे।
  - **सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं (वर्ष 2021):** इसमें उन सभी योजनाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो विगत एक वर्ष के दौरान सुर्खियों में थीं।
  - **कॉम्प्रिहेंसिव सरकारी योजनाएं:** इसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। यह पत्रिका अगस्त 2021 में जारी की जाएगी।

- साथ ही, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लंबे समय तक याद रखने क्षमता को बढ़ाने के लिए, **सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं** पत्रिका को आगे निम्नलिखित तीन उप–श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - **हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं:** इस श्रेणी में वे योजनाएं शामिल हैं जो मई 2020 से मई 2021 के मध्य शुरू की गई थीं।
  - **पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं:** इस श्रेणी में हमने किसी योजना में हाल ही में हुए संशोधनों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है।
  - **सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं:** इस श्रेणी में उन मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है जो विविध कारणों, जैसे कि योजना का आकलन या निर्धारित अवधि पूर्ण करना आदि के चलते सुर्खियों में थीं। कोई योजना सुर्ख़ियों में क्यों थी, इसके कारण का अलग से उल्लेख किया गया है।

- **"*"** और **"#"** क्रमशः **केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं** और **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** को दर्शाते हैं। **"*/#"** इंगित करता है कि कुछ घटक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाएं** हैं, जबकि अन्य **केंद्र प्रायोजित** हैं।

- अभ्यर्थियों के हित में इस पत्रिका की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु हमने इसमें निम्नलिखित नए तत्वों को शामिल किया है:
  - अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
  - विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

1.1.1. आयुष्मान सहकार योजना (Ayushman Sahakar Scheme)

उद्देश्य	पात्रता	प्रमुख विशेषताएं

• सहकारी समितियों द्वारा अस्पतालों / स्वास्थ्य देखभाल / शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से **वहनीय और समग्र स्वास्थ्य देखभाल की प्रदायगी में सहायता** करना।
• सहकारी समितियों द्वारा **आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देने में सहायता** करना।
• **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति** के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहकारी समितियों की सहायता करना।
• सहकारी समितियों को **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** में भाग लेने में सहायता करना।
• सहकारी समितियों को **शिक्षा, सेवाओं, बीमा और उनसे संबंधित गतिविधियों सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा** प्रदान करने में सहायता करना।
	• देश में **किसी भी राज्य / बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति** जिसके उपनियमों में **अस्पताल / स्वास्थ्य / स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा से संबंधित गतिविधियां** संचालित करने के उपयुक्त प्रावधान हों, **वित्तीय सहायता के लिए पात्र** होगी, बशर्ते कि वह योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती हो।	• यह समग्र स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, शिक्षा और सेवाओं पर **सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता** प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** (National Cooperative Development Corporation: NCDC) की एक योजना है।
		  ○ NCDC की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी।
		  ○ **कार्य:**
		    ▪ NCDC राष्ट्रीय स्तर पर **सहकारी विकास कार्यक्रमों** की योजना, प्रचार, समन्वय और वित्त पोषण में संलग्न है।
		    ▪ यह किसानों की सहकारी संस्थाओं तथा **कृषि और संबद्ध ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में संलग्न अन्य कमजोर वर्गों** को **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता** प्रदान करती है।
		• **NCDC आयुष्मान सहकार निधि:** NCDC द्वारा आगामी वर्षों में भावी सहकारी समितियों हेतु सावधि ऋण (term loans) की राशि को 10,000 करोड़ रुपये तक विस्तारित किया जाएगा। इसमें आयुष और अन्य पारंपरिक पद्धतियों सहित चिकित्सा की किसी भी धारा में नए स्नातकों द्वारा गठित सहकारी समितियां भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रूपये का कर्ज NCDC के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
		• परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए **कार्यशील पूंजी** (working capital) और **मार्जिन मनी** (margin money) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
		• महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान (interest subvention) उपलब्ध करवाया जाएगा।
		• ऋण की अवधि 8 वर्ष होगी, जिसमें 1-2 वर्ष का अधिस्थगन (moratorium) भी शामिल है।
		• नई योजना से उन **चिकित्सा स्नातकों के मध्य उद्यमिता को**

© Vision IAS

		बढ़ावा देने की अपेक्षा है, जो एक **सहकारी समिति गठित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के इच्छुक** हैं। • यह योजना **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपने सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, मानव संसाधन का विकास, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहन, किसानों को वहनीय स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि को सम्मिलित करती है।

1.1.2. हाल ही में आरंभ की गई अन्य पहलें (Other Recently Launched Initiatives)

केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल (Centralized Farm Machinery Performance Testing Portal)	• यह पोर्टल विनिर्माताओं को अपनी **मशीनों के परीक्षण की प्रगति को निर्बाध रूप से जारी रखने, उसे आगे बढ़ाने और निगरानी करने में सुविधा** प्रदान करेगा। • यह संगठन के भीतर एकीकृत तरीके से समेकित प्रबंधन की संभावना प्रदान करेगा और इस प्रकार परीक्षण संस्थानों की दक्षता में सुधार लाने में मदद करेगा। इससे विभिन्न कृषि मशीनों और उपकरणों के परीक्षण समय को कम किया जा सकेगा।
सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना {Sahakar Mitra: Scheme on Internship Programme (SIP)}	• यह **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** द्वारा आरंभ किया गया एक **सशुल्क इंटर्नशिप कार्यक्रम (paid internship programme)** है। • **पात्रता:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातक इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। ऐसे पेशेवर जो कृषि-व्यवसाय, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन आदि में MBA की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं, भी पात्र होंगे। • NCDC ने प्रत्येक इंटर्न को **4 महीने की इंटर्नशिप अवधि** में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धनराशि निर्धारित की है। • **लाभ:** यह योजना युवा पेशेवरों को **NCDC और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली से व्यावहारिक अनुभव एवं सीखने का अवसर** प्रदान करेगी। साथ ही, यह सहकारी संस्थानों को **युवा पेशेवरों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने** में सहायता करेगी।

1.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

1.2.1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-Kisan)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना के तहत **लगभग 33 लाख अपात्र लाभार्थियों ने 2,326.88 करोड़ रुपये** प्राप्त किए।

इस योजना के बारे में

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं	अपवर्जन/बहिष्करण (Exclusion)
• देश में **सभी भूमि धारक पात्र किसानों के परिवारों** (जोत के आकार के निरपेक्ष) को	• यह शत प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषण के साथ एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • इस योजना के अंतर्गत देश के सभी भूस्वामी कृषक परिवारों को उनकी कृषि	• **सभी संस्थागत भूमि धारक।** • ऐसे किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य **निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं:** ○ संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक

आय सहायता प्रदान करना। • कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विभिन्न आदानों (इनपुट्स) की खरीद के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए **किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं** को पूर्ण करना।	भूमि के आकार पर ध्यान दिए बिना **प्रति वर्ष प्रत्येक चार माह में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।** ○ **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विधि** के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में निधि सीधे हस्तांतरित की जाती है। ○ किसान **पोर्टल पर उपलब्ध किसान कॉर्नर या कॉमन सर्विस सेंटर** के माध्यम से अपना स्व-पंजीकरण कर सकते हैं। ○ इस योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और छोटे बच्चे सम्मिलित हैं। ○ लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान का उत्तरदायित्व राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों का है। • इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन कृषक परिवारों को प्रदान किया जाएगा, जिनके नाम भूमि अभिलेखों (land records) में दर्ज हैं। हालांकि, इसके कुछ **अपवाद** भी हैं, जैसे- **वन निवासी, पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड, जिनके भूमि अभिलेखों हेतु पृथक प्रावधान किए गए हैं।** • पी.एम. किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट काड्स (KCC) उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि कृषक बैंकों से सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकें। • इससे ऐसे सभी कृषकों को समयबद्ध भुगतान करने पर 4% की अधिकतम ब्याज दर पर फसलों एवं पशु/मत्स्य-पालन हेतु लघु अवधि के ऋण प्राप्त करने में सहायता होगी। • पी.एम. किसान की प्रथम वर्षगांठ पर **पी.एम. किसान मोबाइल ऐप** लॉन्च किया गया था। ○ इसके माध्यम से कृषक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, अपने आधार काड्र्स को अद्यतित व संशोधित कर सकते हैं तथा अपने बैंक खातों में विगत भुगतान की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। • योजना कुछ विशेष श्रेणी के किसानों के लिए **अपवर्जन मानदंड** प्रदान करती है।	○ पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। ○ केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर)। ○ उपर्युक्त श्रेणी के सभी वृद्ध / सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या अधिक है (मल्टी-टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV / ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर)। ○ विगत निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। ○ पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट तथा प्रैक्टिस द्वारा पेशे का निर्वहन कर रहे हैं।

VISION IAS

1.2.2. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}*

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जुलाई 2020 में जारी किए गए थे।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• आगामी पांच वर्षों की अवधि (वर्ष 2019-20 से 2023-24) में **10,000 FPOs का गठन किया जाएगा,** ताकि किसानों के लिए आकारिक मितव्ययिता का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। ○ **प्रत्येक FPO को अपनी स्थापना से लेकर 5 वर्षों तक व्यापक समर्थन प्रदान किया जाएगा।** यह योजना वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी।	**लघु एवं सीमांत किसान तथा भूमिहीन किसान** इसके लाभार्थी होंगे।	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • FPOs में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां (Farmer Producer Companies: FPCs) तथा साथ ही राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं। • इसे **लघु किसान कृषि-व्यापार संकाय** (Small Farmers Agri-business Consortium: SFAC), **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** और **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड** (नेफेड/NAFED), उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन संघ लिमिटेड (NERAMAC), तमिलनाडु-SFAC, हरियाणा-SFAC, वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (WDD)- कर्नाटक तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ रूरल वैल्यू चेन्स (FDRVC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य भी **कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW)** के परामर्श से अपनी कार्यान्वयन एजेंसी को नामित कर सकते हैं। • इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्लस्टर/राज्य स्तर पर **क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (CBBO)** की स्थापना की जाएगी। इन CBBOs में **विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे तथा FPOs के संवर्धन से संबंधित सभी मुद्दों हेतु सभी स्तरों पर जानकारी के लिए एक मंच** के रूप में कार्य करेंगे। • राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड/NAFED) विशिष्ट FPOs का निर्माण करेगा, जिन्हें अनिवार्य रूप से बाजार, कृषि-मूल्य श्रृंखला आदि से संबद्ध होना चाहिए। नेफेड अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा गठित FPOs को बाजार और मूल्य श्रृंखला संपर्क प्रदान करेगा। नेफेड ने चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में 05 हनी FPOs का गठन और पंजीकरण किया है। • FPOs को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO **18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 15 लाख रूपये प्रति FPO की सीमा के साथ FPO के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रूपये तक के समतुल्य इक्विटी अनुदान सहायता का उल्लेख भी किया गया है। साथ ही, FPOs की संस्थागत ऋण तक

VISION IAS

		पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति FPO 2 करोड़ रूपये के परियोजना ऋण का भी प्रावधान किया गया है। • क्रेडिट गारंटी फंड (CGF) का रखरखाव और प्रबंधन नाबार्ड और NCDC द्वारा किया जाएगा। • प्रस्तावित FPO में से **कम से कम 15 प्रतिशत आकांक्षी जिलों में गठित** किए जाएंगे। ऐसे जिलों के प्रत्येक ब्लॉक (प्रखंड) में कम से कम एक FPO की स्थापना की जाएगी। • **FPOs के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। अनुभव/आवश्यकता के आधार पर संख्या को संशोधित किया जा सकता है। • FPO का संवर्धन **"एक जिला एक उत्पाद"** क्लस्टर के अंतर्गत किया जाएगा, ताकि FPO के माध्यम से विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। • **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी** (National Project Management Agency: NPMA) समग्र परियोजना मार्गदर्शन, समन्वय, FPOs से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है।

1.2.3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना ने जनवरी 2021 में अपने **5 वर्ष पूर्ण** किए हैं।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
PMFBY का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों द्वारा कृषि क्षेत्र में **सतत उत्पादन का समर्थन करना है:** • प्राकृतिक आपदा तथा विभिन्न कीटों और रोगों के कारण होने वाली फसल हानि की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। • किसानों की आय में स्थायित्व प्रदान करना, ताकि वे स्थायी रूप से कृषि कार्यों में संलग्न रहे सकें।	• अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उपजाने वाले पट्टेदार / जोतदार किसानों सहित सभी किसान, जिन्हें फसल बीमा की आवश्यकता है, योजना के लिए पात्र हैं। • प्रारंभ में, यह केवल ऋण-ग्रस्त किसानों के लिए ही अनिवार्य था। हालांकि अब इसे ऋण-ग्रस्त किसानों सहित **सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक** कर दिया गया है।	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना ने **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS) के अतिरिक्त, अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) तथा संशोधित NAIS को प्रतिस्थापित कर दिया है। • **शामिल की गई फसलें:** खाद्य फसलें (अनाज, मोटे अनाज और दलहन); तिलहन; वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें; कवरेज का संचालन उन बारहमासी बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए लिया जा सकता है, जिनके लिए उपज अनुमान हेतु मानक पद्धति उपलब्ध है। • **जोखिम का कवरेज और अपवर्जन:** ○ **बुनियादी कवर:** इस श्रेणी के तहत उल्लिखित जोखिमों का कवरेज **अनिवार्य** है। यह योजना सूखे, शुष्क मौसम, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक कीट प्रसार और रोग के हमले,

• कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।		भूस्खलन, वज्रपात के कारण प्राकृतिक दहन, तूफान, ओलावृष्टि एवं चक्रवात जैसे गैर-निवार्य जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज हानि (बुवाई से लेकर कटाई तक) को कवर करने का प्रावधान करती है। ○ **अतिरिक्त कवरेज (Add-On Coverage):** इस श्रेणी के अंतर्गत उल्लिखित जोखिमों का कवरेज **अनिवार्य नहीं** है। राज्य सरकारें / संघ राज्यक्षेत्र फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) के परामर्श से बुवाई / रोपण / अंकुरण जोखिम, मध्य-मौसम प्रतिकूलता, फसल कटाई उपरांत नुकसान **(पहले यह अनिवार्य था),** स्थानीय आपदाओं, वन्यजीवों द्वारा भक्षण आदि के लिए कवरेज प्रदान कर सकते हैं। ○ **सामान्य अपवर्जन:** युद्ध और नाभिकीय जोखिमों, दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य निवारण करने योग्य जोखिमों से होने वाली हानियों को योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। • **क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण:** यह योजना परिभाषित क्षेत्रों में जो कि बीमित इकाई कहलाते हैं, 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के सिद्धांत पर परिचालित की जाएगी। राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) से परामर्श उपरांत संबंधित अवधि के दौरान आच्छादित परिभाषित क्षेत्रों एवं फसलों को अधिसूचित करेंगी। राज्य / संघ राज्यक्षेत्र मुख्य फसलों के लिए ग्राम / ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य समकक्ष इकाई को बीमित इकाई के रूप में अधिसूचित करेगी। अन्य फसलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकती है। • **किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर:** ○ **खरीफ:** बीमित राशि का **2.0%** अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो। ○ **रबी:** बीमित राशि का **1.5%** अथवा बीमांकिक दर जो भी कम हो। ○ **वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें:** बीमित राशि का **5%** अथवा बीमांकिक दर जो भी कम हो। • **केंद्रीय सब्सिडी:** ज्ञातव्य है कि शेष बीमा प्रीमियम का समान अनुपात में भुगतान, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाना था। हालांकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से अपनी प्रीमियम सब्सिडी को 50% से घटाकर सिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 25% तथा **असिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 30% कर दिया है।** ○ सिंचित क्षेत्रों / फसलों के लिए **25%** (50% या अधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों को PMFBY / RWBCIS दोनों

VISION IAS

		के लिए सिंचित क्षेत्र / जिला माना जाएगा) ○ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए **90%** रहेगी। • **फसलों की बीमित राशि:** राज्य / संघ राज्यक्षेत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर मूल्य का चयन कर सकते हैं। जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर) ही स्वीकार किया जाएगा। • योजना के तहत **अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / महिला किसानों** की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। • **बीमा कंपनियों को कार्य का आवंटन 3 वर्षों के लिए किया जाएगा।** इससे पूर्व राज्यों द्वारा जारी की गई निविदाएं 1 से 3 वर्ष की भिन्न-भिन्न अवधि के लिए होती थीं। • यदि राज्य सरकारें निर्धारित समय-सीमा से पहले संबंधित बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उन्हें आगामी (subsequent) मौसम में इस योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीफ और रबी मौसमों हेतु कट-ऑफ तिथियां क्रमश: 31 मार्च और 30 सितंबर हैं। • इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए **राज्यों को अपनी बीमा कंपनियां स्थापित करने** की अनुमति दी गई है।

1.2.4. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन योजना (हरित क्रांति का उप-घटक-कृषोन्नति योजना) {Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue (Sub-Component of Green Revolution-Krishonnati Yojana)}*

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान धन आवंटित किया गया था।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• फसल अवशेषों के दहन के कारण हो रहे वायु प्रदूषण से **पर्यावरण की रक्षा करना** और मृदा के पोषक तत्वों व लाभकारी सूक्ष्म जीवों के ह्रास को रोकना; • उपयुक्त मशीनीकरण आगतों के उपयोग के माध्यम से मृदा में प्रतिधारण और समावेशन द्वारा **फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन को प्रोत्साहित करना;** • लघु भू-जोतों और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायरिंग हेतु **'फार्म मशीनरी**	• यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है। • इस योजना के तहत, किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर **यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद** हेतु लागत की 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी हेतु **कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना** के लिए किसानों की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), पंजीकृत किसान समितियों और पंचायतों की सहकारी समितियों को परियोजना लागत का 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।

 © Vision IAS

बैंकों' को बढ़ावा देना। • फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन हेतु प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों तथा विभेदित सूचना, शिक्षा एवं संचार रणनीतियों के माध्यम से **हितधारकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना।**	

1.2.5. राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agricultural Market: NAM)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में **1,000 और मंडियों को ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) से जोड़ने** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• **प्रमाणिक मूल्यों को बढ़ावा देना।** किसानों के लिए विक्रय और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करना।
• **व्यापारियों / खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाना।** एक व्यापारी के लिए एकल लाइसेंस उपलब्ध कराना, जो सभी राज्यों में मान्य होगा।
• कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों को सुसंगत बनाना।
• **एकल बिंदु** (अर्थात् किसान से की जाने वाली प्रथम थोक खरीद पर) **पर बाजार शुल्क प्राप्त करना।**
• **स्थिर कीमतों और उपभोक्ताओं हेतु गुणवत्तायुक्त उत्पादों** की उपलब्धता को बढ़ावा देना।
• चयनित मंडी में या मंडी के निकट **मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने संबंधी प्रावधान करना।**
	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है तथा इस हेतु **एग्री-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF)** से वित्तपोषण प्राप्त होता है।
	• **ई-नाम (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।** यह कृषि जिंसों हेतु एक **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण** के लिए मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) और अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है।
	• **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ** (Small Farmers Agribusiness Consortium: SAFC) को इस राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म के **कार्यान्वयन** हेतु प्रमुख एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है।
	• अब तक, 18 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों के 1,000 बाजारों को e-NAM से जोड़ा जा चुका है। **वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इसके साथ 1,000 और मंडियों को जोड़ने का प्रस्ताव है।**
	• **कोविड-19 के दौरान ई-नाम प्लेटफॉर्म / मोबाइल एप्प को निम्नलिखित का शुभारंभ करके और मजबूत किया गया है:**
	  ○ इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स (e-NWR) के आधार पर गोदामों से व्यापार की सुविधा के लिए **वेयरहाउस आधारित व्यापार मॉड्यूल।**
	  ○ **FPOs व्यापार मॉड्यूल,** जहां FPOs अपने उत्पाद को APMC में लाए बिना ही अपने संग्रह केंद्र से अपने उत्पाद का व्यापार कर सकते हैं।
	• ई-नाम प्लेटफॉर्म को **कर्नाटक सरकार के राष्ट्रीय ई-बाजार सेवा (Rashtriya e-Market Services: ReMS) प्लेटफॉर्म** के साथ अंतःप्रचालनीय बनाया गया है। इससे किसी भी प्लेटफॉर्म के किसान अपनी उपज को दूसरे प्लेटफॉर्म पर विक्रय कर सकते हैं, जिससे उनकी बाजार पहुंच में वृद्धि होगी।
	• ई-नाम अब "मंचों के मंच" के रूप में विकसित हो रहा है, ताकि एक डिजिटल पारितंत्र बनाया जा सके, जो कृषि-मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में विशिष्ट मंचों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सके।

1.2.6. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)#

घटक

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

- **जल शक्ति मंत्रालय**
- AIBP को वर्ष 1996-97 में भारत में प्रमुख (या बड़ी)/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता देने के लिए आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करना था, जो राज्यों की संसाधन क्षमताओं से परे हैं या जो पूर्णता के अंतिम चरण में हैं।
- अक्टूबर 2020 में मंत्रालय ने AIBP **के अंतर्गत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्प** की शुरुआत की, जिसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान BAISAG (N)} द्वारा विकसित किया गया था।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) हर खेत को पानी

- **जल शक्ति मंत्रालय**
- लघु सिंचाई (सतही व भूमिगत जल दोनों) द्वारा नए जल स्रोतों का निर्माण।
- **सतही लघु सिंचाई (Surface Minor Irrigation: SMI) योजना** तथा जल निकायों की मरम्मत, सुधार और नवीकरण का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- **परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता का सुदृढ़ीकरण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण;** जल मंदिर (गुजरात), खतरी, कुही (हिमाचल प्रदेश), जेबोय (नागालैंड), इड़ी, ओरेनिस (तमिलनाडु), डोंग (असम), कतास, और बंधा (ओडिशा और मध्य प्रदेश)
  कमान क्षेत्र विकास।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) प्रति बूँद अधिक फसल

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- प्रभावी जल परिवहन तथा परिशुद्ध जल अनुप्रयोग उपकरणों जैसे कि पिवोट, रेनगन (जल सिंचन), ड्रिप्स, स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना।
- वैज्ञानिक आर्द्रता संरक्षण, फसल संयोजन व फसल संरेखण आदि के लिए विस्तारित गतिविधियाँ।
- राष्ट्रीय ई शासन योजना के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप।

PMKSY (समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम)

- भूमि संसाधन विभाग, **ग्रामीण विकास मंत्रालय**
- DPAP, DDP तथा IWDP को इस घटक के अंतर्गत समेकित किया गया है।
- अपवाहित जल का प्रभावी प्रबंधन और मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण गतिविधियों का उन्नयन।
- परियोजनाओं के चयन और तैयारी में क्लस्टर दृष्टिकोण।
- **मनरेगा के साथ अभिसरण (जोड़ना)।**

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)

- चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (वर्ष 1971-72) का नाम परिवर्तित कर DPAP कर दिया गया।
- इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन तथा पशुधन और भूमि, जल व मानव संसाधनों पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है ताकि प्रभावित क्षेत्रों को सूखा प्रत्यास्थ बनाया जा सके।
- योजना लागत को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है।

मरु विकास कार्यक्रम (DDP)

- वर्ष 1977-78 में DDP को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने तथा संधारणीय विकास के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित/पुनर्बहाल करना है।
- निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता को इस अनुपात में निर्धारित किया गया है: उष्ण शुष्क गैर मरुस्थलीय क्षेत्र (75%); उष्ण शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र (100%); शीत शुष्क क्षेत्र (100%)।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (IWDG)

- वर्ष 1989-90 से इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना केंद्र प्रदत्त अनुदान सहायता (100%) पर आधारित है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से गैर वन बंजर भूमि के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

© Vision IAS

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)

2.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

2.1.1. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय आयुष ग्रिड परियोजना (National AYUSH Grid Project)	• यह परियोजना **संपूर्ण आयुष क्षेत्रक के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी आधार** निर्मित करने हेतु वर्ष 2018 में आरंभ की गई थी। • संपूर्ण आयुष क्षेत्रक के डिजिटलीकरण से इसका अनुसंधान, शिक्षा, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और औषधि विनियमों सहित **सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल वितरण क्षेत्रक में रूपांतरण होगा।** • इस **परियोजना के तहत आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप और योग लोकेटर मोबाइल ऐप** को आरंभ किया गया है। • इसके अतिरिक्त, प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक/C-DAC) के सहयोग से आयुष पेशेवरों के लिए एक विशिष्ट रूप से निर्मित IT पाठ्यक्रम भी विकसित किया गया था। • आयुष शिक्षा का समर्थन करने के लिए **आयुष नेक्स्ट** (Ayush Next) नाम से एक महत्वाकांक्षी परियोजना भी आरंभ की जा रही है। ज्ञातव्य है कि इसे विकसित कर लिया गया है और इसके शीघ्र ही ऑनलाइन उपलब्ध होने की अपेक्षा है। • अब, आयुष ग्रिड को **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDMH)** के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है।
ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी {Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)}	• यह परियोजना **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और आयुष मंत्रालय (पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग) के मध्य सहयोग** से वर्ष 2001 (इसे आरंभ हुए 20 वर्ष हो गए हैं) में प्रारंभ की गई थी। • **TKDL डेटाबेस में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों,** यथा- आयुष (आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी) तथा योग के **3.9 लाख से अधिक सूत्रीकरण / चिकित्सा-उपाय डिजिटाइज्ड प्रारूप में शामिल हैं।** • TKDL डेटाबेस 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं, यथा- अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश में उपलब्ध है। • यह डेटाबेस, **TKDL एक्सेस (गैर-प्रकटीकरण) समझौते** के माध्यम से केवल पेटेंट परीक्षकों के लिए उपलब्ध है। • यह भारतीय परंपरागत ज्ञान का उपयोग करके विकसित किए गए उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने से रोकने का प्रयास करता है, ताकि **अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में भारत के पारंपरिक औषधीय ज्ञान के दुरुपयोग को रोका जा सके।** • TKDL डेटाबेस में मौजूद पूर्वगामी कला साक्ष्यों के आधार पर अब तक 239 पेटेंट आवेदनों को या तो लंबित / वापस / संशोधित किया गया है।

VISION IAS

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)

3.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals)

3.1.1. औषध के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme For Pharmaceuticals)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• इस क्षेत्रक में निवेश और उत्पादन में वृद्धि करके तथा औषध (pharmaceutical) क्षेत्रक में उच्च मूल्य की वस्तुओं के उत्पाद विविधीकरण में योगदान करके **भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना।**
• **भारत से वैश्विक चैंपियन्स (अर्थात् वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने वाले विनिर्माता) सृजित करना**, जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपने आकार और पैमाने में वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं तथा जिससे वे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं।
	• इस योजना का स्वीकृत परिव्यय (अर्थात् कुल खर्च की जाने वाली राशि) 15,000 करोड़ रुपये है।
	• **आवेदक:**
	  ○ **कोई स्वामित्व फर्म (Proprietary Firm) या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP) या भारत में पंजीकृत कोई कंपनी।**
	  ○ आवेदक को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा दिवालिया या इरादतन चूककर्ता (willful defaulter) घोषित नहीं किया गया हो या धोखाधड़ी (fraud) के रूप में प्रतिवेदित नहीं किया गया हो।
	  ○ इस योजना के तहत **अधिकतम 55 आवेदकों का चयन** किया जाएगा।
	  ○ जैसा कि योजना के तहत निर्धारित किया गया है, आवेदकों को **5 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष न्यूनतम संचयी निवेश प्राप्त करना** अनिवार्य होगा।
	• आवेदकों के आवेदनों को **वित्तीय वर्ष 2019-20 के वैश्विक विनिर्माण राजस्व के आधार पर तीन समूहों** में आमंत्रित किया गया है। ये समूह हैं:
	  1. 500 करोड़ रुपये से कम;
	  2. 500 करोड़ रुपये (समावेशी) और 5,000 करोड़ रुपये के मध्य; तथा
	  3. 5,000 करोड़ रुपये के समतुल्य या उससे अधिक।
	• **आधार वर्ष:** वित्तीय वर्ष 2019-20
	• **योजना की अवधि:** इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक होगी।
	• इस योजना का क्रियान्वयन परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency) द्वारा किया जाएगा।
	• **इस योजना के तहत पात्र उत्पादों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।** इस योजना के तहत शामिल उत्पादों में सूत्रीकरण, बायोफर्मासिटिकल्स, सक्रिय औषध सामग्री, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, औषधि मध्यवर्ती, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरण इत्यादि शामिल हैं।

© Vision IAS

	○ **श्रेणी-1** और **श्रेणी-2** उत्पादों पर 10% प्रोत्साहन दिया जाएगा। ○ **श्रेणी-3** उत्पादों में वृद्धिशील बिक्री पर 5% प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसी उत्पाद की वृद्धिशील बिक्री से अभिप्राय किसी वर्ष में उस उत्पाद की बिक्री का आधार वित्त वर्ष 2019-2020 में उस उत्पाद की बिक्री से अधिक होना।

3.2. पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)

3.2.1. महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषध सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme (for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical KSMs (Key Starting Materials)/Drug Intermediates and APIs (Active Pharmaceutical Ingredients)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस योजना का उद्देश्य मुख्य प्रारंभिक सामग्री (KSMs) / औषधि मध्यवर्ती (Drug Intermediates) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) में अधिक निवेश आकर्षित कर घरेलू विनिर्माण / उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य KSMs / औषधि मध्यवर्ती सामग्री और APIs के संबंध में अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना है।	• **व्यापकता:** इस योजना के अंतर्गत, चयनित विनिर्माताओं द्वारा 41 उत्पादों के लिए की गई बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये 41 उत्पाद सभी चयनित APIs को कवर करते हैं। ○ 53 चिन्हित बल्क ड्रग्स (इसे सक्रिय औषध सामग्री भी कहते हैं) में से 26 किण्वन पर और 27 रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स हैं। ○ किण्वन आधारित बल्क ड्रग्स के लिए प्रोत्साहन की दर 20% (विक्रय में वृद्धि के आधार पर) तथा रसायन संश्लेषण आधारित बल्क ड्रग्स के लिए यह दर 10% होगी। • यह योजना **केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है।** • इस योजना के तहत **पात्र विनिर्माताओं को आधार वर्ष (2019-20) की तुलना में उनकी वृद्धिशील बिक्री पर 6 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।** • यह योजना **औषध विभाग द्वारा नामित की जाने वाली परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। • इस **योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2029-30 तक होगी।** हालिया परिवर्तन (Recent changes): • निवेश संबंधी **'न्यूनतम सीमा'** के मानदंड को चयनित आवेदक द्वारा किए जाने वाले **'प्रतिबद्ध' निवेश** से प्रतिस्थापित किया गया है। • प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता के उद्देश्य से पात्र उत्पादों की बिक्री को **केवल घरेलू बिक्री** तक सीमित रखने वाले प्रावधान **को समाप्त किया गया है।** इस योजना को अन्य PLI योजनाओं के अनुरूप किया गया है और बाजार विविधीकरण को प्रोत्साहित किया गया है।

	• टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, पैरा अमीनो फिनोल (PAP), मेरोपेनेम, आर्टिसुनेट, लोसर्टन, टेल्मिसर्टन, ऐसीक्लोविर, सिप्रोफ्लोक्सासिन और एस्पिरिन जैसे **10 उत्पादों के लिए न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता** में परिवर्तन किया गया है। इस योजना के तहत "न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता" पात्रता संबंधी मानदंड का भाग है।

3.2.2. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु) {Production Linked Incentive (PL) Scheme (for Promotion of Domestic Manufacturing of Medical Devices)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बृहद् निवेश को आकर्षित करके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।	• **आवेदक:** भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी, जो लक्ष्य क्षेत्र (target segment) के तहत शामिल वस्तुओं का विनिर्माण करने का प्रस्ताव करे।
	• यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है।
	• स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना को औषध विभाग द्वारा नामित की जाने वाली एक **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से कार्यान्वित (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक) किया जाएगा।
	• इस योजना के अंतर्गत आधार वर्ष 2019-20 के दौरान पहचाने गए चिकित्सा उपकरण खंडों पर वृद्धिशील बिक्री के **5%** की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
	• इसका लक्ष्य, चिकित्सा उपकरणों की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत **लगभग 25-30 विनिर्माताओं** को सहायता प्रदान करना है:
	  ○ **कैंसर** देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण;
	  ○ **रेडियोलॉजी और प्रतिबिंबन (imaging) चिकित्सा उपकरण;** एवं
	  ○ नाभिकीय प्रतिबिंबन उपकरण।
	हालिया परिवर्तन (Recent changes):
	• चयनित आवेदक से 'प्रतिबद्ध' निवेश द्वारा निवेश संबंधी 'न्यूनतम सीमा' के मानदंड को प्रतिस्थापित किया गया है।
	• वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित आवेदकों द्वारा किए जाने वाले संभावित पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए इस **योजना के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा** दिया गया है। तदनुसार, **प्रोत्साहन प्राप्त करने के उद्देश्य से विक्रय संबंधी आंकड़ों की गणना वित्तीय वर्ष 2021-2022 की बजाय वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आरंभ से 5 वर्षों के लिए की जाएगी।**

3.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

उर्वरक विभाग (Department of Fertilisers)

3.3.1. यूरिया सब्सिडी (Urea Subsidy)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड** (TFL) द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए सब्सिडी नीति को स्वीकृति प्रदान की है।

© Vision IAS

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

लागत प्रभावी मूल्यों पर यूरिया उर्वरकों की समयबद्ध और सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• यूरिया सब्सिडी **उर्वरक विभाग की केंद्रीय क्षेत्रक की योजना का एक भाग है।**
	• किसानों को यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
	• यूरिया इकाइयों द्वारा खेत पर ही उर्वरकों के वितरण की लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के मध्य के अंतर को भारत सरकार यूरिया निर्माता/आयातक को सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इसमें देश भर में **यूरिया की ढुलाई हेतु माल-भाड़ा सब्सिडी भी सम्मिलित है।**
	  ○ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के लाभ स्वरूप किसानों द्वारा वहनीय MRP पर यूरिया की खरीद की जा रही है।
	• **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली:** इसे मार्च 2018 में आरंभ किया गया था। खुदरा विक्रेताओं द्वारा कृषकों को उर्वरक के वास्तविक विक्रय के उपरांत ही कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान करना होगा।
	  ○ प्रत्येक खुदरा विक्रेता के पास उर्वरक विभाग के **ई-उर्वरक DBT पोर्टल (e-Urvarak DBT portal)** से लिंक्ड **पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) मशीन** होना अनिवार्य है।
	  ○ सब्सिडी वाले उर्वरक का क्रय करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने **आधार "विशिष्ट पहचान संख्या" या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**
	  ○ क्रेता का नाम और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ क्रय किए गए प्रत्येक उर्वरकों की मात्रा को PoS उपकरण पर दर्ज करवाना होगा। **ई-उर्वरक प्लेटफॉर्म पर उर्वरक का विक्रय पंजीकृत होने पर ही संबंधित कंपनी सब्सिडी का दावा कर सकती है और सब्सिडी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के बैंक खाते में प्रेषित किया जाता है।**

3.3.2. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (Nutrient Based Subsidy Scheme)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• **इसे उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने**, कृषि उत्पादकता में सुधार करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने, उर्वरक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और सब्सिडी के बोझ को कम करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।	• यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
	• यह योजना वर्ष 2010 में आरंभ की गई थी, जब **फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों** के मूल्यों को **नियंत्रण मुक्त** कर दिया गया था (यूरिया उर्वरक के मूल्य को अब भी नियंत्रित किया जाता है)।
	• **सब्सिडी:** फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) नियंत्रण से मुक्त है एवं उर्वरक विनिर्माताओं / विपणकों को उचित मूल्य पर इन उर्वरकों की MRP निर्धारित करने की अनुमति है। केंद्र प्रत्येक पोषक तत्व पर सब्सिडी की एक निश्चित दर (रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर) प्रदान करता है।
	  ○ इन पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व यथा नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और द्वितीयक पोषक तत्व यथा सल्फर (S) शामिल हैं।
	  ○ सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे **बोरॉन और जिंक** के लिए भी **अतिरिक्त सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
	  ○ P&K उर्वरकों के 22 ग्रेड नामतः डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (MAP), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP), पोटाश के मुरीएट (MOP), अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) आदि तथा NPKS के 16 ग्रेड [नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K), सल्फर (S) इत्यादि] एवं **अमोनियम फॉस्फेट** जैसे जटिल उर्वरकों को

	NBS नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। • सब्सिडी, उर्वरक विनिर्माण कंपनियों को प्रदान की जाती है और **सब्सिडी की दर वार्षिक आधार पर निर्धारित** की जाती है।

3.3.3. सिटी कम्पोस्ट स्कीम (City Compost Scheme)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन प्रदान करना तथा किसानों को सब्सिडीकृत मूल्यों पर सिटी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध कराना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • इस योजना के तहत प्रति टन सिटी कंपोस्ट (शहरी अपशिष्ट से बनने वाली खाद) पर **बाजार विकास सहायता** के रूप में 1,500 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और उपयोग में वृद्धि करना है। • **उर्वरक कंपनियों और विपणन संस्थाओं** के माध्यम से सिटी कंपोस्ट के विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। **कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा** देने हेतु कंपनियों द्वारा गांवों को भी अंगीकृत किया जाएगा। • इस हेतु एक उचित **BIS मानक/इको-मार्क** के माध्यम से किसानों तक पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals)

3.3.4. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना (Scheme for Promotion of Medical Devices Park)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहन को स्वीकृति प्रदान की है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को **वैश्विक स्तर पर अग्रणी** बनाने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करना। • **विश्व स्तरीय साझा अवसंरचनात्मक सुविधाओं** के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और अवसंरचना सुविधाओं तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराना। • घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की **बेहतर उपलब्धता और वहनीयता** के कारण चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी करना। • **संसाधनों के अनुकूलन और आकारिक मितव्ययिता** से उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • चिकित्सा उपकरण पार्क से अभिप्राय **चिकित्सा उपकरणों के अनन्य विनिर्माण** के लिए साझा अवसंरचना सुविधाओं वाले एक सन्निहित सतत भू-क्षेत्र से है। • इस योजना के अंतर्गत चयनित 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • एक चिकित्सा उपकरण पार्क हेतु **अधिकतम सहायता अनुदान 100 करोड़ रुपये** तक सीमित होगा, अर्थात् योजना का कुल वित्तीय परिव्यय (4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए) 400 करोड़ रुपये होगा। • योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक होगी। • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित चयनित चिकित्सा उपकरण पार्क में **साझा अवसंरचना सुविधाओं** के निर्माण के लिए **एकमुश्त अनुदान सहायता** प्रदान की जाएगी। • **नोट:** भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की कुल घरेलू मांग के 85% तक के लिए आयात पर निर्भर है।

VISION IAS

© Vision IAS

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (Department of Chemicals & Petrochemicals)

3.3.5. प्लास्टिक पार्क योजना (Plastic Park Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग ने देश में **10 प्लास्टिक पार्क स्थापित** करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्लास्टिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश में वृद्धि करना, पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास और क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाना तथा प्लास्टिक के आयात को कम करना।	• इसकी **परिकल्पना राष्ट्रीय प्लास्टिक पार्क नीति, 2010** में की गई थी। इस नीति को वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था। • यह योजना **आवश्यकता आधारित "प्लास्टिक पार्क"** की स्थापना का समर्थन करती है। ये पार्क आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त परिवेश होंगे। साथ ही, यह योजना इस क्षेत्रक की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने तथा अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी रूप से योगदान करने हेतु सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता में सहायता करेगी। • **वित्तपोषण प्रतिरूप:** केंद्र द्वारा 50% राशि (40 करोड़ रुपये प्रति योजना की निर्धारित सीमा के तहत) का योगदान किया जाएगा और शेष योगदान राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सृजित विशेष प्रयोजन साधन (SPV) द्वारा किया जाएगा।

4. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)

4.1. सुर्खियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

4.1.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय संपर्क योजना {Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/Regional Connectivity Scheme (RCS)}*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के **चौथे चरण के तहत 78 नए हवाई मार्गों** को स्वीकृति प्रदान की है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• एयरलाइन परिचालन हेतु सहायता प्रदान कर **क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को वहनीय एवं सुगम बनाना/बढ़ावा देना।** इसके लिए निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी:
  ○ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विमान पत्तन संचालकों द्वारा रियायत; एवं
  ○ वित्तीय समर्थन (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण)।
• **मौजूदा हवाई पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुद्धार** द्वारा असेवित (Unserved) तथा अल्प-सेवित (Underserved) विमान पत्तनों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
  ○ अल्पसेवित (Underserved) विमानपत्तन वे होते हैं, जहाँ एक सप्ताह में 7 से अधिक उड़ानें उपलब्ध नहीं होती हैं (प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 14), जबकि असेवित विमानपत्तन वे होते हैं, जहां कोई अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें उपलब्ध नहीं होती हैं।
  ○ मंत्रालय का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 1,000 मार्गों और 100 से अधिक विमानपत्तनों के परिचालन को प्रारम्भ करना है।
	• **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** इसका **कार्यान्वयन प्राधिकरण** है।
	• यह **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016** का एक प्रमुख घटक है।
	• यह योजना (योजना संस्करण 1.0 की अधिसूचना की तिथि से) 10 वर्ष तक की अवधि के लिए परिचालन में बनी रहेगी।
	• क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए इसमें एक **विशिष्ट मांग एवं बाजार-आधारित मॉडल** को अपनाया गया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) केवल उन राज्यों में और विमानपत्तनों/एयरोड्रमों/हेलीपैडों में संचालित रहेगी, जहां इस योजना के तहत आवश्यक रियायत प्रदान कर इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता एवं समर्थन प्रदान किया जाएगा।
	• क्षेत्रीय उड़ानों में हवाई किराया, एक विमान पर लगभग 500 कि.मी. के लिए या हेलिकॉप्टर पर 30 मिनट के लिए 2,500 रुपये प्रति घंटा तक निर्धारित किया गया है।
	• एयरलाइंस को रियायती दरों पर 50% सीटें (न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 सीटें) प्रदान करनी होती हैं। शेष 50% सीटों का मूल्य बाजार दर पर निर्धारित किया जाता है। हेलिकॉप्टरों के लिए, यदि सीटें 13 या इससे कम हैं, तो RCS सीटों के रूप में 100% उपलब्ध करवाना आवश्यक है, परन्तु यदि क्षमता 13 से अधिक है, तो अधिकतम 13 को RCS सीटें माना जाएगा।
	• इस योजना के तहत RCS मार्गों के लिए चयनित ऑपरेटरों को **रियायतें और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding: VGF) के रूप में सहायता** प्रदान की जाएगी।
	  ○ इसके तहत केंद्र द्वारा घरेलू एयरलाइंस की प्रत्येक प्रस्थान करने वाली उड़ान पर 8,500 रुपये तक का शुल्क (levy) अधिरोपित कर राशि संग्रहित की जाएगी। साथ ही, VGF का 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 20% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा (पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त, उत्तराखंड, हिमाचल

© Vision IAS

	प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए यह 10% है)। ▪ इस उद्देश्य के लिए **एक क्षेत्रीय संपर्क कोष** का सृजन किया जाएगा। ○ हालांकि, राज्य RCS मार्गों और **लक्षद्वीप विशिष्ट मार्ग** के रूप में वर्गीकृत किए गए मार्गों के लिए, राज्य सरकारें तथा गृह मंत्रालय क्रमशः इस योजना के तहत VGF के 100% की प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होंगे। ○ **राज्य सरकारों** को निःशुल्क सुरक्षा और अग्नि सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं, RCS विमानपत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि आदि प्रदान करना होगा। ○ **विमानपत्तन/एयरोड्रम/हेलीपैड ऑपरेटर:** RCS के तहत उड़ान हेतु कोई लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेवीगेशन लैंडिंग शुल्क आरोपित नहीं किए जाएंगे। • यदि RCS के तहत परिचालनों के लिए विमानपत्तनों/वाटर एरोड्रमस / हेलीपैड पर बुनियादी ढांचे के किसी भी पुनर्सुधार / उन्नयन की आवश्यकता होती है, तो AAI द्वारा संबंधित राज्य सरकार / विमानपत्तन / वाटर एरोड्रमस / हेलीपैड ऑपरेटर से आवश्यक लागत भुगतान को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि स्वामित्व में परिवर्तन नहीं होगा।

4.1.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

कृषि उड़ान योजना (Krishi Udaan Scheme)	• इस योजना की घोषणा **वित्त वर्ष 2020-21 के बजट** में की गई थी। • इस योजना का उद्देश्य कृषकों (विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी और जनजातीय जिलों में) को उनके **शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करना है, ताकि इससे उनकी 'मूल्य प्राप्ति' में सुधार** किया जा सके। इस योजना के तहत देश के किसानो की फसलों को विशेष हवाई विमानों के ज़रिये एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय पर पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानो की फसलें समय से बाजार में पहुंच सकेंगी, जिसकी वजह से किसानो को अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त होंगे। • इस योजना के तहत प्रथम समर्पित घरेलू मालवाहक वायुयान द्वारा शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि उपज का परिवहन **लेंगपुई विमानपत्तन (मिजोरम) से कोलकाता विमानपत्तन तक** तक किया गया है। • इसी प्रकार, मालवाहक वायुयान द्वारा कृषि उत्पादों का परिवहन **गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से हांगकांग तक किया गया है।** गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सीमा शुल्क, पादपों के लिए क्वारंटाइन और अन्य आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

5. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce)

5.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

5.1.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive scheme (PLI) for White Goods (air conditioners and Led lights) Manufacturers in India}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• व्हाइट गुड्स की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और** व्यापक निवेश को आकर्षित करना।
• **क्षेत्रगत कमियों का निवारण करना, उन्हें वृहद पैमाने पर किफायती बनाना, निर्यात में वृद्धि करना,** एक सुदृढ़ घटक परिवेश का निर्माण करना और रोजगार का सृजन करना।
	• **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
	• इस योजना को **वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक** 6,238 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
	• योजना के तहत एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स के घटकों के विनिर्माण में संलग्न कंपनियों/इकाइयों को सहायता प्रदान की जाएगी।
	• **प्रोत्साहन:** पात्र कंपनियों को आधार वर्ष के आगामी पांच वर्षों और एक वर्ष की उत्पादन पूर्व अवधि के लिए लक्षित खंड के तहत कवर होने वाली तथा भारत में विनिर्मित वस्तुओं के आधार वर्ष से ऊपर की अवधि में **वृद्धिशील बिक्री (करों को घटाकर) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा।
	• **पात्रता:**
	  ○ योजना के तहत भारत में लक्षित खंडों में विनिर्माण के लिए **ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड निवेश** करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
	  ○ कंपनियों की पात्रता विभिन्न लक्षित खंडों के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा किए जाने के अधीन होगी।
	  ○ **पात्रता**, संबंधित वर्ष के लिए आधार वर्ष के पश्चात् विनिर्मित वस्तुओं (व्यापार की गई वस्तुओं से भिन्न) के **संचयी वृद्धिशील निवेश और वृद्धिशील बिक्री** (करों को घटाकर) **की सीमा के अधीन** होगी।
	  ○ **आधार वर्ष: इस योजना के तहत** वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना गया है।
	  ○ **निवेश का प्रथम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 होगा तथा वृद्धिशील बिक्री का प्रथम वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा।** संबंधित वर्ष के लिए PLI का वास्तविक संवितरण उस वर्ष के पश्चात् किया जाएगा।
	• **इस योजना में वित्तपोषण सीमित** है और लक्ष्य से अधिक उपलब्धि के मामले में भी प्रोत्साहनों का कुल भुगतान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि तक सीमित होगा।
	• मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries: EGoS) PLI योजना की निगरानी करेगा।

5.1.2. स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (Start Up India Seed Fund Scheme)*

उद्देश्य	पात्रता	प्रमुख विशेषताएं
• इस फंड का उद्देश्य स्टार्ट-अप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप	• **स्टार्ट-अप्स के लिए पात्रता: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**	• इस योजना की घोषणा **'प्रारंभ: स्टार्ट-अप इंडिया इंटरनेशनल समिट'** में की गई थी।

© Vision IAS

विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये स्टार्ट-अप्स उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जहां वे एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश प्राप्त कर सकेंगे या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त प्राप्त कर सकेंगे।	**(DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक स्टार्ट-अप,** जो निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करते हैं: ○ जो आवेदन करने के समय दो वर्ष से अधिक पहले से निगमित न हो और जिसके द्वारा केंद्र सरकार / राज्य सरकारों से 10 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक सहायता (पुरस्कार राशि को छोड़कर) प्राप्त नहीं की गई हो। ○ इनसे अपेक्षा की जाती है कि इनके पास उत्पाद या सेवा विकसित करने के लिए **एक व्यावसायिक विचार हो,** जो बाजार के लिए उपयुक्त हो, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो और जिसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रवर्धन की संभावना हो। ○ सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, आवाजाही, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, वस्त्र आदि जैसे क्षेत्रकों में अभिनव समाधानों का निर्माण करने वाले स्टार्ट-अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। • **इन्क्यूबेटर्स के लिए पात्रता मानदंड:** ○ इन्क्यूबेटर्स का एक विधिक इकाई (सोसाइटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या वैधानिक निकाय) होना अनिवार्य है। ○ **इन्क्यूबेटर्स को इस योजना के लिए आवेदन करने की तिथि तक कम से कम दो वर्षों से परिचालन में** होना चाहिए। ○ **उनके पास कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था** होनी चाहिए। ○ आवेदन की तिथि तक **इन्क्यूबेटर में** कम से कम 5 स्टार्ट-अप्स भौतिक रूप से इनक्यूबेशन कर रहे हों।	वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक भारत भर में पात्र इन्क्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्ट-अप्स को 945 करोड़ रुपये का कोर सीड फंड वितरित किया जाएगा। • इस योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (Expert Advisory Committee: EAC)** का गठन किया जाएगा। • **स्टार्ट-अप 70 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं:** ○ चयनित इनक्यूबेटरों को उनके स्टार्ट-अप्स की अवधारणा की प्रमाणिकता या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या प्रॉडक्ट ट्रायल के सत्यापन के आधार पर, 20 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ○ बाजार में प्रवेश करने के लिए, व्यावसायीकरण या परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण से जुड़े उपकरणों के माध्यम से खुद को बढ़ावा देने के लिए उनके स्टार्ट-अप्स में 50 लाख रुपये तक का निवेश प्रदान किया जाएगा। • **इन्क्यूबेटरों को अनुदान के रूप में 5 करोड़ रुपये तक प्राप्त होंगे:** ○ अनुदान की प्रथम किस्त की प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर इनक्यूबेटर द्वारा अनुदान का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। ○ यदि इन्क्यूबेटर ने प्रथम 2 वर्षों के भीतर कुल प्रतिबद्धता का कम से कम 50% उपयोग नहीं किया है, तो इनक्यूबेटर **आगामी किस्त का आहरण करने के लिए पात्र नहीं** होंगे। **नोट: भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र** है, जिसने विभिन्न उदीयमान उद्यमियों को उनकी नवीन तकनीकों में सहयोग प्रदान कर उन्हें बड़े निगम बनने में सहायता की है।

VISION IAS

5.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in news)

5.2.1. स्टार्ट-अप इंडिया (Startup India)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना को जनवरी 2021 में **5 वर्ष** पूर्ण हो गए हैं।

उद्देश्य	पात्रता	प्रमुख विशेषताएं
• देश में नवाचार और स्टार्ट-अप्स के पोषण के लिए एक सुदृढ़ इको-सिस्टम का निर्माण करना।	• स्टार्ट-अप की मान्यता के लिए **पात्रता मानदंड** निम्नानुसार हैं: ○ स्टार्ट-अप को एक **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित होना** चाहिए या एक **साझेदारी फर्म या एक सीमित देयता भागीदारी (limited liability partnership) के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए। ○ विगत किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार (**टर्नओवर) 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं** होना चाहिए। ○ किसी इकाई को उसके **निगमीकरण की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने तक ही उसे** स्टार्ट-अप माना जाएगा। ○ स्टार्ट-अप को **मौजूदा उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के नवाचार / सुधार की दिशा में कार्य** करना चाहिए और इसमें **रोजगार / धन सृजित करने की क्षमता** होनी चाहिए। (पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या इसके पुनर्निर्माण के माध्यम से निर्मित किसी इकाई को "स्टार्ट-अप" नहीं माना जाएगा।)	• **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। **नोट:** • **फंड ऑफ फंड्स का अभिप्राय:** सरकार द्वारा **डॉटर फंड** के रूप में ज्ञात सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड) में पंजीकृत **वैकल्पिक निवेश कोषों (Alternate Investment Funds: AIFs)** की पूंजी में भागीदारी की जाती है, जिसके प्रतिफल में AIF द्वारा इक्विटी / इक्विटी से संबद्ध लिखतों के माध्यम से भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश किया जाता है। ○ **कर छूट:** ▪ यदि परिसंपत्ति खरीद हेतु पात्र स्टार्ट-अप में पूंजी का निवेश किया जाता है, तो आवासीय घर/भूखंड की बिक्री से उत्पन्न **पूंजीगत लाभ** पर कर छूट प्रदान की जाएगी। ▪ यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फंड में निवेश (अधिकतम निवेश 50 लाख रुपये) किया गया है, तो **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर** कर छूट प्रदान की जाएगी। ▪ **आयकर छूट:** निगमन के पश्चात् से 7 वर्षों में किन्हीं भी क्रमानुगत 3 वर्षों के लिए। ▪ **एंजेल टैक्स:** स्टार्ट-अप के फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक निवेश पर आरोपित होगा। नए नियमों के तहत, एक स्टार्ट-अप द्वारा जारी किए गए शेयरों के लिए समग्र निवेश 10 करोड़ रुपये की पूर्व की सीमा से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हाल ही में, आयकर अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, किसी स्टार्ट-अप की शेयर पूंजी में न्यूनतम 50% धारिता या मतदान अधिकार संबंधी शर्त को 25% कर दिया गया है।

यह कार्यवाही योजना तीन स्तंभों पर आधारित है

सरलीकरण एवं समर्थन/मार्गदर्शन

1. स्टार्ट–अप्स के लिए **स्वप्रमाणीकरण आधारित सरल अनुपालन पद्धति की शुरुआत,** जिससे स्टार्ट–अप्स पर विनियामकीय भार को कम किया जा सके व अनुपालन लागत भी कम रहे।
2. स्टार्ट–अप्स की सहायता के लिए **स्टार्ट–अप इंडिया हब।**
3. **अनुपालन व सूचना के आदान प्रदान** के लिए मोबाइल एप्प व पोर्टल का निर्माण।
4. कम लागत **पर विधिक सहायता व पेटेंट परीक्षण की फ़ास्ट ट्रैकिंग।**
5. स्टार्ट–अप्स के लिए **सार्वजनिक खरीद के मानकों में ढील।**
6. स्टार्ट–अप्स के लिए **तीव्र निकासी (फास्टर एग्जिट) की व्यवस्था (90 दिनों के भीतर)।**

उद्योग–शिक्षा जगत भागीदारी एवं इनक्यूबेशन

7. नवाचार को प्रदर्शित करने व सहभागिता मंच प्रदान करने के लिए **स्टार्ट–अप्स फेस्ट** का आयोजन।
8. नीति आयोग द्वारा स्व–रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु/SETU) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (AIM) की शुरुआत।
9. स्टार्ट–अप्स इनक्यूबेटर्स की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के अनुभव का लाभ उठाना।
10. राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार केंद्रों की स्थापना।
11. IIT मद्रास में रिसर्च पार्क पर आधारित **7 नए रिसर्च पार्क की स्थापना।**
12. **जैव प्रौद्योगिकी** क्षेत्र में स्टार्ट–अप को बढ़ावा देना।
13. छात्रों के लिए **नवाचार केंद्रित कार्यक्रमों का शुभारंभ।**
14. इन्क्यूबेटर्स के बीच उत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए **वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज।**

वित्तीय समर्थन एवं प्रोत्साहन

15. 10,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ **'स्टार्ट–अप के लिए फंड ऑफ फंड्स'** स्थापित किया गया है, जिसे **सिडबी** द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
16. सिडबी के माध्यम से स्टार्ट–अप्स के लिए **क्रेडिट गारंटी फंड।**
17. **पूंजीगत लाभ पर कर छूट।**

5.2.2. मेक इन इंडिया (Make in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने घरेलू क्षेत्रक से खरीद के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के **पूंजी अधिग्रहण बजट के तहत अपने आधुनिकीकरण कोष का 64 प्रतिशत भाग निर्धारित** किया है। इससे **'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन** प्राप्त होगा।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य और विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार में एक वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना।	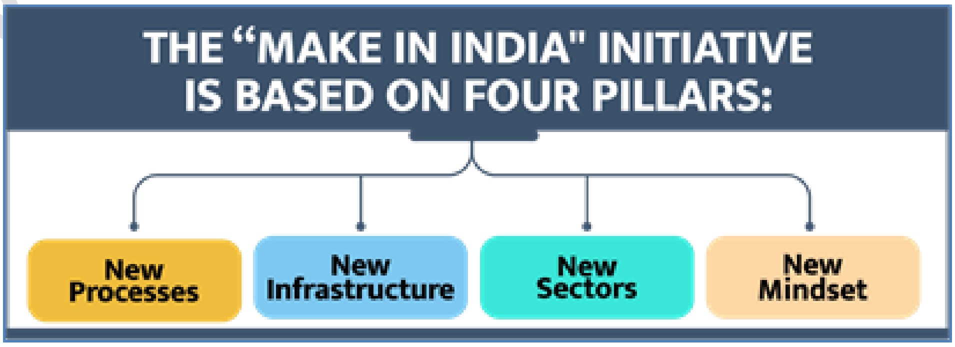 • "मेक इन इंडिया" पहल निम्नलिखित चार स्तंभों पर आधारित है: ○ **नई प्रक्रियाएँ:** यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **'व्यवसाय करने में सुगमता'** (ease of doing business) को एकल सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

	○ **नई अवसंरचना:** सरकार औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटी का विकास करने तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना और उच्च गति वाली संचार व्यवस्था का निर्माण करने की इच्छुक है। तीव्र पंजीकरण प्रणाली और IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) पंजीकरण हेतु बेहतर अवसंरचना के माध्यम से नवाचार एवं अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ○ **नए क्षेत्रक:** रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे अवसंरचना को वृहद पैमाने पर FDI के लिए खोल दिया गया है। ○ **नई सोच:** देश के आर्थिक विकास में उद्योग को भागीदार बनाने के लिए सरकार सहायक की भूमिका निभाएगी न कि विनियामक की। मेक इन इंडिया अभियान के लिए वर्ष 2014 में एक **समर्पित निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ (Investor Facilitation Cell: IFC)** का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश के पूर्व के चरण और निवेश की अवधि से लेकर निवेश के उपरांत तक विनियामकीय अनुमोदन, स्वीकृति व देखभाल सेवाओं के लिए निवेशकों की सहायता करना है। • **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) 15** विनिर्माण क्षेत्रकों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि **वाणिज्य विभाग 12** सेवा क्षेत्रकों का समन्वय करता है। • **योजना के तहत लक्ष्य:** ○ मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्रक में **12-14% प्रतिवर्ष की वृद्धि** करना। ○ वर्ष 2022 तक देश के **सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत** करना। ○ विनिर्माण क्षेत्रक में **वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार** सृजित करना।

5.2.3. निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम** उठाए गए हैं।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **निर्यात अवसंरचना में व्याप्त अंतराल को समाप्त** कर, केन्द्रित निर्यात अवसंरचना का सृजन, निर्यातोन्मुख परियोजनाओं हेतु आरंभ से अंत तक कनेक्टिविटी तथा गुणवत्ता और प्रमाणीकरण मानकों का निर्धारण कर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।	• यह योजना सीमावर्ती हाटों, शीत श्रृंखला, ड्राई पोर्ट्स आदि जैसे निर्यात लिंकेज के साथ नवीन अवसंरचनाओं के सृजन तथा **मौजूदा अवसंरचनाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान** करेगी। • इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार की एक्ज़िम नीति के तहत मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषद, कमोडिटी बोर्ड्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण और शीर्ष व्यापार निकाय सहित केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियां **वित्तीय सहायता** प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। • **केंद्र सरकार** द्वारा प्रदत्त वित्तपोषण को अनुदान सहायता **के रूप में प्रदान किया जाएगा**, हालांकि यह सामान्यत: कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना की कुल इक्विटी के 50% (प्रत्येक अवसंरचना परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए) से अधिक नहीं होगा। ○ उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है।

© Vision IAS

5.2.4. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

भारत से सेवा निर्यात योजना (Service Exports from India Scheme: SEIS)	• इसे एक पूर्ववर्ती योजना **"भारत से सेवित योजना"** को प्रतिस्थापित करते हुए **विदेश व्यापार नीति (FTP), 2015-20** के तहत आरंभ किया गया था। जून 2020 में, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण **SEIS की वैधता अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया** गया था। • **उद्देश्य:** भारत से **अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित और अधिकतम** करना। • SEIS 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' की बजाय 'भारत में अवस्थित **सेवा प्रदाताओं'** पर लागू होगी। इस प्रकार SEIS द्वारा **अधिसूचित सेवाओं** के सभी सेवा प्रदाताओं को (जो भारत से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं) उनके संगठन या रूपरेखा पर ध्यान दिए बिना प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। • SEIS के तहत, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को उनकी निवल विदेशी मुद्रा आय पर 3% या 5% की दर से **ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया** जाता है। ये SEIS स्क्रिप हस्तांतरणीय होते हैं और इसका उपयोग कई केंद्रीय शुल्कों/करों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें सीमा शुल्क भी शामिल है।
इन्वेस्ट इंडिया बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म (Invest India business immunity platform)	• इस मंच को **इन्वेस्ट इंडिया** ने व्यवसायों और निवेशकों को भारत द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रति की जा रही सक्रिय प्रतिक्रिया के बारे में रियल टाइम अपडेट प्राप्त करने में सहायता करने हेतु एक व्यापक संसाधन के रूप में डिजाइन किया गया है। • यह वायरस को नियंत्रित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखता है, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के संबंध में नवीनतम जानकारी प्रदान करता है, विशिष्ट प्रावधानों तक पहुंच प्रदान करता है एवं ईमेल व व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देता है तथा शिकायतों का समाधान उपलब्ध कराता है।

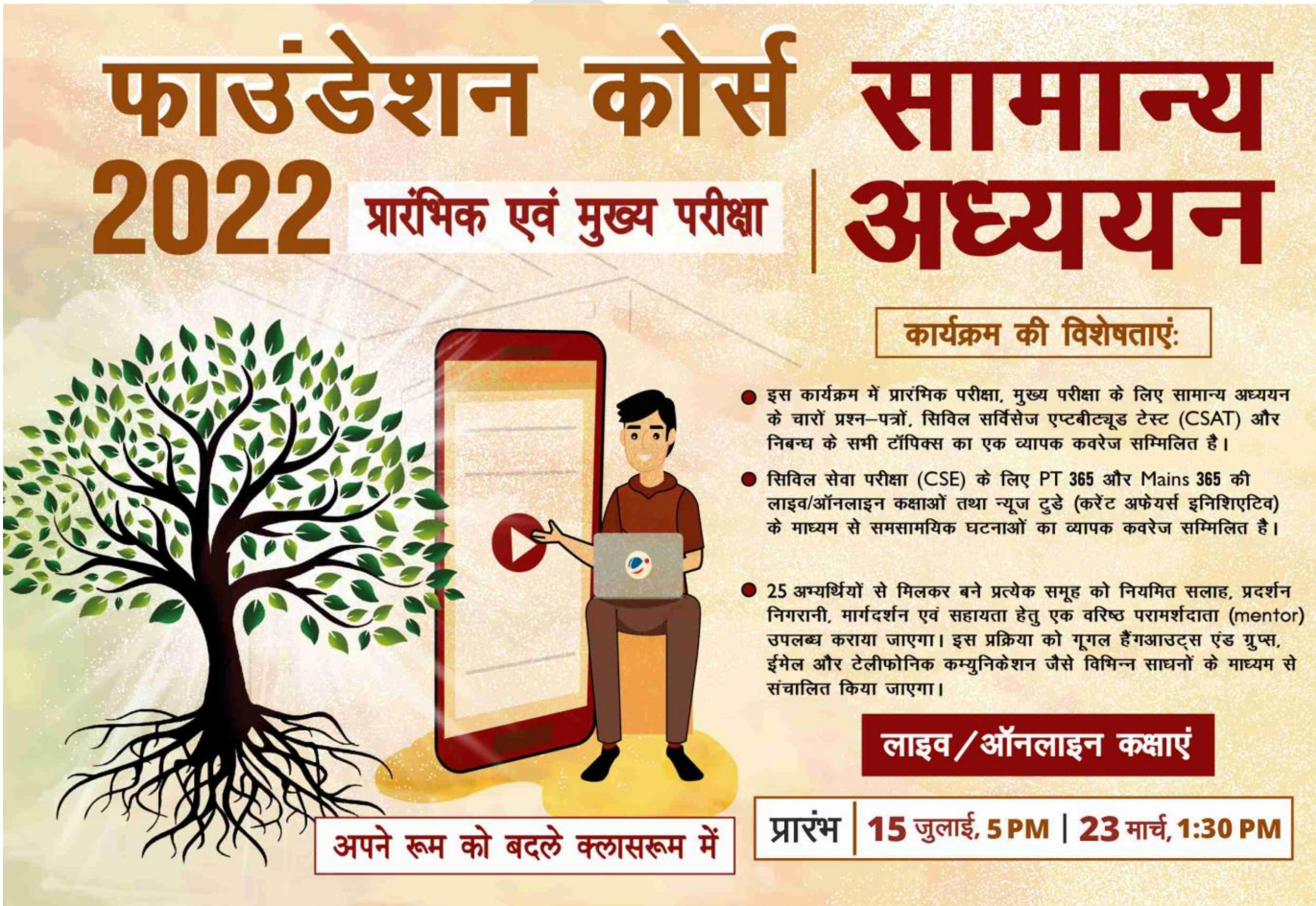

6. संचार मंत्रालय (Ministry of Communication)

6.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

6.1.1. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) scheme for Promoting Telecom & Networking Products}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• **मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित** करने के लिए **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा** देना और **दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के लक्षित क्षेत्रों में निवेश** आकर्षित करना।
• "मेड इन इंडिया" के तहत दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के **निर्यात को बढ़ावा** देना।
	• यह योजना **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** तथा **गैर-MSMEs** (इसमें घरेलू कंपनियों के साथ-साथ वैश्विक कंपनियां भी शामिल हैं) दोनों के लिए उपलब्ध है।
	• इस योजना के तहत पात्रता, **वैश्विक विनिर्माण राजस्व (Global Manufacturing Revenues: GMR)** के लिए **योग्यता मानदंड** के अधीन निम्नानुसार होगी:
	  ○ **वैश्विक कंपनियां:** वैश्विक कंपनियों के लिए GMR आधार वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।
	  ○ **घरेलू कंपनियां:** घरेलू कंपनियों के लिए GMR आधार वर्ष में 250 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।
	  ○ **MSMEs:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए GMR आधार वर्ष में 10 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।
	• इस योजना के तहत पात्रता, **संचयी वृद्धिशील निवेश** और **निवल वृद्धिशील बिक्री** की निर्धारित सीमा के अधीन होगी।
	  ○ **निवेश के लिए आधाररेखा:** दिनांक 31-3-2021 होगी।
	  ○ **बिक्री के लिए आधाररेखा:** वित्तीय वर्ष 2019-20 होगी।
	• **लागू प्रोत्साहन:** आधार वर्ष से 5 वर्ष के लिए MSMEs हेतु 7 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक और अन्य के लिए 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
	• **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** को इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency: PMA)** के रूप में नामित किया गया है।
	• **योजना की अवधि:** यह योजना **1 अप्रैल 2021 से प्रभावी** होगी। निवेश को वार्षिक अर्हक वृद्धिशील सीमा को पूरा करने की शर्त के अधीन 4 वर्ष में किए जाने की अनुमति होगी, तथापि योजना के तहत सहायता 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
	• **मंत्रिमंडल सचिव** की अध्यक्षता में **सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries: EGoS)** PLI योजना की निगरानी करेगा।
	नोट:
	• वैश्विक स्तर पर **दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों का निर्यात लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार संबंधी अवसर प्रदान करता है**, जिसका भारत द्वारा **लाभ** उठाया जा सकता है।
	• इस योजना के साथ भारत वस्तुतः **दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण**

VISION IAS

	के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित होने की दिशा में प्रभावी स्थिति में होगा। इस योजना से आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है। • ऐसा अनुमान है कि इस योजना से **3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश** होगा तथा **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक रोजगार** सृजित होंगे।

6.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

6.2.1. भारत नेट परियोजना (Bharat Net Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फरवरी 2021 में संसद को सूचित किया गया था कि, भारत नेट परियोजना के तहत अभी भी 98,569 पंचायतों को जोड़ना शेष है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **वर्ष 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच सुनिश्चित करना।** • 30 लाख कि.मी. के रूट में वृद्धिशील ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना और **वर्ष 2024 तक टावर घनत्व को प्रति हजार जनसंख्या पर 0.42 टावर से बढ़ाकर 1.0 टावर करना।** • ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और टावर सहित डिजिटल संचार नेटवर्क तथा अवसंरचना का एक डिजिटल फाइबर मैप निर्मित करना। • मोबाइल और इंटरनेट संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना। • **ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करना।** • डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के विस्तार एवं निर्माण में तेजी लाने के लिए अनिवार्य **नीति तथा विनियामकीय परिवर्तनों को संबोधित करना।**	• इसका लक्ष्य सभी **2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान** करना है। • यह **ग्रामीण भारत को ई-गवर्नेंस,** ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट तक पहुँच, G2C, B2B, P2P, B2C आदि तथा मौसम, कृषि संबंधी एवं अन्य सेवाओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। • **'भारत नेट परियोजना,' NOFN (नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क) का नया ब्रांड नाम है,** जिसे निम्नलिखित तीन चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ○ **प्रथम चरण:** इसके अंतर्गत, भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनें बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस प्रकार प्रथम चरण को निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया गया था। ○ **द्वितीय चरण:** इसमें भूमिगत फाइबर, फाइबर ओवर पावरलाइन, रेडियो और सैटेलाइट मीडिया का इष्टतम मिश्रण करके सभी 2,50,500 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। यह चरण मार्च 2019 में लगभग पूर्ण हो गया है। ○ **तृतीय चरण:** यह **वर्ष 2019 से वर्ष 2023** तक कार्यान्वित किया जाएगा। इस दौरान रिंग टोपोलॉजी (व्यर्थ के संचरण को रोकना) के साथ जिलों और ब्लॉकों के मध्य फाइबर केबल्स बिछाये जायेंगे। साथ ही, इसे अत्याधुनिक और भावी अभेद्य नेटवर्क बनाया जाएगा। • इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दूरसंचार विभाग के अधीन स्थापित **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड** नामक विशेष प्रयोजन साधन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • इसका वित्त पोषण **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)** द्वारा किया जा रहा है।

VISION IAS

7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

7.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution)

7.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {National Food Security Act (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने अपने हालिया चर्चा पत्र में अधिनियम में कुछ संशोधनों को प्रस्तावित किया है।

उद्देश्य	पात्रता	प्रमुख विशेषताएं
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडीकृत मूल्य {जिसे **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है} पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों"** के संबंधित व्यक्तियों को **कानूनी अधिकार प्रदान करना।**	अधिनियम के तहत पात्र परिवारों में **दो श्रेणियां शामिल हैं:** • **प्राथमिकता प्राप्त परिवार: प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा.** खाद्यान्न के लिए पात्र है। • **अंत्योदय अन्न योजना (निर्धनतम) के अंतर्गत आने वाले परिवार: ये प्रति माह 35 किलोग्राम** के लिए पात्र हैं।	• **वर्तमान में CIP:** चावल 3 रुपये प्रति किग्रा, गेहूं 2 रुपये प्रति किग्रा और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किग्रा। • **कवरेज:** NFSA के तहत देश की **67 प्रतिशत** आबादी को कवर किया गया है। इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी (कुल 81.35 करोड़ व्यक्ति) शामिल हैं। NFSA के तहत राज्यवार कवरेज तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा **वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग** करके निर्धारित किया गया था। • **जीवन-चक्र दृष्टिकोण:** गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे, समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) केंद्रों के व्यापक नेटवर्क जिन्हें आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है और मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से भी मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। • 6 वर्ष तक के **कुपोषित बच्चों** के लिए **उच्च पोषण मानदंड निर्धारित** किए गए हैं। • **मातृत्व लाभ:** गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए और साथ ही, पोषण के पूरक के लिए कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है • **खाद्य सुरक्षा भत्ता:** खाद्यान्न की हकदार मात्रा की आपूर्ति नहीं होने पर दिया जाता है। इसका प्रावधान **खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015** के तहत किया गया है। • **केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी को परिभाषित करता है।** ○ **केंद्र:** राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को अपेक्षित खाद्यान्नों का आवंटन, प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों की ढुलाई और भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) तक

© Vision IAS
VISION IAS

		खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना केंद्र की जिम्मेदारी है ○ **राज्य / संघ राज्यक्षेत्र:** इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य / संघ राज्यक्षेत्र उत्तरदायी हैं। इसमें अन्य विषयों के साथ-साथ पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण करना, उचित मूल्य की दुकानों को लाइसेंस जारी करना और उनकी निगरानी करना, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनिवार्य सुदृढीकरण करना शामिल है।

7.1.2. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card: ONORC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC)** के लाभार्थियों की सहायता के लिए योजना के तहत **'मेरा राशन एप्प' (Mera RATION App)** लॉन्च किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को यह जांचने की अनुमति देता है कि वे किसके पात्र / हकदार हैं। साथ ही, यह निकटवर्ती राशन की दुकानों का पता लगाने आदि में भी सहायता प्रदान करेगा। ध्यातव्य है कि यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का भी समर्थन करता है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को **राष्ट्रीय / अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पोर्टेबिलिटी** की सुविधा को संभव बनाया जा रहा है। • कोई भी निर्धन व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करता है, तो भी वह खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा।	• यह योजना वर्ष 2019 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आरम्भ की गई थी: ○ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभार्थियों, **विशेष रूप से प्रवासियों को देश भर में अपनी पसंद की किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन (गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न) प्राप्त हो सके।** ▪ वर्तमान व्यवस्था के तहत, राशन कार्डधारक केवल उस क्षेत्र में PDS से खाद्यान्न खरीद सकता है जहां वह निवासित है। राष्ट्रीय स्तर पर 'ONORC' प्रणाली के क्रियान्वयन के पश्चात् यह व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। ○ विभिन्न राज्यों से लाभ प्राप्त करने के लिए बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार और राशन कार्ड में धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना। ○ **देश में भुखमरी से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम करना** तथा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग में और सुधार करना। • लाभार्थियों की पहचान इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस के माध्यम से उनके **आधार कार्ड आधारित पहचान** के अनुसार की जाएगी। • **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)** पोर्टल (http://www.impds.nic.in/) राशन कार्डों की **अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी** के लिए तकनीकी मंच प्रदान करता है। इससे प्रवासी श्रमिक देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से खाद्यान्न खरीद सकते हैं। • एक राज्य के भीतर e-PoS उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण के डेटा को होस्ट/संयोजित करता है। • बजट 2021-22 में, सरकार ने घोषणा की थी कि ONORC योजना 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात् कुल लाभार्थियों का

VISION IAS

	लगभग 86%) तक विस्तारित की जा रही है। ○ **शेष चार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल) को आगामी कुछ महीनों में इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।** **नोट:** केंद्र ने वर्ष 2020-21 में राज्यों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के **3% से बढ़ाकर 5%** कर दिया है। हालांकि, GSDP के 3.5% से अधिक की वृद्धिशील उधारी राज्यों द्वारा किए गए सुधारों से संबद्ध है, जिनमें शामिल हैं: • ONORC का सार्वभौमिकरण। • व्यवसाय करने की सुगमता सुधार। • विदयुत वितरण सुधार। • शहरी स्थानीय निकाय सुधार।

7.1.3. अंत्योदय अन्न योजना {Antyodaya Anna Yojana (AAY)}

उद्देश्य	अभिप्रेत लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• निर्धनों में भी निर्धनतम आबादी को लक्षित करना और उन्हें भुखमरी से राहत प्रदान करना।	• भूमिहीन खेतिहर श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत दैनिक रूप से आजीविका अर्जित करने वाले श्रमिक। • ऐसे परिवार जिनका मुखिया कोई विधवा या गंभीर रूप से रुग्ण व्यक्ति (terminally ill persons)/दिव्यांगजन/60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है और जिनके पास निर्वाह योग्य या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन उपलब्ध नहीं है। • सभी आदिम जनजातीय परिवार। • निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले सभी HIV संक्रमित व्यक्तियों के परिवार।	• यह योजना राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में से **अत्यंत निर्धन परिवारों** को शामिल करती है और उन्हें अत्यधिक सब्सिडीकृत दर पर अर्थात् 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराती है। • **AAY, NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का एक अवयव** भी है और AAY के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होते हैं। • **राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को वितरण लागत वहन करनी होती है। इसमें विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत** भी सम्मिलित होती है।

7.1.4. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• निर्धन परिवारों की पहचान करना और उन्हें विशेष रूप से सब्सिडीकृत कीमतों पर खाद्यान्न, चावल और/ या गेहूं उपलब्ध कराना।	• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) अखिल भारतीय स्तर पर देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के लिए अत्यधिक सब्सिडीकृत खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार, TPDS के अंतर्गत **समावेशन को निर्धनता के अनुमानों से पृथक** कर दिया गया है।	• इसका संचालन केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) की सरकारों के **सामूहिक उत्तरदायित्व** के अंतर्गत किया जा रहा है। • **केंद्र सरकार** खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के निर्दिष्ट डिपो तक उनके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। • **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें** राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन और वितरण के लिए परिचालन संबंधी उत्तरदायित्वों, पात्र लाभार्थियों की पहचान,

 © Vision IAS

		उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा **उचित मूल्य की दुकानों (FPS)** की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। • थोक विक्रेताओं / खुदरा विक्रेताओं के लिए लाभ, परिवहन शुल्क, स्थानीय करों आदि को ध्यान में रखते हुए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंतिम खुदरा मूल्य तय किया जाता है। • **TDPS (नियंत्रण) आदेश, 2015 और PDS (नियंत्रण) आदेश, 2001,** यह निर्धारित करते हैं कि राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करना आवश्यक है। • **TPDS (नियंत्रण) आदेश, 2015** और **NFSA, 2013** के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के साथ लागत साझा करने के आधार पर **'TPDS संचालन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण'** पर एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

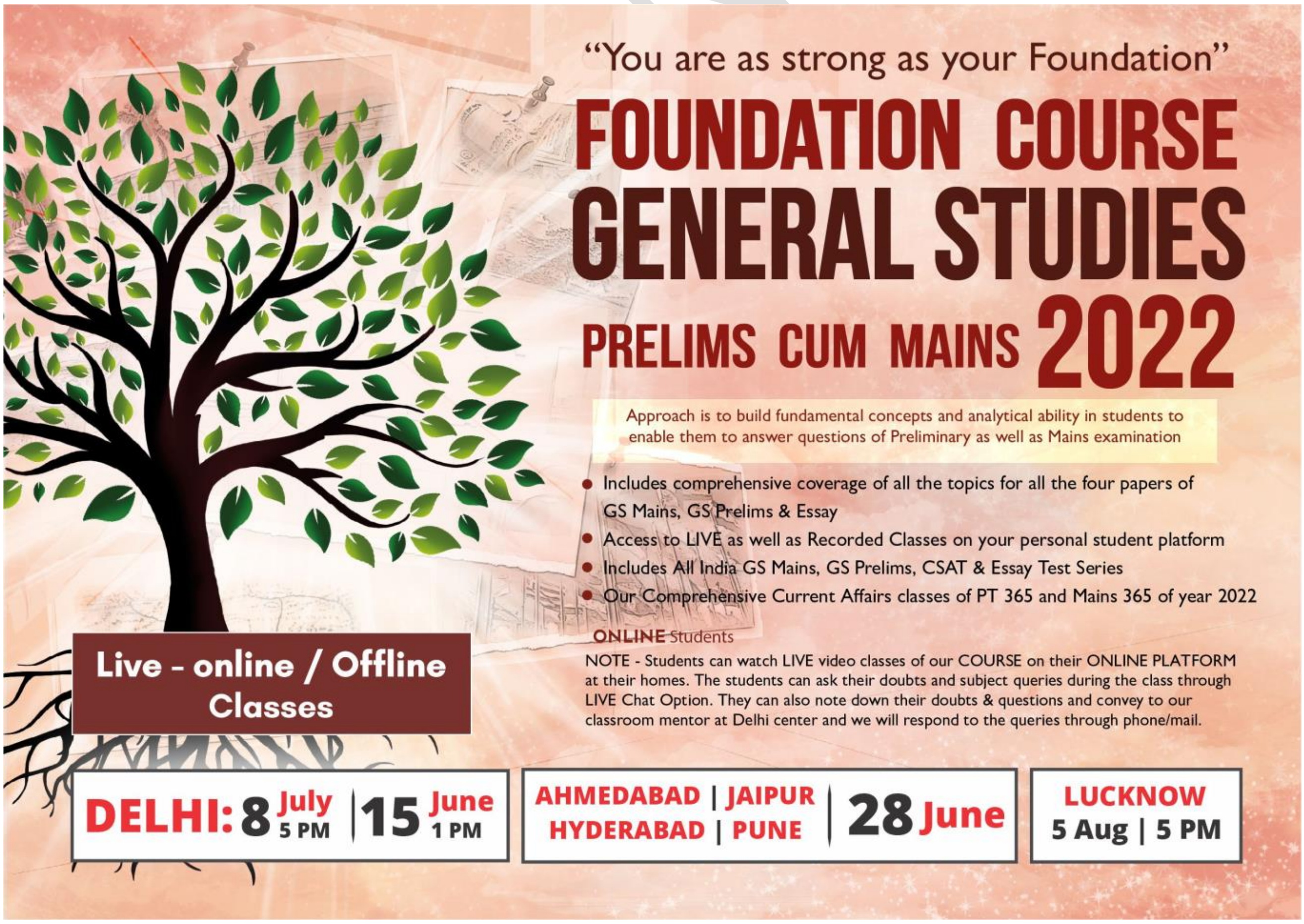

8. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)

8.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

MCA21 परियोजना	• MCA21 (यहां MCA का अर्थ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है) भारत सरकार द्वारा संचालित **प्रथम मिशन मोड ई-गवर्नेंस परियोजना** है। • यह कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और भारत के नागरिकों तक **MCA सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच को बनाए रखने में मदद करता है।** • **MCA21 3.0** को वित्तीय वर्ष 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा। ○ यह एक प्रौद्योगिकी-संचालित परियोजना है, जिसे परियोजना के **प्रवर्तन को मजबूत करने, व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि करने** और विनियामकों के मध्य निर्बाध एकीकरण एवं डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करने हेतु परिकल्पित किया गया है। ○ इसमें **ई-अधिनिर्णयन, ई-परामर्श और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली तथा MCA लैब** के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल को शामिल किया जाएगा: ▪ **MCA** लैब में **कॉर्पोरेट कानून विशेषज्ञ** शामिल होंगे। यह गतिशील/परिवर्तनशील कॉर्पोरेट पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए इन प्रमुख मॉड्यूल द्वारा उत्पादित परिणामों की शुद्धता सुनिश्चित करने में MCA की मदद करेगा। ○ इसमें **एक संज्ञानात्मक चैट बॉट समर्थित हेल्पडेस्क, मोबाइल ऐप एवं इंटरैक्टिव उपयोगकर्ता डैशबोर्ड** शामिल किया जाएगा, जो यू.आई./यू.एक्स. प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाएगा तथा ए.पी.आई. के माध्यम से निर्बाध डेटा प्रसार को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
सीमित दायित्व भागीदारी निपटारा योजना, 2020 (LLP settlement scheme, 2020)	• यह सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships: LLP) के गैर-अनुपालन की स्थिति में एक बारगी भुगतान विलंब की **छूट** प्रदान करती है, ताकि विलंब अवधि के दौरान किसी भी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बिना, लंबित भुगतान की पूर्ति की जा सके। • **एल.एल.पी भागीदारी वस्तुतः फर्म और कंपनी की एक मिश्रित साझेदारी है।** इसमें अत्यल्प अनुपालन और सीमित देयता पर अधिक बल दिया जाता है तथा यह विशेषता इसे एक लोकप्रिय/अपनाए जाने योग्य व्यावसायिक संरचना के रूप में स्थापित करती है।

© Vision IAS

9. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

9.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

9.1.1. रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना {Defence Testing Infrastructure (DTI) Scheme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **इसका उद्देश्य** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा स्टार्ट-अप्स की भागीदारी पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ **स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा** देना है। साथ ही, देश में रक्षा परीक्षण अवसंरचना में व्याप्त अंतराल को भी समाप्त करना है।	• यह योजना **पांच वर्ष** की अवधि के लिए प्रारंभ की गई है। • इसे निजी उद्योग के साथ साझेदारी में **6-8 नई परीक्षण सुविधाएं** स्थापित करने के लिए परिकल्पित किया गया है। ○ इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी। फलस्वरूप **सैन्य उपकरणों के आयात में कमी आएगी** और देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी। • प्रत्येक रक्षा परीक्षण अवसंरचना (DTI) को एक **विशेष प्रयोजन साधन (SPV) के माध्यम से** स्थापित किया जाएगा, जो इस हेतु एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। • केवल भारत में पंजीकृत **निजी संस्थाएं और राज्य सरकार की एजेंसियां** ही SPV के सृजन हेतु पात्र होंगी। • योजना के अंतर्गत SPV को **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत पंजीकृत किया जाएगा। • **इस योजना के तहत SPV को ही सभी संपत्तियों के संचालन और रखरखाव** का दायित्व प्रदान किया जाएगा। हालांकि, SPV ऐसे दायित्वों को उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करके स्व-संधारणीय तरीके से ही प्रबंधित कर सकता है। • **अनुदान:** योजना के तहत परियोजनाओं को 'अनुदान-सहायता' के रूप में परियोजना लागत का 75% सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत हिस्सा SPV द्वारा वहन किया जाएगा। • **परीक्षण किए गए उपकरण/प्रणालियों** को उपयुक्त प्रत्यायन के अनुसार **प्रमाणित** किया जाएगा। • हालांकि अधिकांश परीक्षण सुविधाओं को मुख्यतः दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (Defence Industrial Corridors: DIC) में स्थापित किए जाने की संभावना है। यह **योजना केवल DIC में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है।**

9.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes In News)

9.2.1. वन रैंक वन पेंशन योजना (One Rank One Pension Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी है और हाल ही में इसने अपने पाँच वर्ष पूर्ण कर लिए हैं (हालांकि, इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था)।

VISION IAS

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी हो, **समान पेंशन** प्रदान करना। • समय-समय पर वर्तमान और भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के बीच के अंतर को समाप्त करना।	• बकाया राशि का भुगतान **चार अर्धवार्षिक किस्तों** में किया जाएगा। हालांकि, शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं सहित **सभी विधवाओं** को बकाया राशि का भुगतान **एकमुश्त किया जाएगा।** • समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन पुनर्निर्धारित की जाएगी। यह वर्ष 2013 की न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के औसत के रूप में होगी। • **स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त (VRS) होने वाले कर्मियों** को OROP योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। • पेंशन की राशि प्रत्येक 5 वर्ष में पुनः निर्धारित की जाएगी। • OROP से पूर्व, वेतन आयोग की उस समय की संस्तुतियों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को तब से पेंशन प्रदान की जाती थी, जब वे सेवानिवृत्त हुए थे।

10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry Of Earth Sciences)

10.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

10.1.1. वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (Atmosphere and Climate Research – Modelling, Observing Systems and Services: ACROSS)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा समीक्षा की गई है।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr>
<td>मौसम और जलवायु संबंधी विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना तथा वास्तविक समय में मौसम, जलवायु तथा अन्य जोखिमपूर्ण घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार के लिए अनुसंधान व विकास के संचालन पर बल देना। इसके लिए आवश्यक है:

प्रेक्षण प्रणालियों को बढ़ावा देना तथा मौसम और जलवायु मॉडल में इन्हें सम्मिलित करना।
क्षेत्रीय अभियानों के माध्यम से भौतिक प्रक्रियाओं को समझना।
सभी पैमानों पर पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल के विकास और संचालन पर बल देना।
विज्ञान संबंधी ज्ञान को सेवा में उपयोग करना और उसे समाज तक पहुँचाना।
आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार और उसका अधिग्रहण करना।

</td>
<td>

यह वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए प्रारंभ की गई एक छत्र (अम्ब्रेला) योजना है।
इसमें मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं से संबद्ध अनुसंधान एवं विकास तथा परिचालन गतिविधियों को शामिल किया गया है।
इसे निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD);
भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology: IITM), पुणे; तथा
राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (National Centre for Medium Range Weather Forecasting: NCMRWF)।

ACROSS के अंतर्गत संचालित नौ उप-योजनाएं, इस प्रकार हैं:

<table>
<tr><th>Sub-Schemes</th><th>Implementing Institution</th></tr>
<tr><td>Commissioning of Polarimetric Doppler Weather Radars (DWRs)</td><td>IMD</td></tr>
<tr><td>Upgradation of Forecast System</td><td>IMD</td></tr>
<tr><td>Weather & Climate Services</td><td>IMD</td></tr>
<tr><td>Atmospheric Observations Network</td><td>IMD</td></tr>
<tr><td>Numerical Modelling of Weather and Climate</td><td>NCMRWF</td></tr>
<tr><td>Monsoon Mission II including High Resolution (12km) global ensemble forecast system (NITI Aayog identified activity)</td><td>IITM</td></tr>
<tr><td>Monsoon Convection, Clouds and Climate Change(MC4)</td><td>IITM</td></tr>
<tr><td>High Performance Computing System (HPCS)</td><td>IITM</td></tr>
<tr><td>National Facility for Airborne Research (NFAR)</td><td>IITM</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

10.1.2. राष्ट्रीय मानसून मिशन (National Monsoon Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रालय ने इसके दूसरे चरण की उपलब्धियों की एक रूपरेखा तैयार की है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **गतिशील मानसून पूर्वानुमान प्रणाली** के लिए एक अत्याधुनिक प्रणाली विकसित करना। ○ छोटी अवधि (1-10 दिन) के लिए; ○ मध्यम अवधि (10-30 दिन) के लिए; तथा ○ दीर्घ अवधि (एक ऋतु तक) के लिए। • अप्रत्याशित घटनाओं के पूर्वानुमान हेतु एक प्रणाली विकसित करने के लिए **भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच साझेदारी** को बढ़ावा देना। • **सामाजिक प्रभावों** (जैसे- कृषि, बाढ़ पूर्वानुमान आदि) **वाले जलवायु अनुप्रयोगों के लिए एक प्रणाली** विकसित करना। • प्रतिरूप पूर्वानुमानों (model predictions) हेतु उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तैयार करने के लिए **एडवांस डेटा एसिमिलेशन सिस्टम** का प्रयोग करना।	• इस मिशन को वर्ष 2012 में आरंभ किया गया था तथा **इसके प्रथम चरण को वर्ष 2017 तक कार्यान्वित किया गया था।** • **पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान,** इस मिशन के निष्पादन और समन्वय हेतु उत्तरदायी एक प्रमुख निकाय है। • **दीर्घ अवधि के पूर्वानुमान (एक ऋतु तक) के लिए:** इस हेतु जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (Climate Forecast System: CFS) नामक एक अमेरिकी मॉडल का उपयोग किया जाता है। यह एक महासागरीय युग्मन वायुमंडलीय मॉडलिंग प्रणाली है, अर्थात् यह महासागर, वायुमंडल और भूमि से प्राप्त डेटा को शामिल करती है। • **लघु से मध्यम अवधि के लिए:** इस हेतु ब्रिटेन द्वारा विकसित एकीकृत मॉडल (Unified Model: UM) का उपयोग किया जाता है। • **उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM)** के संवर्धन ने परिचालन मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम और जलवायु मॉडलिंग में एक आदर्श परिवर्तन प्राप्त करने में मदद की है। • **NMM चरण II (वर्ष 2017-2020):** इस चरण के अंतर्गत अप्रत्याशित घटनाओं के पूर्वानुमान और मानसून पूर्वानुमान पर आधारित अनुप्रयोगों के विकास पर बल दिया गया है। **दूसरे चरण की उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** ○ इस चरण के अंतर्गत **मानसून मिशन डायनेमिकल मॉडल** अर्थात् मानसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली (MMCFS) को संचालित किया गया है, ताकि मानसूनी वर्षा और तापमान का परिचालनात्मक मौसमी पूर्वानुमान तैयार किया जा सके। ○ **चक्रवात की निगरानी** और उसकी तीव्रता संबंधी पूर्वानुमान में **सुधार** हुआ है। ○ 12 कि.मी. पर लघु और मध्यम दूरी के पूर्वानुमान के लिए **ग्लोबल एनसेंबल फोरकास्ट सिस्टम (GEFS)** का उपयोग किया गया है। ○ विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय जलवायु केंद्र और **दक्षिण एशिया मौसमी जलवायु आउटलुक मंच (SASCOF)** गतिविधियों के तहत **दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय मौसमी पूर्वानुमान दृष्टिकोण** तैयार किया गया है। ○ विस्तारित दूरी पर मानसून इंट्रा-सीज़नल ऑसीलेशन (MISO) और मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) की निगरानी तथा भविष्यवाणी करने के लिए एक **एल्गोरिथ्म का विकास** किया गया है। ○ संपूर्ण भारतीय नदी बेसिन पर **संभाव्य मात्रात्मक वर्षा पूर्वानुमान (Probabilistic Quantitative Precipitation Forecast)** को क्रियान्वित किया गया है।

10.1.3. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

'नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क' {Knowledge Resource Centre Network (KRCNet)}	• इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित उत्पादों, जैसे- पुस्तक, रिपोर्ट्स, जर्नल्स आदि के लिए **सिंगल-प्वांईट 24x7 पहुँच प्रदान करने हेतु एक एकीकृत सूचना प्रणाली** विकसित करना है। • इसका निष्पादन **डिजिटल इंडिया पहल** के तहत किया जाएगा। • MoES के पारंपरिक पुस्तकालयों को KRC में अपग्रेड किया जाएगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के लिए "मौसम" नामक एक मोबाइल ऐप {Mobile App "Mausam" for India Meteorological Department}	• यह **मौसम की सूचना और पूर्वानुमान** को तकनीकी शब्दावली के बिना **सरल तरीके से** प्रसारित करेगा। • **इसमें निम्नलिखित 5 सेवाएं सम्मिलित हैं:** वर्तमान मौसम (Current Weather) की जानकारी, नाऊकास्ट (Nowcast) (अर्थात् स्थानीय मौसम के बारे में प्रति घंटा चेतावनी), किसी शहर मौसम के बारे में पूर्वानुमान (City Forecast), तथा चेतावनी और रडार उत्पाद।

11. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)

11.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched schemes)

11.1.1. स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' परियोजना (स्टार्स) {Strengthening Teaching-Learning And Results For States Program (STARS)}*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस परियोजना के अंतर्गत **विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से भारतीय विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और मापन गतिविधियों में सुधार लाने की परिकल्पना** की गई है।	• यह **विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त एक परियोजना** है। इसे **केंद्र प्रायोजित एक नई योजना के रूप में** लागू किया जाएगा। • यह परियोजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (National Education Policy, 2020) के उद्देश्यों के साथ संरेखित** है। • इस परियोजना में **6 राज्य**, यथा- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं। • स्टार्स परियोजना के अंतर्गत बेहतर शिक्षा परिणामों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हस्तक्षेपों को अपनाने, उन्हें लागू करने, उनका आकलन करने व उनमें सुधार करने में राज्यों की सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर श्रम बाजार परिणाम के लिए स्कूलों को अपनी रणनीति में बदलाव या सुधार के लिए कार्य करना होगा। 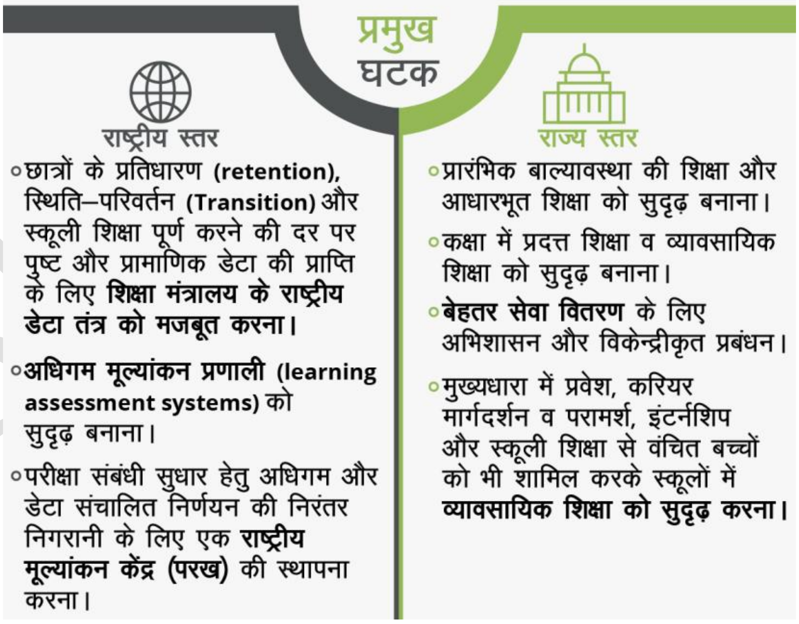

11.1.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम (कपिला अभियान) {Kalam Program for IP Literacy and Awareness (KAPILA) Campaign}	• **बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम (कपिला अभियान)** को पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर प्रारंभ किया गया था। • **बौद्धिक संपदा** द्वारा बौद्धिक रचनाओं को संदर्भित किया जाता है, जैसे कि **आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिज़ाइन** तथा व्यापार में उपयोग किए गए **प्रतीक, नाम एवं चित्र।** ○ **बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों में शामिल हैं:** कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क,

© Vision IAS

	औद्योगिक डिज़ाइन, भौगोलिक संकेतक, व्यापार गोपनीयता (Trade secrets) आदि • **कपिला अभियान** के तहत, **उच्चतर शिक्षण संस्थानों (Higher Educational Institutions: HEIs)** में अध्ययनरत छात्रों को उनके आविष्कारों को पेटेंट कराने हेतु आवेदन प्रक्रिया के उचित तरीके के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।
'सार्थक' पहल (SARTHAQ initiative)	• **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति (सार्थक) {Students' and Teachers' Holistic Advancement through Quality Education (SARTHAQ)}** योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP), 2020 के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप और आगे की राह की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। • यह स्कूली शिक्षा के लिए एक निर्देशात्मक और परामर्श योग्य कार्यान्वयन योजना है। इसे अप्रैल 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले **'अमृत महोत्सव'** के भाग के रूप में जारी किया गया था। • राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को इस योजना को स्थानीय संदर्भ के साथ अनुकूलित करने तथा अपनी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार संशोधित करने की छूट प्रदान की गई है। • 'सार्थक' को **चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना** निर्मित की गई है।

11.2. पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)

11.2.1. प्रधान मंत्री शोध अध्येतावृत्ति योजना (Prime Minister's Research Fellowship: PMRF)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों में **अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना।** • आकर्षक अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) के साथ, इस योजना द्वारा अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नवाचार के माध्यम से विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके।	• इस योजना को **वर्ष 2018-19 में इसकी शुरुआत से सात वर्ष की अवधि के लिए** प्रारंभ किया गया था। • PMRF की पेशकश करने वाले संस्थानों में **सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs); सभी भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISERs); भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और कुछ शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) जो विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी डिग्री प्रदान करते हैं,** शामिल हैं। • उम्मीदवारों का चयन एक कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और उनके प्रदर्शन की समीक्षा एक **राष्ट्रीय सम्मेलन** के माध्यम से की जाएगी। **हाल ही में हुए बदलाव:** • किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय (IISc, IITs, NITs, IISERs, IIEST और IIITs के अतिरिक्त) के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। • 8 या समकक्ष के न्यूनतम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (CGPA) के अतिरिक्त गेट (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) स्कोर की आवश्यकता को 750 से कम करके 650 कर दिया गया है। • प्रत्यक्ष प्रवेश के अतिरिक्त, अब **पार्श्व प्रवेश की अनुमति** भी है, जिसके तहत PMRF अनुदान देने वाले संस्थानों में पी.एच.डी. कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं।

11.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes In News)

11.3.1. मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने और उनकी प्रतिरक्षा का संरक्षण करने में सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने मई 2021 में, **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों (देश भर में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले) को मौद्रिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की थी। यह सहायता मध्याह्न भोजन योजना के खाना पकाने की लागत** घटक के बराबर है।

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

• विद्यालय जाने वाले बच्चों के **नामांकन, प्रतिधारण (अर्थात् बच्चों को स्कूल में बनाए रखना) एवं उपस्थिति** को बढ़ाना तथा साथ ही साथ उनके **पोषण स्तर में सुधार** करना।	• **सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक** के स्कूली बच्चे।
	• **शिक्षा गारंटी स्कीम (EGS)** और **वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (AIE)** के तहत संचालित केन्द्र, **एवं देश भर के सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)** से जुड़े विद्यालय मिड-डे-मील (MDM) के तहत सम्मिलित हैं।
		निगरानी तंत्र
		• शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में **उच्चाधिकार प्राप्त समिति**, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय संचालन सह निगरानी समिति** (NSMC) एवं **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (Program Approval Board: PAB)**
		• राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राज्य संचालन–सह–निगरानी समिति**
		• जिले की लोक सभा के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय समिति।**
		• **स्थानीय स्तर पर** ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं, ग्राम शिक्षा समितियों (VEC's), अभिभावक शिक्षक संघों (Parent Teacher Associations: PTAs) और स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC's) के सदस्य।
		• इसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन युक्त **पका हुआ मध्याह्न भोजन** प्रदान करना निर्धारित किया गया है।
		• इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान **सूखा प्रभावित क्षेत्रों में** प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है।
		• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। हालांकि, इसकी लागत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य साझा की जाती है।
		  ○ केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
		  ○ खाना पकाने, अवसंरचना विकास, खाद्यान्नों के परिवहन और रसोइयों एवं सहायकों को पारिश्रमिक का भुगतान **केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य साझा** किया जाता है। केंद्र सरकार इस राशि का अधिकतम हिस्सा वहन करती है।
		  ○ राज्य सरकारों के योगदान में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता होती है।

हाल ही में संशोधित मानदंड

- **खाना पकाने की लागत को मुद्रास्फ़ीति सूचकांक में होने वाली वार्षिक बढ़ोतरी से संबद्ध किया गया है।** यह MDM योजना के तहत खाद्य वस्तुओं पर मुद्रास्फ़ीति के प्रभाव को समाप्त करेगी।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए परिवहन में आने वाली लागत को संशोधित किया गया है। इसके लिए 75 रुपये प्रति क्विन्टल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विन्टल किया गया है।
- **प्रबंधन निगरानी और आंकलन (Management Monitoring and Evaluation: MME) दर** को संशोधित कर केंद्र द्वारा वहन की जाने वाली सहायता को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया है। यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी करने में सक्षम बनाएगा।
- **रसोई उपकरणों के लिए सहायता** को 5,000 रुपये प्रति स्कूल से **बढ़ाकर** छात्रों की संख्या के आधार पर 10 हजार से 25 हजार रुपये के मध्य किया गया है। इससे स्कूल रसोई उपकरणों की ख़रीददारी करने या उन्हें बदलने में समर्थ हो सकेंगे।
- **दो नए घटकों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, यथा-**
  - **रसोई-सह भंडारगृहों की मरम्मत:** 10 वर्ष से अधिक पुराने रसोई घरों की मरम्मत के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य सहभाजन के आधार पर 10 हजार रुपये प्रति रसोई का एक नया घटक शुरू किया गया है।
  - भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सहयोग से चावल के साथ शुरू करके एक व्यवस्थित रीति से **खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण (fortification)** किया जाएगा। साथ ही, विद्यालयों में किचन गार्डन (अर्थात् विद्यालय परिसर में शाक-सब्जियों को उगाना) को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को मौजूदा दिशा-निर्देशों में अत्यल्प संशोधन के साथ योजना लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है।**
  - इसके अतिरिक्त, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमति से अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के 5 प्रतिशत हिस्से का नए हस्तक्षेपों में उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।
- **अन्य मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **बफर स्टॉक से दालों का उपयोग:** राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्मित बफर स्टॉक से स्थानीय पसंद के अनुसार मिड-डे-मील के लिए दाल खरीद सकते हैं।
  - **उपस्थिति की निगरानी:** सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 100% स्कूलों के डेटा को दैनिक आधार पर ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम (AMS) पर अपलोड किया जाए।
  - **MDM के तहत व्यंजन सूची:** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न तरीकों को अपनाकर एक व्यंजन सूची विकसित करने की आवश्यकता है, जो स्थानीय स्वाद एवं स्थानीय उपज को दर्शाती हो, तथा जो अलग-अलग दिवसों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो।
  - **तिथि भोजन:** इसके तहत समुदाय के लोगों को मिड-डे-मील योजना में योगदान करके बच्चों के जन्म दिन, विवाह जैसे मुख्य दिवसों के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तिथि भोजन मिड-डे-मील का विकल्प नहीं है, बल्कि यह मिड-डे-मील का पूरक है।
  - **मिड-डे-मील के लिए जेलों, मंदिरों और गुरूद्वारों आदि का उपयोग:** सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समुदाय तथा अन्य संरचनाओं, जैसे- जेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों आदि को मिड-डे-मील योजना में शामिल करने की सलाह दी जा रही है।

11.3.2. उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan: UBA)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

जुलाई 2020 में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली और विज्ञान भारती द्वारा एक **त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए गए थे। यह UBA के लिए CSIR की ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा इसके द्वारा भारत के ग्रामीण विकास के लिए UBA के क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त कार्रवाई की नींव रखना अपेक्षित है।

VISION IAS

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध करने हेतु विकासात्मक चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण भारत के लोगों के साथ मिलकर कार्य करने हेतु उच्चतर शिक्षण संस्थानों को समर्थ बनाना।	• **ग्रामीण भारत को उच्चतर शिक्षण संस्थानों से पेशेवर संसाधन समर्थन** प्रदान करना; विशेष रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को। • राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक (विशेष रूप से ग्रामीण भारत हेतु) अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में **संस्थागत क्षमता का निर्माण** करना। • **IIT दिल्ली** को उन्नत भारत अभियान (UBA) के लिए समन्वय संस्थान के रूप में नामित किया गया है। • उन्नत भारत अभियान (2.0) के दूसरे संस्करण के अंतर्गत संस्थानों का चयन एक **चैलेंज मोड** पर किया गया है। साथ ही, इस योजना का विस्तार देश के 750 प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षण संस्थानों (सार्वजनिक और निजी दोनों) तक कर दिया गया है। ○ इस योजना के तहत देश भर के 750 उच्चतर शिक्षण संस्थानों के छात्र गांवों को गोद लेंगे। साथ ही, इसके अंतर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। • इन शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा गांवों को अंगीकार किया जाएगा (दूसरे शब्दों में गोद लेना) और ये छात्र वहाँ लोगों की जीवनशैली एवं उनके समक्ष आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे वार्ता करेंगे।

11.3.3. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्-स्पाइसेज़ (छात्रों के मध्य रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए योजना) {AICTE-SPICES (Scheme for Promoting Interests, Creativity and Ethics among Students)}	• इस योजना द्वारा संस्थानों को छात्रों के हितों, रचनात्मकता और नैतिकता को बढ़ावा देकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु छात्र क्लब विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस क्लब को संस्था के अन्य क्लबों और अन्य संस्थानों के लिए भी एक मॉडल के रूप में कार्य करना चाहिए। • **उद्देश्य:** व्यक्तिगत हितों की खोज, रचनात्मक कार्य, प्रतिभा प्रदर्शन, नेटवर्किंग और टीम वर्क के अवसरों, (सामाजिक अनुभव के लिए); संगठन और प्रबंधन कौशल तथा पेशेवर नैतिकता आदि के बारे में जानकारी के लिए; छात्रों के क्लब/ खण्डों/ समाजों को सक्रिय करना एवं स्थापित करना।
नवाचार संस्थान परिषद- 3.0 {Institution Innovation (Council (IIC 3.0)}	• IIC की स्थापना वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। • **IIC का प्रमुख फोकस** एक जीवंत स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों (Higher Education Institutions: HEIs) में स्टार्ट-अप सहायक तंत्र का निर्माण करना तथा नवाचार उपलब्धियां फ्रेमवर्क (Innovation Achievements Framework) आदि पर संस्थानों की अटल रैंकिंग के लिए संस्थान तैयार करना है। • अब तक **लगभग 1,700 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में IICs की स्थापना की जा चुकी है।** IIC 3.0 के तहत 5,000 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में IIC की स्थापना की जाएगी।

12. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology: MEITY)

12.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

12.1.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।	• **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित तीन मुख्य दृष्टिकोणों पर आधारित है:** ○ प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता (utility) के तौर पर डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराना; ○ मांग आधारित गवर्नेंस और सेवाएं प्रदान करना; तथा ○ नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। • **इस कार्यक्रम के नौ स्तंभ हैं, यथा-** ब्रॉडबैंड हाई-वे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार करना, ई-क्रांति: NeGP 2.0, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ○ **ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना** (NeGP) 2.0 - ई-क्रांति का उद्देश्य परिवर्तनशील और परिणामोन्मुखी ई-गवर्नेंस पहलों को प्रोत्साहित करने हेतु NeGP को पुनः परिभाषित करना, एकीकृत (व्यक्तिगत नहीं) सेवाएं प्रदान करना तथा मुख्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के इष्टतम उपयोग व नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना है। • ई-गवर्नेंस से संबद्ध परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जहां भी संभव हो, **सार्वजनिक निजी भागीदारी** को प्राथमिकता दी जाएगी। • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसकी कार्यक्रम प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे: ○ प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली डिजिटल इंडिया निगरानी समिति, ○ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह; तथा ○ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति (Apex Committee)। • कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में **मुख्य सूचना अधिकारी** (Chief Information Officers: CIO) के पद का सृजन किया जाएगा, ताकि ई-गवर्नेंस की विभिन्न परियोजनाओं का अभिकल्पन, विकास और कार्यान्वयन हो सके। • देश के प्रत्येक हिस्से में डिजिटल इंडिया का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से 2.5 लाख से अधिक **सामान्य सेवा केंद्रों** (Common Services Centers: CSC)का एक विशाल नेटवर्क सृजित किया गया है। इसने भारत के निर्धनों, सीमांत लोगों, दलितों और महिलाओं के मध्य डिजिटल उद्यमियों का विकास किया है।

VISION IAS

12.1.2. जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)** के साथ मिलकर एक साझेदारी पहल को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत पेंशनभोगियों को **घर तक डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क का उपयोग** किया जाएगा।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना तथा **जीवन प्रमाण-पत्र** प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और बाधारहित बनाना।	केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी।	• यह पेंशनभोगियों के लिए आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणन आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificates: DLCs) है। • DLC सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs), बैंकों और सरकारी कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न जीवन प्रमाण केंद्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा PC/मोबाइल/टैबलेट पर क्लाइंट (ग्राहक) एप्लिकेशन का उपयोग करके भी इसे (DLC) प्राप्त किया जा सकता है। • पेंशनभोगियों को अपने खाते में पेंशन की राशि को जारी रखने हेतु प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में स्वयं उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। हालांकि, अब डिजिटल प्रमाणन सुविधा उपलब्ध होने से इसकी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।

12.1.3. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission: NSM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• भारत को सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक बनाना तथा अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर विशेषज्ञों को विकसित करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करना।
• भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को **अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं से सुसज्जित** करना और उन्हें संबंधित क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान हेतु सक्षम बनाना।
• प्रयासों के दोहराव और अतिरिक्तता को कम करना तथा **सुपरकंप्यूटिंग में निवेश को प्रोत्साहित** करना।
• वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हासिल करना तथा सुपर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के रणनीतिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करना।
	• वर्ष 2015 में इसे 7 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था। **इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है।**
	• इस अभियान को पुणे स्थित **प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)** और **बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC),** (अर्थात् दो एजेंसियों) के माध्यम से **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** तथा **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY)** द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है।
	• इस मिशन का उद्देश्य लगभग 70 राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में **सुपर कंप्यूटर संबंधी सुविधाओं को स्थापित** करना और उन्हें **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) से जोड़ना है।**
	• **फोकस:** NSM के तहत निम्नलिखित तीन आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
	  ○ **उन्नत सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना का निर्माण।**
	  ○ **अधिक अनुप्रयोग-उन्मुख बनना।**
	  ○ **मानव पूंजी में निवेश करना।**
	• **NSM का प्रथम चरण:** NSM के पहले चरण में, भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए कलपुर्जों का आयात और उन्हें संकलित किया गया था। इस परियोजना के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटरों में शामिल रहे हैं:

	○ **परम शिवाय 19,** ○ **परम शक्ति, तथा** ○ **परम ब्रह्म।** • **NSM के दूसरा चरण:** इस दौरान देश में सुपर कंप्यूटर नेटवर्क की गति को बढ़ाकर 16 पेटाफ्लॉप्स करना था। • FLOPS (फ्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) माइक्रोप्रोसेसरों की गति की रेटिंग/आकलन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य मानक माप है। ○ एक **मेगाफ्लॉप्स** एक मिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है तथा एक **गीगाफ्लॉप्स** एक बिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है। ○ **एक टेराफ्लॉप्स** एक ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है। ○ **एक पेटाफ्लॉप्स** को एक हजार टेराफ्लॉप के रूप में मापा जा सकता है। • **NSM का तीसरा चरण:** यह चरण में देश के सुपरकंप्यूटर नेटवर्क की गति को **45 पेटाफ्लॉप्स** तक ले जाया जाएगा। **लगभग 75 संस्थानों में** सुपरकंप्यूटर की सुविधा को उपलब्ध कराने के पश्चात् हजारों शोधकर्ताओं को NKN का उपयोग करने वाले **सुपर कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त** कर पाना सरल हो जाएगा। ○ **बहु-गीगाबिट क्षमता के साथ** NKN को देश के **सभी विद्वानों और अनुसंधान संस्थानों के साथ डिजिटल रूप से जोड़ने हेतु लक्षित** किया गया है। ○ सूचना और ज्ञान के प्रवाह को सुगम बनाकर नेटवर्क सामान्यतः **देश में अनुसंधान प्रयासों को समृद्ध करने के लिए सहभागिता आधारित एक नए प्रतिमान को स्थापित करने में मदद** कर सकता है। • **नोट: परम 8000** प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर था। **परम सिद्धि** (शीर्ष 500 में वैश्विक रैंकिंग 63) भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है।

12.1.4. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना (Software Technology Park Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विभिन्न इकाइयों (योजना के तहत स्थापित) को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
संचार संपर्कों (communication links) या भौतिक माध्यमों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए इस योजना की परिकल्पना की गई है।	• प्रथम सॉफ्टवेयर नीति वर्ष 1986 में प्रस्तुत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) योजना आरम्भ की गई थी। • यह 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है, जिसमें **100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU),** निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ) तथा साइंस पार्कों / टेक्नोलॉजी पार्कों को एकीकृत किया जा रहा है। • यह एक विशिष्ट प्रकृति की योजना है, क्योंकि यह केवल एक उत्पाद/क्षेत्रक, अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर बल देती है। • इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: ○ सदस्य इकाइयों के लिए एकल-बिंदु संपर्क सेवाओं की व्यवस्था।

	○ कोई कंपनी भारत में कहीं भी STP इकाई स्थापित कर सकती है। ○ 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति। ○ STP इकाइयों में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के सभी आयात पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। साथ ही, पहले प्रयोग किए गए (सेकेंड हैंड) पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है। ○ पूंजीगत माल के पुनः निर्यात की भी अनुमति दी गई है। ○ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (Domestic Tariff Area: DTA) में निर्यात के 50 प्रतिशत मूल्य तक की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

12.1.5. इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा **'आत्मनिर्भर भारत अभियान'** के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण परिवेश का सृजन करना। • इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला का विस्तार करना।	• हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा, इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अर्धचालकों (सेमीकंडक्टरों) के निर्माण के लिए निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों हेतु अनुसंधान एवं विकास सहित संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपयोगिताओं और प्रौद्योगिकी के लिए पूंजीगत व्यय पर **25 प्रतिशत प्रोत्साहन** उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। • इससे मोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण और कम्प्यूटर हार्डवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के सभी खंडों की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। • **लाभ:** ○ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के नए निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ○ विनिर्माण इकाइयों में लगभग 1,50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की अपेक्षा की गई है। साथ ही, लगभग 4,50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होने की संभावना है। ○ व्यापक पैमाने पर घटकों के घरेलू विनिर्माण से आयात पर निर्भरता में कमी आएगी, जिससे डिजिटल सुरक्षा में भी वृद्धि होगी।

12.1.6. व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

PLI के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा **'आत्मनिर्भर भारत अभियान'** के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा** देना।	• इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों को भारत में

 © Vision IAS

• मोबाइल फोन के विनिर्माण, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तथा **एसेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP) इकाइयों** सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला के क्षेत्र में व्यापक निवेश को आकर्षित करना।	विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर (आधार वर्ष के सापेक्ष) 4 से 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, आगामी 5 वर्षों की अवधि में पात्र कंपनियों को लक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। • यह योजना **केवल लक्षित खंडों अर्थात् मोबाइल फोन और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ही लागू** होगी। • सरकार का अनुमान है कि PLI योजना के तहत, **मोबाइल फोन के लिए घरेलू मूल्य वृद्धि** 20-25 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 35-40 प्रतिशत होने की संभावना है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से **8 लाख अतिरिक्त रोज़गार सृजित** होंगे। • यह योजना 2-4 **"चैंपियन भारतीय कंपनियों"** के सृजन में भी सहायता करेगी।

12.1.7. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

ज्ञान सर्कल वेंचर्स (Gyan Circle Ventures)	• यह **श्री सिटी (चित्तूर, आंध्र प्रदेश)** स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित एक प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। • ज्ञान सर्कल वेंचर्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए **'प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास-टाइड 2.0'** (Technology Incubation and Development of Entrepreneurs - TIDE 2.0) इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले इनक्यूबेटरों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर गहन तकनीकी उद्यमिता को भी बढ़ावा देगा।
डिजिलॉकर (DigiLocker)	यह डिजिटल रूप से **दस्तावेज़ और प्रमाण-पत्र जारी करने तथा उनका सत्यापन करने का एक मंच** है, इस प्रकार यह कागज-रहित शासन को बढ़ावा देता है। डिजीलॉकर खाते के लिए साइन-अप करने वाले भारतीय नागरिकों को उनके **आधार (UIDAI) नंबर से जुड़ा** एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है। डिजिटल लॉकर के साथ पंजीकृत संस्थाएं दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों (जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्रत्यक्षत: नागरिक लॉकर में रख सकती हैं। • नागरिक अपने खातों में अपनी वसीयत (विरासत) के दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड कर सकते हैं, जिन्हें ई-साइन सुविधा का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है। • भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने फरवरी, 2021 में **सभी बीमा कंपनियों को डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल बीमा पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है।** ○ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) से संबद्ध डिजिलॉकर टीम** डिजिलॉकर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक **तकनीकी मार्गदर्शन और लॉजिस्टिक (logistic) सहायता प्रदान** करेगी।
उमंग (Unified Mobile Application for New-	• भारत में मोबाइल गवर्नेंस के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा राष्ट्रीय ई-शासन विभाग (NeGD) द्वारा **यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस** (UMANG) विकसित किया गया है।

VISION IAS

age Governance: UMANG)	• यह केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं तथा निजी संगठनों की अन्य उपयोगिता सेवाएं प्रदान करता है। • यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहां नागरिक कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ही एप्लीकेशन इंस्टाल कर सकते हैं। • इसकी सेवाएं कई चैनल पर उपलब्ध करा दी गई हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वेब, आई.वी.आर. और एस.एम.एस. जिन्हें स्मार्टफ़ोन, फीचर फ़ोन, टेबलेट और डेस्कटॉप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। • उमंग के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में **नवंबर 2020 में आयोजित** एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान उमंग के **अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च** किया गया। • **अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को कुछ चुने हुए देशों के लिए लॉन्च किया गया था**, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। • यह **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, अप्रवासी भारतीयों और भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों को किसी भी समय भारत सरकार की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद** करेगा। • यह उमंग ऐप पर उपलब्ध **'भारतीय संस्कृति' सेवाओं के माध्यम से भारत को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करने** में मदद करेगा और विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

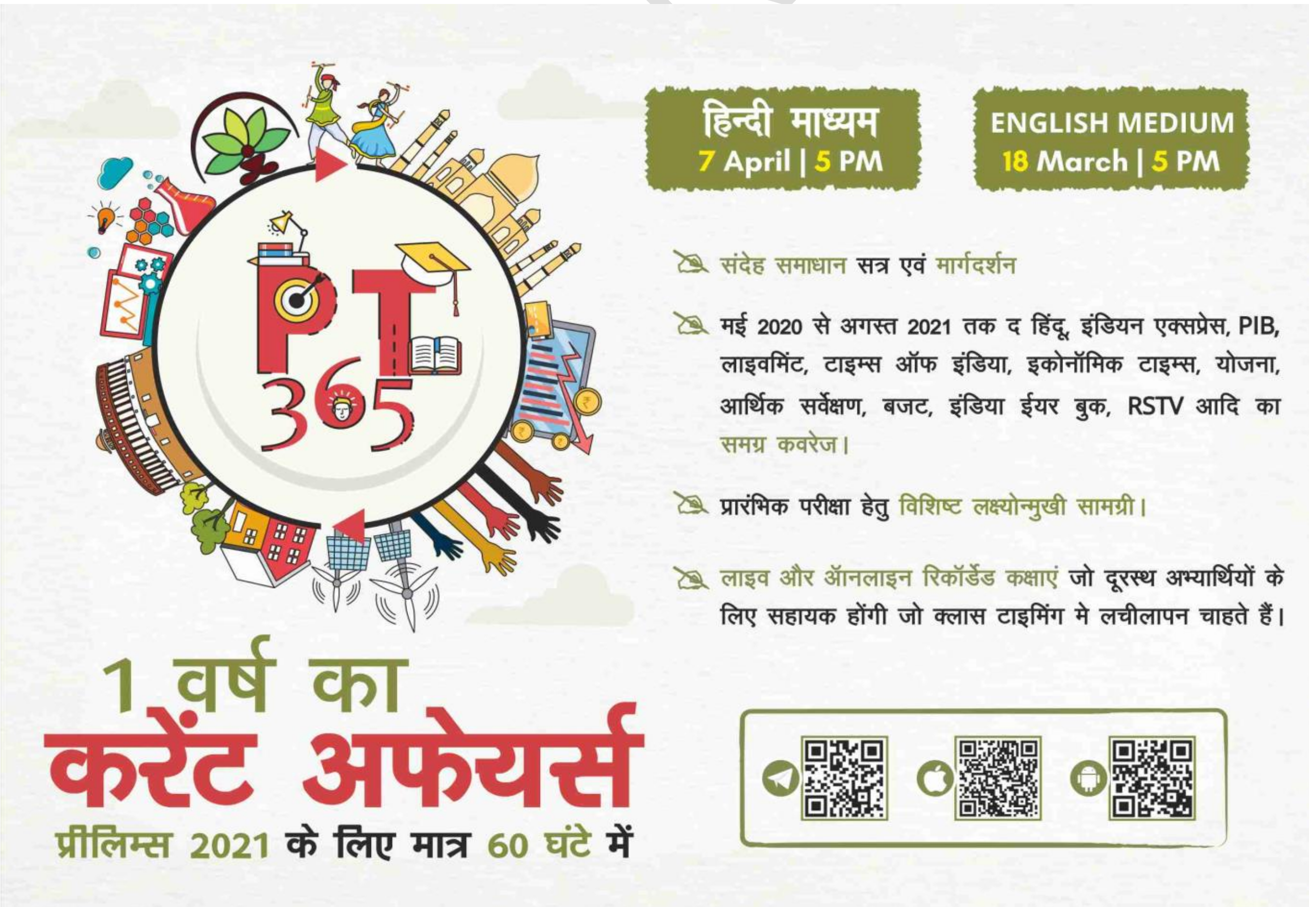

© Vision IAS

13. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

13.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

नगर वन (शहरी वन) योजना {Nagar van (Urban Forests) scheme}	• इस योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। • यह योजना वन विभाग, नगर निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स तथा स्थानीय नागरिकों के मध्य सहयोग एवं लोगों की भागीदारी पर आधारित होगी। • यह ऐसे स्थानों पर वृक्षारोपण करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे वन भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है, परन्तु वहां कोई वन/वृक्ष नहीं है। एक बार वृक्षारोपण हो जाने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा उसका रखरखाव किया जाएगा।

13.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

13.2.1. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan On Climate Change: NAPCC)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

विभिन्न जलवायु संबंधी मुद्दों और उनसे निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की आवश्यकता को देखते हुए योजना को जलवायु संबंधी वार्ताओं / विचार विमर्श के केंद्र में रखा गया है।

उद्देश्य	मिशन	प्रमुख विशेषताएं
• एक ऐसा सतत विकास मार्ग प्राप्त करना, जो आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाता हो। • पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तत्वावधान में भारत के अभीष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (INDCs) को पूर्ण करना। • जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास रणनीति के माध्यम से समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों की सुरक्षा करना। • कुशल और लागत प्रभावी रणनीतियों का निर्माण करना।	इसके अंतर्गत निम्नलिखित आठ मिशन शामिल हैं: 1. **राष्ट्रीय सौर मिशन** {नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अंतर्गत}; 2. **बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन** (विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत); 3. **स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन** (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत); 4. **राष्ट्रीय जल मिशन** (जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत); 5. **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को**	• इस कार्य योजना को वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। • **जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद (Prime Minister's Council on Climate Change)** को इस योजना के समग्र कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। • योजना दस्तावेज, जलवायु परिवर्तन के दबाव को कम करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण को चिन्हित करता है और संबंधित कार्यान्वयन के लिए निर्धनता-विकास संयोजन (poverty-growth linkage) का उपयोग करता है। • NAPCC निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है: ○ **संरक्षण-** समावेशी विकास रणनीति के माध्यम से समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों का संरक्षण। ○ पारिस्थितिक संधारणीयता को बढ़ावा देने वाले गुणात्मक परिवर्तन और आर्थिक नीति के माध्यम से **राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करना।** ○ अंतिम उपयोग मांग पक्ष प्रबंधन के प्रयोग हेतु कुशल और लागत प्रभावी रणनीति तैयार करना। ○ **बेहतर प्रौद्योगिकी-** शमन या अनुकूलन के पहलुओं से संबंधित। ○ **बाजार प्रणाली-** जो सतत विकास को बढ़ावा दे। ○ **समावेशिता-** जो नागरिक समाज और स्थानीय सरकारी संस्थानों के साथ सम्बद्धता को प्रोत्साहित करे।

VISION IAS

	बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन {विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के अंतर्गत}; 6. **हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन** (पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत); 7. **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन** (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत) तथा 8. **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन** (MoS&T के अंतर्गत)।	○ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों, जैसे कि- जल और कृषि आदि के प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इसलिए सभी राज्यों को एक जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (State Action Plans on Climate Change: SAPCC) का विकास करना है, ताकि अपनी विशिष्ट सुभेद्यताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन किया जा सके। ○ भारत सरकार देश भर में सुभेद्य क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए एक समर्थित **जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC)** भी स्थापित कर रही है।

हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (GIM)	यह NAPCC के अंतर्गत 8 मिशनों में से एक है, जिसका क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन के तहत **सार्वजनिक और निजी दोनों** भूमियों का उपयोग किया जाता है तथा नियोजन, निर्णय लेने एवं निगरानी आदि में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित किया जाता है। हरित भारत मिशन के लक्ष्य हैं: • **वन/वृक्ष आवरण** को 5 मिलियन हेक्टेयर (mha) तक **बढ़ाना** और अन्य 5 mha वन/गैर-वन भूमि के वन/वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना; • **कार्बन प्रच्छादन और भंडारण** (वनों एवं अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में), जलविद्युत सेवाओं एवं जैव-विविधता जैसी **पारिस्थितिकी सेवाओं** के साथ ईंधन, चारा, काष्ठ व गैर-काष्ठ वन उत्पादन (NTFPs) जैसी उपलब्ध सेवाओं में सुधार/वृद्धि करना। • लगभग 3 मिलियन परिवारों की **वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि** करना।

13.2.2. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की आवश्यकता को देखते हुए योजना को वार्ताओं/विचार विमर्श के केंद्र में रखा गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपायों का कठोरता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। • संपूर्ण देश में वायु गुणवत्ता से संबंधित निगरानी तंत्र को संवर्द्धित	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • यह एक दीर्घकालिक, समयबद्ध एवं राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। इसके तहत देश भर में वायु प्रदूषण संबंधी चुनौतियों से व्यापक तरीके से निपटने पर बल दिया गया है। • यह **प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक पहल है। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदूषक**

© Vision IAS

करना तथा सुदृढ़ करना। • जन-जागरुकता और क्षमता निर्माण के उपायों को संवर्द्धित करना।	**कणों (PM-10 व PM-2.5) की सांद्रता को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। इसमें वर्ष **2017 को तुलना के लिए आधार वर्ष के** रूप में नियत किया गया है। • NCAP के अंतर्गत, वर्ष 2014-2018 तक के वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर देश भर में **122 गैर-प्राप्ति शहरों (non-attainment cities) की पहचान** की गई है। • **शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार** की गई हैं, जिनमें अन्य तथ्यों के साथ-साथ निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने, वाहनों / औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने, जन जागरूकता बढ़ाने आदि अनेक उपायों को शामिल किया गया है। • शहरी विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की **नियमित रूप से केंद्रीय और राज्य स्तरीय समितियों** अर्थात् संचालन समिति, निगरानी समिति तथा कार्यान्वयन समिति द्वारा निगरानी की जाती है। • शहरों की वायु गुणवत्ता की निगरानी **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा की जाती है। इनके द्वारा समय-समय पर उनके परिणाम प्रकाशित किए जाते रहते हैं। • कुछ स्मार्ट शहरों में **एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres: ICCCs)** स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र प्रभावी निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी (Air Quality Monitors: AQM) के साथ संलग्नता में कार्य करते हैं।

14. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)

14.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

स्वदेश (SWADES) (स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट)	• यह **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय** और **विदेश मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है। • यह वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से लौटने वाले **नागरिकों का कौशल डेटा एकत्र करने के लिए एक पहल है।** • इसका उद्देश्य, **भारतीय और विदेशी कंपनियों की विभिन्न प्रकार की मांगे आकर्षित करने और पूरी करने के लिए,** उनके कौशल सेट और अनुभव के आधार पर **योग्य नागरिकों का डेटाबेस बनाना है।**
वंदे भारत मिशन	• **यह कोविड-19 लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारत का प्रत्यावर्तन अभियान (repatriation operation) है।** • विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वायुयान से **एयर इंडिया** द्वारा और **भारतीय नौसेना** (श्रीलंका और मालदीव से) द्वारा भी भारत वापस लाया गया है।

VISION IAS

© Vision IAS

15. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

15.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

15.1.1. निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना {Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन योजना को आगे बढ़ाना।	• यह योजना **1 जनवरी 2021 से निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू** है।
	• यह योजना **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के प्रावधानों के अनुरूप है और यह **मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS)** तथा **राज्य एवं केंद्रीय करों व लेवियों पर छूट** (Rebate of State and Central Taxes and Levies: RoSCTL) जैसी पहलों को प्रतिस्थापित करती है।
	  ○ **MEIS:** यह निर्यातकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना थी। इसके तहत निर्यातक अपने निर्यात किए गए माल के मूल्य के प्रतिशत के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (duty credit scrips) प्राप्त करते हैं। इन स्क्रिपों का उपयोग विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों का भुगतान करने के लिए किया जाता था।
	    ▪ MEIS के संबंध में WTO पैनल ने निर्णय दिया था कि, यह बहुपक्षीय व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है क्योंकि इसे निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए आगत करों (input taxes) से सीधे तौर सहसम्बद्ध नहीं किया जा सकता है।
	  ○ **RoSCTL:** इसे मार्च 2019 में घोषित किया गया था, RoSCTL को राज्य और केंद्र द्वारा लागू शुल्कों एवं करों {जिनका प्रतिदाय/रिफंड **माल और सेवा कर (GST)** के माध्यम से नहीं होता है} के लिए प्रस्तुत किया गया था।
	• यह योजना निर्यातकों को **केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर लागू शुल्क/करों** (जिन पर अब तक छूट या रिफंड प्रदान नहीं किए जा रहे थे) **को रिफंड** करेगी। इस प्रकार की छूट या रिफंड न प्रदान करना, हमारे निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे थे।
	• योजना के तहत **सीमा शुल्क सहित** रिफंड को **निर्यातक के खाता-बही से संबद्ध बैंक खाते में जमा** किया जाएगा और इसका उपयोग आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। रिफंड के रूप में प्राप्त इस क्रेडिट को अन्य आयातकों को भी अंतरित किया जा सकता है।
	• **RoDTEP दरों को** पूर्व वाणिज्य और गृह सचिव डॉ. जी. के. पिल्लई की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश के आधार पर **वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।**

15.1.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCE) योजना {Special Assistance to States for Capital Expenditure (SASCE) scheme}	• इसकी घोषणा **आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0** के तहत की गई थी। • इस योजना के तहत **केंद्र द्वारा राज्यों को विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये का विशेष ब्याज मुक्त 50 वर्षीय ऋण** प्रदान किया जाएगा। • इस योजना का उद्देश्य उन **राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा** देना है, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण **कर राजस्व में कमी** के परिणामस्वरूप कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रही हैं।

VISION IAS

	○ ज्ञातव्य है कि भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण (या खरीद) के साथ-साथ शेयरों में किए जाने वाले निवेश संबंधी व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप संदर्भित किया जाता है। ○ पूंजीगत व्यय का अर्थव्यवस्था पर **उच्चतर गुणात्मक प्रभाव** होता है। इससे **अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादक क्षमता में वृद्धि** होती है और जिसके परिणामस्वरूप **आर्थिक संवृद्धि की उच्चतर दर** बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। • **इस योजना के तीन भाग हैं:** ○ **भाग-1:** इसके तहत भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र / राज्यों को सम्मिलित किया गया है। ○ **भाग-2:** इसमें अन्य सभी राज्यों को सम्मिलित करना है, जिन्हे भाग-1 में सम्मिलित नहीं किया गया है। ○ **भाग-3:** इसका उद्देश्य राज्यों में विभिन्न **नागरिक केंद्रित सुधारों** को बढ़ावा देना है। • यह राशि केवल उन राज्यों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने निर्दिष्ट **4 सुधारों में से कम से कम 3 सुधार** को कार्यान्वित किया है। ये चार सुधार हैं- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड; व्यापार करने की सुगमता में सुधार (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म); शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता सुधार और विद्युत क्षेत्रक में सुधार।**
आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0	
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana)	• यह **कोविड-19 जनित महामारी से रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की एक योजना** है। यह 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। • इस योजना के तहत, भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत कोई भी प्रतिष्ठान, जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं या 1 मार्च 2020 और 30 सितंबर, 2020 के मध्य नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारी को पुनः नियोजित करते हैं, अपने यहाँ नामांकित या जुड़े प्रत्येक नए उम्मीदवार के लिए सब्सिडी हेतु पात्र होंगे। • **लाभार्थी:** ○ EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान में 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर नियोजित किए गए नए कर्मचारी। ○ EPFO सदस्य, जो 1 मार्च 2020 और 30 सितंबर के मध्य अपनी नौकरी से वंचित हो गए थे तथा जो 01.10.2020 को या उसके बाद नियोजित किए गए थे।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना {Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)}	• ECLGS का उद्देश्य बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और अन्य उधारदाताओं को 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करना है, ताकि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित व्यवसायों / MSMEs (जो अपनी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं) को आपातकालीन ऋण प्रदान कर सकें। ○ ECLGS के तहत, पात्र MSMEs और इच्छुक मुद्रा (MUDRA) उधारकर्ताओं को गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा के रूप में 3 लाख करोड़ रुपये तक के **संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण** के लिए **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। • सरकार ने समय-समय पर ECLGS 1.0, ECLGS 2.0 और ECLGS 3.0 और अब ECLGS 4.0 की घोषणा की है, ताकि **MSMEs को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके ECLGS की उपयोगिता और प्रभाव** में वृद्धि की जा सके। ○ **ECLGS 1.0:** वित्त वर्ष 2019-2020 में जिन कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर (कारोबार) 100 करोड़ रुपये था और जिनके ऊपर 29 फरवरी 2020 तक 25 करोड़ रुपये तक का ऋण बकाया

VISION IAS

© Vision IAS

था, उन कंपनियों या संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिए इसे आरंभ किया गया था। इसके तहत अधिस्थगन अवधि (moratorium period) 1 वर्ष की और चुकौती अवधि (repayment period) 4 वर्ष की थी।

- **ECLGS 2.0:** इसके तहत ECLGS योजना का विस्तार, कामथ समिति द्वारा चिन्हित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रकों और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था।
- **ECLGS 3.0:** इस योजना के तहत आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, मनोरंजन और खेल क्षेत्रकों में व्यावसायिक उद्यम ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- **ECLGS 4.0:**
  - इसके तहत पात्रता के लिए 500 करोड़ रुपये की बकाया ऋण की सीमा को हटा दिया गया है। अब प्रत्येक उधारकर्ता को अधिकतम अतिरिक्त ECLGS सहायता 40% या 200 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित होगा।
  - ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अस्पतालों / नर्सिंग होम / क्लीनिकों / मेडिकल कॉलेजों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण (7.5% की ब्याज दर से) के लिए 100% गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा।
  - 29 फरवरी 2020 तक ECLGS 1.0 के अंतर्गत उधारकर्ताओं को बकाया राशि के 10% तक की अतिरिक्त ECLGS सहायता प्रदान की जाएगी।
  - नागरिक उड्डयन क्षेत्रक ECLGS 3.0 के तहत पात्र होंगे।
  - ECLGS की वैधता अवधि को 30.09.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटीकृत सहायता तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत 31.12.2021 तक संवितरण करने की अनुमति प्रदान की गई है।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन {Production Linked Incentive (PLI)}

- घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए PLI योजना के तहत **10 अन्य चैंपियन क्षेत्रक** शामिल किए जाएंगे।

Sectors	Implementing Ministry/ Department
Advance Chemistry Cell (ACC) Battery	NITI Aayog and Department of Heavy Industries
Electronic/Technology Products	Ministry of Electronics and Information Technology
Automobiles & Auto Components	Department of Heavy Industries
Pharmaceuticals drugs	Department of Pharmaceuticals
Telecom & Networking Products	Department of Telecom
Textile Products: MMF segment and technical textiles	Ministry of Textiles
Food Products	Ministry of Food Processing Industries
High Efficiency Solar PV Modules	Ministry of New and Renewable Energy
White Goods (ACs & LED)	Department for Promotion of Industry & Internal Trade
Speciality Steel	Ministry of Steel

नोट: PLI योजनाओं के विवरण के लिए संबंधित मंत्रालयों / विभागों वाले सेक्शन को देखें।

प्रधान मंत्री आवास

- PMAY-U के लिए 18,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा रही है।

योजना- (शहरी) के लिए अतिरिक्त परिव्यय {Additional outlay for PM Awaas Yojana – Urban (PMAY-U)}	○ PMAY-U का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है। • इससे 12 लाख घरों का निर्माण कार्य आरंभ करने और 18 लाख घरों का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही, अतिरिक्त 78 लाख नौकरियों का सृजन होगा और **इस्पात व सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार होगा।** इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होगा।
निर्माण और अवसंरचना के लिए समर्थन (Support for Construction & Infrastructure)	• **इसके तहत सरकारी निविदाओं पर ठेकेदारों को बयाना जमा राशि (Earnest Deposit Money: EMD) और परफॉर्मेंस सिक्युरिटी पर छूट** (5-10% से कम करके 3% तक) दी गई है। ○ यह जारी अनुबंधों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक भी विस्तारित होगा। • यह उन ठेकेदारों को व्यापार करने में सुगमता और राहत प्रदान करेगा, जिनका धन अन्यथा फंसा रहता है।
विकासकर्ताओं और गृह क्रेताओं के लिए आयकर में राहत (Income Tax relief for Developers & Home Buyers)	• **घर खरीदने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु** रियल एस्टेट आयकर में सर्किल दर और अनुबंध मूल्य के मध्य अंतर 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अर्थात् विकासकर्ता अब सर्किल दर से 20% तक कम मूल्य पर अपनी परिसंपत्ति का विक्रय कर सकते हैं। ○ **सर्किल दर** सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होता है, जिस पर संपत्ति पंजीकृत की जाती है, जबकि **अनुबंध मूल्य** किसी बिल्डर और क्रेता के मध्य समझौते पर आधारित मूल्य होता है।
अवसंरचना ऋण के वित्तीयन के लिए मंच (Platform for Infra Debt Financing)	• सरकार **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगी।** ○ NIIF एक सरकार द्वारा समर्थित संस्था है, जो **देश के अवसंरचना क्षेत्रक में दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है।** • इससे NIIF को वर्ष 2025 तक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1.1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
कृषि के लिए समर्थन (Support for Agriculture)	• किसानों के लिए आगामी फ़सली मौसम में समय पर **उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उर्वरकों की आपूर्ति** सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन (Boost for Rural Employment)	• **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए,** ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री **गरीब कल्याण रोजगार योजना (PMGKRY) के लिए 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय** का प्रावधान किया जा रहा है। ○ PMGKRY को उन क्षेत्रों / गांवों में सशक्तीकरण **और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए** आरंभ किया गया था, जहां **कोविड-19 से प्रभावित होकर प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में लौटे थे।** • PMGKRY मनरेगा, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि सहित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करती है।
निर्यात परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन (Boost for Project Exports)	• **भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (Indian Development and Economic Assistance Scheme: IDEAS) के तहत ऋण समर्थन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए** एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ○ IDEAS **परियोजनाओं के लिए रियायती वित्तपोषण प्रदान करता है** और प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं क्षमता निर्माण में योगदान देता है। • इससे EXIM बैंक को ऋण **विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में** सहायता प्राप्त होगी।
पूंजीगत एवं औद्योगिक प्रोत्साहन	• **घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक अवसंरचना और हरित ऊर्जा पर पूंजीगत एवं औद्योगिक व्यय के लिए**

(Capital and Industrial Stimulus)	10,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान (R&D grant for COVID Vaccine)	• भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

15.2. पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Modified or Restructured Schemes)

15.2.1. प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: PMVVY)*

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार की अनिश्चितताओं के कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज से अर्जित आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।	**60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति।**	• यह एक **गारंटीकृत पेंशन योजना** है, जिसे **भारतीय जीवन बीमा निगम** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। • यह **अग्रिम निवेश** (जिसे पर्चेज प्राइस या क्रय मूल्य कहा जाता है) के बदले में **मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर नियमित पेंशन भुगतान** करने हेतु प्रतिबद्ध है। • इसमें निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमश: 1.56 लाख रुपये और 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है। • यह योजना **परिपक्वता पर मूलधन का भुगतान करने के साथ-साथ 10 वर्षों के लिए पेंशन भुगतान की गारंटी** प्रदान करती है। • इस योजना में शामिल होने वाले (अभिदाता) को उसके अंशदान के आधार पर **1000/- रुपये प्रति माह** से लेकर **12,000/- रुपये प्रति माह** तक की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। • अधिकतम पेंशन की सीमा एक पूरे परिवार के लिए है। इसके तहत परिवार में पेंशनभोगी, उसकी पत्नी/पति और आश्रित शामिल होंगे। • अगर निवेशक की मृत्यु 10 वर्ष के भीतर हो जाती है, तो संबंधित **लाभार्थियों को मूलधन का भुगतान कर दिया** जाएगा। • इस योजना में मूलधन पर GST संबंधी छूट के अतिरिक्त अन्य **कोई कर संबंधी लाभ शामिल नहीं** है। • स्वयं या जीवनसाथी की गंभीर या लाइलाज बीमारी के मामले में मूलधन पर 2 प्रतिशत अर्थदंड के साथ समय से पूर्व निकासी की अनुमति है। • **इस योजना के तहत 3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के उपरांत ऋण संबंधी सुविधा उपलब्ध** है। इसके तहत प्रदान किया जाने वाला अधिकतम ऋण, क्रय मूल्य का 75% होगा।

VISION IAS

		हालिया परिवर्तन • इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले प्रतिफल को डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की 7.75% अधिकतम ब्याज दर सीमा के अनुरूप कर दिया गया है। इस दर को प्रत्येक वर्ष पुनः निर्धारित / समायोजित किया जाएगा। ○ प्रारम्भ में, इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटीकृत दर के आधार पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। • यह योजना मार्च 2020 में समाप्त होने वाली थी; हालांकि, इसे संशोधित किया गया और 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया।

15.2.2. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand up India scheme)*

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• कम से कम एक **अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता** और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाएं या व्यापार क्षेत्रक या **कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा से 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।	• अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और/या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला उद्यमी। • गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण संबंधी हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। • ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजना (पहली बार के उद्यम के लिए) को प्रदान किया जाएगा। • उधारकर्ता को किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान में चूककर्ता (defaulter) के रूप में नामित नहीं होना चाहिए। • उधारकर्ता को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% स्वयं के अंशदान के पूरा करना अनिवार्य होगा।	• स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत सरकार द्वारा **ऋण हेतु धन आवंटित नहीं** किया जाता है। • इस योजना के तहत **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा वाणिज्यिक मानकों**, संबंधित **बैंकों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों** और **RBI के मौजूदा दिशानिर्देशों** के अनुसार ऋण दिए जाते हैं। • हालांकि सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये और **स्टैंड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFSI)** के कोष के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। • **इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:** ○ संभावित उधारकर्ताओं द्वारा www.standupmitra.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने का प्रावधान, ○ सहायक समर्थन, ○ गहन प्रचार अभियान, ○ सरलीकृत ऋण आवेदन पत्र, ○ क्रेडिट गारंटी योजना, ○ जहां भी संभव हो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण, मार्जिन राशि में कमी और कृषि से संबंधित गतिविधियों को शामिल करना आदि। • अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि के साथ ऋण को चुकाने की अवधि 7 वर्ष है।

© Vision IAS

		• ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगी, जो आधार दर {(मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट: MCLR) + 3% + परिपक्वता काल (tenor) प्रीमियम)} से अधिक नहीं होगी। • प्राथमिक सुरक्षा के अतिरिक्त, बैंकों द्वारा तय किए गए ऋण **संपार्श्विक सुरक्षा** या **स्टैंड-अप इंडिया ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSIL)** की गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किए जा सकते है। • सिडबी और नाबार्ड के कार्यालयों को **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर** के रूप में नामित किया गया है, जो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे। इसके तहत सिडबी एक **पुनर्वित्त एजेंसी** है। • यह **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)** के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र के निर्माण का भी प्रावधान करता है। **हालिया परिवर्तन** इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत ऋण के लिए **मार्जिन राशि की आवश्यकता को '25% तक' से घटाकर '15% तक' कर दिया** गया है। कृषि से संबंधित गतिविधियों को योजना में शामिल किया गया है।

15.2.3. अवसंरचना व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता {Financial Support to Public Private Partnerships (PPP) in Infrastructure Viability Gap Funding (VGF)}*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF)** का अर्थ है एकमुश्त या आस्थगित अनुदान, जो आर्थिक रूप से तो उचित है, परंतु वित्तीय व्यवहार्यता में कमी के कारण पूर्ण नहीं होती है।
  ○ वित्तीय व्यवहार्यता में कमी आमतौर पर **दीर्घ उद्भवन अवधि (long gestation periods)** और **उपयोगकर्ता शुल्क को वाणिज्यिक स्तर तक बढ़ाने में असमर्थता** से उत्पन्न होती है।
  ○ अवसंरचना परियोजनाओं में बाह्य पहलू भी शामिल होते हैं, जो परियोजना प्रायोजक को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रतिफल में पर्याप्त रूप से समाविष्ट नहीं होते हैं।
• पूंजीगत लागत के लिए उत्प्रेरक अनुदान सहायता के
	• प्रारंभ में, इस योजना में **अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को वित्तीय समर्थन** की परिकल्पना की गई है।
	हालिया परिवर्तन:
	• नवंबर 2020 में इस योजना को 8,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ **वर्ष 2024-25 तक विस्तारित** कर दिया गया।
	• साथ ही, **सामाजिक अवसंरचना में निजी भागीदारी को मुख्यधारा में लाने** के लिए निम्नलिखित दो उप-योजनाओं को शामिल करके इस योजना को नया रूप प्रदान किया गया है:
	  ○ **उप-योजना-1:** अपशिष्ट जल उपचार, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे सामाजिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ती करती है। इस श्रेणी के तहत **परियोजनाओं में 100% परिचालन लागत पुनर्प्राप्त** होनी चाहिए।
	    ▪ केंद्र सरकार **कुल परियोजना लागत (TPC)** का अधिकतम

प्रावधान के माध्यम से, कई परियोजनाएं बैंक योग्य हो सकती हैं और **बुनियादी ढांचे में निजी निवेश जुटाने में मदद** कर सकती हैं।	**30% VGF** के रूप में प्रदान करेगी तथा राज्य सरकार / प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय / सांविधिक संस्था TPC के 30% तक अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। ○ **उप-योजना-2:** यह उप-योजना **सामाजिक क्षेत्रों की पायलट परियोजनाओं** का समर्थन करेगी। ▪ परियोजनाएं **स्वास्थ्य और शिक्षा** क्षेत्रों से हो सकती हैं, जहां कम से कम **50% परिचालन लागत** की पुनर्प्राप्ति होती है। ▪ ऐसी परियोजनाओं में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रथम पांच वर्षों के लिए **पूंजीगत व्यय का 80%** तथा **संचालन एवं रखरखाव (O&M) लागत का 50%** तक प्रदान करेंगी। ▪ केंद्र सरकार परियोजना के **TPC का अधिकतम 40%** प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, यह वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम पांच वर्षों में परियोजना की **परिचालन लागत का अधिकतम 25%** प्रदान कर सकती है।

15.2.4. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 {Partial Credit Guarantee Scheme (PCGS) 2.0}	• PCGS एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों **को वित्तीय रूप से सुदृढ़ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और आवास वित्तीय कंपनियों (HFC) से उच्च-मानक निक्षेपित संपत्ति खरीदने** की अनुमति प्रदान की गई थी। • आत्मनिर्भर पहल के एक भाग के रूप में, इस योजना का विस्तार NBFC, HFC और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) द्वारा **निम्न क्रेडिट रेटिंग वाले बॉण्ड के प्राथमिक बाजार** निर्गमन को कवर करने के लिए किया गया था। • इसका उद्देश्य **कम क्रेडिट रेटिंग वाले संस्थानों को तरलता सहायता** प्रदान करना और **छोटे व्यवसायों को ऋण सहायता की निरंतरता** सुनिश्चित करना था, जो कोविड -19 के प्रकोप के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। • PCGS 2.0 के तहत, केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **20% फर्स्ट लॉस सॉवरेन गारंटी** प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में 45,000 करोड़ रुपये की तरलता का समावेश किया गया है। • इस योजना में **गैर-बैंक ऋणदाताओं** को नव तरलता सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रेटिंग नहीं किए गए पेपरों सहित AA और उससे नीचे की रेटिंग वाले पेपर भी शामिल किए गए हैं।

15.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

15.3.1. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस योजना ने **महिलाओं के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई है। मुद्रा योजना के तहत लगभग 68% खाता धारक (योजना की शुरुआत से फरवरी, 2021 तक) महिला लाभार्थी हैं।

© Vision IAS

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

• बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुँच सुनिश्चित करना।
• अंतिम व्यक्ति को भी वित्त प्रदान करने वाले वित्तदाताओं (Last Mile Financers) द्वारा अनौपचारिक क्षेत्रक के अधिकांश सूक्ष्म/लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में कमी लाना।
	कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग या सेवा क्षेत्रक जैसे गैर-कृषि क्षेत्रक के लिए एक व्यवसाय की योजना हो और जिसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं 10 लाख रुपये से कम हों।	• इस योजना को लागू करने के लिए, सरकार ने सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड: MUDRA) नामक एक नई संस्था की स्थापना की है।
		  ○ मुद्रा (MUDRA) **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में** और **RBI के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्त संस्थान (NBFC) के रूप में** पंजीकृत है।
		  ○ MUDRA को आरंभ में **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / SIDBI)** की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गठित किया गया था, जिसका 100 प्रतिशत पूंजीगत योगदान है। वर्तमान में, MUDRA की **अधिकृत पूंजी (authorized capital) 1000 करोड़** रुपये है और **चुकता पूंजी (paid up capital) 750 करोड़** रुपये है, जिसका सिडबी द्वारा पूर्णतया अभिदाय (subscribed) किया गया है।
		  ○ MUDRA उन **वित्तीय संस्थानों का समर्थन** करता है, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म / लघु व्यवसाय संस्थाओं को उधार देने के व्यवसाय में संलिप्त हैं।
		• बैंकों, NBFCs, MFIs और MUDRA लिमिटेड द्वारा अधिसूचित अन्य अर्ह वित्तीय मध्यस्थों को मुद्रा (MUDRA) ऋण प्रदान करने की अनुमति है।
		• MUDRA द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
		  ○ MFI के माध्यम से 1 लाख रुपये तक के ऋण के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना (MCS)।
		  ○ वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)/लघु वित्त बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए पुनर्वित्त योजना।
		• 1675.93 करोड़ रुपये की पेड-अप कैपिटल (चुकता पूंजी) के साथ MUDRA की वर्तमान अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपये है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL) प्रदान करने में असफल रहने वाले बैंकों से धन लेकर RBI ने 20,000 करोड़ रुपये की एक पुनर्वित्त कॉर्पस फंड का गठन किया है।
		• मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार के ऋण आबंटित किए जाएंगे:
		  ○ **शिशु:** 50,000 रुपये तक के ऋण;
		  ○ **किशोर:** 50,000 से 5 लाख रुपये तक के ऋण; और

		○ **तरुण:** 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण। • PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। हालाँकि, वर्तमान में MUDRA के तहत महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने वाले MFIs/NBFCs हेतु मुद्रा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों (bps) की छूट प्रदान की गई है। • RBI ने बैंकों को सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्रक की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए कोलैटरल (संपार्श्विक) हेतु दबाव न डालने का आदेश दिया है। • संपार्श्विक संबंधी मुद्दे का समाधान करने और ऋण संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए, क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट को **"क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स फंड" (CGFMU)"** नामक एक कोष की स्थापना के साथ विस्तृत किया गया है। ○ इस योजना का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एजेंसी **'राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)'** द्वारा किया जा रहा है। • MUDRA कार्ड एक **डेबिट कार्ड** है, जिसे MUDRA ऋण खाते के अंतर्गत जारी किया गया है। उधारकर्ता लागत-प्रभावी तरीके से कार्यशील पूंजी की सीमा को बनाए रखने और ब्याज के बोझ को न्यूनतम करने हेतु विभिन्न आहरण और ऋण प्राप्त करने के लिए MUDRA कार्ड का उपयोग कर सकता है।

15.3.2. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana: APY)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इस योजना के 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
अभिदाता (subscribers) 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान (contributions) के आधार पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेंगे।	• यह बैंक या डाकघर में बचत खाता रखने वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसलिए, APY के तहत किसी भी अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी। • यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के नागरिकों पर केंद्रित है।	• यह योजना स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी। • इस योजना के तहत अभिदाता को न्यूनतम 20 वर्षों या अधिक के लिए योगदान करना होगा। • अभिदाता **मासिक / तिमाही / अर्ध-वार्षिक आधार पर APY में अंशदान** कर सकते हैं। • अभिदाता को 60 वर्ष की आयु में 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी प्राप्त होगी। • **केंद्र सरकार का सह-अंशदान:** 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल अंशदान का 50% या प्रति वर्ष 1,000 रुपये, जो भी कम हो। सह-अंशदान केवल उन अभिदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो: ○ **1 जून 2015 और 31 मार्च 2016 के बीच**

		APY में शामिल हुए हैं। ○ किसी भी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ○ **आयकर दाता नहीं हैं।** • सरकारी सहयोग में कमी और प्रतिफल/ब्याज में कटौती होने पर, अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वेच्छा से APY से बाहर निकल सकते हैं। • अभिदाता की आकस्मिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पूर्व) के मामले में, अभिदाता के APY खाते में उस समय तक जब तक कि उसकी आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती तब तक अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा शेष निवेश अवधि के लिए योगदान जारी रखा जा सकता है। • अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी समान राशि की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा/होगी। • अभिदाता और उसके जीवन साथी, दोनों की मृत्यु के उपरांत जमा/संचित राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) अभिदाता के द्वारा नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। • इसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। APY के अंतर्गत अभिदाता को नामांकित करने (enrol) हेतु NPS की संस्थागत संरचना का उपयोग किया जाएगा।

15.3.3. प्रधान मंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY)** ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फरवरी 2021 तक, योजना के तहत खोले गए कुल 41.93 करोड़ बैंक खातों में से **23.21 करोड़ बैंक खाते महिला खाताधारकों** के हैं।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। • लागत को कम करने और पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।	जिन व्यक्तियों का कोई अन्य बैंक खाता नहीं है।	• PMJDY आरंभ में **28 अगस्त 2014 को 4 वर्ष (दो चरणों में) की अवधि के लिए आरम्भ** की गई थी। वर्ष 2018 में, इस योजना को नए संशोधनों के साथ विस्तारित किया गया था। • यह वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो बुनियादी बचत और जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक वहनीय तरीके से पहुंच सुनिश्चित करती है। • इस योजना के तहत, किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में **बुनियादी बचत बैंक जमा (Basic Savings Bank Deposit: BSBD) खाता** खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य बैंक खाता नहीं है।

		• **लाभ:** ○ बैंक खाता रहित व्यक्ति के लिए एक **बुनियादी बचत बैंक जमा खाता** खोला जाता है। ○ PMJDY बैंक खातों में **न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं** है। ○ PMJDY बैंक खातों में **जमा राशि पर ब्याज** अर्जित किया जाता है। ○ PMJDY खाताधारक को **रुपे डेबिट कार्ड** प्रदान किया जाता है। ○ जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के लिए 2 लाख रुपये) PMJDY खाताधारकों को उपलब्ध है। ○ पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की **ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा** उपलब्ध है। ○ **PMJDY बैंक खाते** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), मुद्रा योजना के लिए पात्र हैं।

15.3.4. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)*

सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कोविड-19 से संघर्ष करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना।	• इसमें केंद्रीय / राज्य सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य/ कल्याण केंद्रों में कार्यरत सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी, जैसे- सफाई कर्मचारी, वार्ड-ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी (पैरामेडिक्स), टेक्निशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। • कोविड-19 रोगियों का उपचार करते समय यदि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्घटना होती है या कोविड-19 से प्रभावित होने की कुछ संभावना होती है, तो इस योजना के तहत उसे **90 दिनों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर** प्रदान किया जाएगा। • इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों के **सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों एवं अस्पतालों को कवर** किया जाएगा। साथ ही, लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	• वर्ष 2021 में, कोविड-19 के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में इस योजना को दो महीने (मई और जून) के लिए पुनः आरंभ किया गया है। • PMGKAY का **प्रथम चरण अप्रैल से जून 2020 तक** और **दूसरा चरण जुलाई से नवंबर, 2020 तक** था। • **यह कोविड-19 और लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के कारण कठिनाई** का सामना कर रहे **प्रवासियों और निर्धनों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति** करने के लिए आरंभ की गई थी। • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से **प्रति माह 5 किग्रा. नि:शुल्क गेहूं/चावल** के साथ **1 किग्रा. मुफ्त दाल** भी प्रदान की जाती है। ○ PMGKAY के तहत NFSA लाभार्थियों को मुफ्त में दिया गया **अतिरिक्त अनाज मौजूदा प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज की मासिक पात्रता से भिन्न** है। ▪ ज्ञातव्य है कि NFSA के तहत **चावल, गेहूं और मोटे अनाज जैसे खाद्यान्न क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमतों पर उपलब्ध** कराया जाते हैं। • इस योजना के तहत **मुफ्त खाद्यान्न वितरण की लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन** की जा रही है।

किसानों को लाभ	• वर्ष 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही 'PM किसान योजना' के तहत किसानों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। • इसके तहत 8.7 करोड़ किसान कवर होंगे।
नकद राशि का अंतरण (Cash transfers)	• **निर्धनों की सहायता (Help to Poor):** प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) की 20.40 करोड़ महिला खाताधारक को अप्रैल-जून माह (तीन माह) तक के लिए प्रति माह 500 रूपये की अनुग्रह राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। • **गैस सिलेंडर (Gas cylinders):** 8.3 करोड़ परिवारों को अप्रैल-जून माह (तीन माह) तक के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। • **संगठित क्षेत्रकों में कम वेतन पाने वालों की सहायता (Help to low wage earners in organised sectors):** वे प्रतिष्ठान, जिनमें कामगारों की संख्या 100 तक हो तथा जिनमें से 90% प्रति माह 15,000 रुपये से कम पारिश्रमिक प्राप्त करते हों। सरकार ने आगामी तीन माह के दौरान उनके PF खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24 प्रतिशत भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। • **वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक), विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सहायता:** लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाएं और दिव्यांग श्रेणी के लोग कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के कारण सुभेद्य स्थिति में हैं। सरकार उन्हें अगले तीन महीनों के दौरान कठिनाइयों का सामना करने के लिए 1,000 रुपये देगी। • **मनरेगा:** 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी (अर्थात् वेतन 182 रूपए से बढ़कर 202 रूपए हो जाएगा) की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने से प्रत्येक श्रमिक को वार्षिक 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इससे लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभांवित होंगे।
स्वयं सहायता समूह (SHGs)	63 SHGs के माध्यम से 6.85 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। संपार्श्विक (collateral) मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।
अन्य घटक (Other components)	• **संगठित क्षेत्रक (Organised sector):** कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में संशोधन कर 'वैश्विक महामारी' को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को **अपने खातों से कुल राशि के 75 प्रतिशत का गैर-वापसी योग्य अग्रिम या तीन माह का पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।** EPF के तहत पंजीकृत चार करोड़ श्रमिकों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। • **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि:** केंद्र सरकार के एक अधिनियम के तहत **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि** को सृजित किया गया है। इस निधि में लगभग 3.5 करोड़ कर्मचारी पंजीकृत हैं। राज्य सरकारों को इन श्रमिकों को आर्थिक व्यवधानों से संरक्षण प्रदान करने हेतु समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए इस निधि का उपयोग करने के निर्देश दिए जाएंगे। • **जिला खनिज कोष (DMF): DMF** के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग कोविड-19 वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा परीक्षण (टेस्टिंग), स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की पूरक एवं संवर्धित सुविधाओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ इस वैश्विक महामारी से प्रभावित रोगियों के उपचार हेतु किया जाएगा।

VISION IAS

16. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)

16.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

16.1.1. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, चरण-2 {Nationwide Artificial Insemination Programme (NAIP) - Phase-II}

सुर्ख़ियों में क्यों?

NAIP के चरण-II को 1 अगस्त 2020 से 604 जिलों में आरंभ किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। • उच्च गुणवत्ता युक्त संतति के साथ दुधारू पशुओं के आनुवंशिक गुणों में सुधार करना।	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 माह में 1 करोड़ से अधिक गोजातीय आबादी का गर्भाधान करना और उनके कानों पर **'पशुआधार (PashuAadhaa)'** टैग लगाना है। पशुआधार पशुओं को प्रदत्त एक विशिष्ट पहचान है, जो नस्ल, आयु, लिंग और उसके स्वामी के विवरण के आधार पर विशेष पशुओं की पहचान करने व उन्हें ट्रैक करने में सरकार को सक्षम बनाता है। • इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गाय और भैंस की टैगिंग की जाएगी तथा उन्हें **पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सूचना तंत्र (Information Network on Animal Productivity and Health: INAPH) डेटाबेस** के माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा। • NAIP मिशन मोड में संचालित एक आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य **सभी नस्ल के गोजातीय मवेशियों को सम्मिलित करना है**, ताकि उच्च गुणवत्ता युक्त बीज तथा दुधारू पशुओं के आनुवंशिक गुणों में सुधार करने के साथ कम लागत की प्रजनन तकनीक का उपयोग कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सके। • उल्लेखनीय है कि गोजातीय आबादी के कृत्रिम गर्भाधान के लाभ लगभग 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्राप्त होते हैं।

VISION IAS

17. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries)

17.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

17.1.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना {PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM- FME) Scheme}#

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।	• विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। • कृषि उत्पादक संगठन (FPOs) / स्वयं-सहायता समूह (SHG's) / उत्पादक सहकारी समितियां।	• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • यह योजना **"आत्मनिर्भर भारत अभियान" के एक भाग के रूप में** आरंभ की गई थी। • यह योजना **10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय** के साथ **वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों** की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। • योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख FME को **ऋण संबद्ध सब्सिडी के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।** • विद्यमान व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां (जो अपनी इकाई के उन्नयन की इच्छुक हैं) पात्र परियोजना लागत के **35% की दर से ऋण से संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी** का लाभ उठा सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई है। • कार्यशील पूंजी और लघु उपकरणों की खरीद के लिए **40,000/- रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य को प्रारंभिक पूंजी (Seed capital)** प्रदान की जाएगी। • **FPOs / SHGs / उत्पादक सहकारी समितियों** को मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए परियोजना लागत का **35% ऋण से संबद्ध अनुदान प्रदान किया जाएगा।** • साझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, शीत भंडारण, पैकेजिंग और इनक्यूबेशन केंद्र सहित **साझा अवसंरचना के विकास के लिए** FPOs / SHGs / सहकारी समितियों या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों या क्लस्टर में मौजूद सूक्ष्म इकाइयों द्वारा उपयोग के लिए निजी उद्यम हेतु **35% की दर से ऋण संबद्ध अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।** • राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर सूक्ष्म इकाइयों और समूहों के लिए ब्रांड विकसित करने हेतु **विपणन और ब्रांडिंग सहायता** के रूप में कुल व्यय का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे क्लस्टरों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म इकाइयों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ○ इस योजना के तहत व्यय को **केंद्र और राज्य या विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य 60:40** के अनुपात में एवं **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10** के अनुपात में साझा किया जाएगा। • यह योजना आगतों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने और उत्पादों के विपणन के लाभों को प्राप्त करने के लिए **'एक जिला एक उत्पाद'**

		(ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है। ○ राज्य विद्यमान क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक **जिले के लिए विशिष्ट खाद्य उत्पाद की पहचान करेंगे।** ○ **ODOP संबंधी उत्पाद,** शीघ्र ख़राब होने वाले उत्पाद या अनाज आधारित उत्पाद या एक जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद हो सकता है। ○ ODOP संबंधी उत्पादों के लिए **साझा अवसंरचना और ब्रांडिंग तथा विपणन के लिए समर्थन** प्रदान किया जाएगा। • यह योजना **अपशिष्ट से मूल्यवान उत्पादों**, लघु वन उत्पादों और आकांक्षी जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। • यह योजना **क्षमता निर्माण और अनुसंधान** पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) के अंतर्गत दो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, यथा- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT) के साथ-साथ राज्यों द्वारा चयनित राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को **सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण** इकाइयों को प्रशिक्षण देने, उत्पाद का विकास करने, उपयुक्त पैकेजिंग और मशीनरी हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। • **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** इसके कार्यान्वयन के लिए **नोडल बैंक** है। • **अपेक्षित लाभ:** इस योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ-साथ 9 लाख कुशल और अर्ध-कुशल रोजगार सृजित होंगे। साथ ही सूचना, प्रशिक्षण, कार्य-स्थिति की बेहतर समझ और औपचारीकरण के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ प्राप्त होगा।

17.1.2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)}*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **उन खाद्य विनिर्माण संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना,** जो निर्धारित न्यूनतम विक्रय के साथ मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और विदेशों में ब्रांडिंग के लिए निवेश करने के इच्छुक हैं। • वैश्विक खाद्य विनिर्माण के क्षेत्र में चैंपियनों (अग्रणी अभिकर्ताओं) के निर्माण का समर्थन करना। • वैश्विक दृश्यता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापक स्वीकृति के लिए खाद्य उत्पादों के चयनित भारतीय ब्रांड को सुदृढ़ करना। • **कृषि-इतर (Off-Farm) नौकरियों** में रोजगार संबंधी अवसरों में वृद्धि करना। • कृषि उपज का लाभकारी मूल्य और किसानों की अधिक आय सुनिश्चित करना।	• यह 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • इस योजना के दो घटक हैं: ○ प्रथम घटक के तहत **चार मुख्य खाद्य उत्पाद खंडों** में शामिल रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (RTC/RTE) खाद्य पदार्थ (मोटा अनाज आधारित उत्पाद), प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मोजरेला चीज **के विनिर्माण को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।** ▪ इन खंडों में विभिन्न खाद्य पदार्थ, यथा- अंडे, कुक्कुट मांस, अंडा आधारित उत्पाद सहित लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) के **अभिनव/ जैविक उत्पाद शामिल हैं।** ○ दूसरा घटक मजबूत भारतीय ब्रांड्स के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन हेतु समर्थन से संबंधित है। ▪ इस योजना में विदेशों में भारतीय ब्रांड को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग और मार्केटिंग के लिए आवेदक संस्थाओं को अनुदान देने की परिकल्पना की गई है।

 © Vision IAS

	• यह योजना **वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक 6 वर्ष की अवधि में लागू की जाएगी।** • इस योजना के तहत **"वित्तपोषण को सीमित" (fund-limited)** रखा गया है, अर्थात् लागत की राशि अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक लाभार्थी को देय अधिकतम प्रोत्साहन उस लाभार्थी के अनुमोदन के समय अग्रिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। उपलब्धि / प्रदर्शन के आधार पर भी अधिकतम प्रोत्साहन सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा। • **प्रशासनिक और कार्यान्वयन तंत्र:** ○ इस योजना की निगरानी **केंद्र** में मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में **सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा की जाएगी।** ○ **अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति:** यह समिति योजना के तहत आवेदकों को शामिल करने के साथ-साथ उन्हें प्रोत्साहन के रूप में निधियों की स्वीकृति एवं उसे जारी रखने हेतु अनुमोदन का कार्य देखेगी। ○ **मंत्रालय द्वारा** इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल करते हुए **वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी।** ○ इसके तहत कार्यक्रम में एक **तृतीय पक्ष मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा** तंत्र भी निर्मित किया जाएगा।

17.2. पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)

17.2.1. ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• टमाटर, प्याज एवं आलू (TOP) उत्पादन क्लस्टरों और उनके किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत बनाना तथा उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा TOP उत्पादक किसानों को प्राप्त होने वाली कीमतों में वृद्धि करना। • TOP उत्पादन क्लस्टरों में उत्पादन की व्यवस्थित योजना तथा दोहरे उपयोग की किस्मों की शुरुआत द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण करना। • खेत स्तर पर अवसंरचना के सृजन द्वारा फसल कटाई के उपरांत होने वाली क्षति को कम करना, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स का विकास तथा शेल्फ लाइफ में वृद्धि के लिए उपभोग केंद्रों से जोड़ते हुए यथोचित भंडारण क्षमता का सृजन करना। • उत्पादन क्लस्टरों से सुदृढ़ लिंकेज के साथ TOP की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्यवर्धन में	• वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में **टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की आपूर्ति को स्थिर करने तथा संपूर्ण देश में वर्ष भर मूल्य अस्थिरता के बिना इन फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए** 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी। • सरकार ने TOP फसलों के संवर्धित उत्पादन को सुनिश्चित करने तथा मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करने के लिए इस योजना के तहत **विशेष रणनीति और अनुदान सहायता** निर्धारित की है। • **ऑपरेशन ग्रीन के लिए रणनीति:** ○ **अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपाय:** मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)** नोडल एजेंसी होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) निम्नलिखित दो घटकों पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगा : ▪ उत्पादन से भंडारण तक TOP फसलों का परिवहन; ▪ TOP फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराये पर प्राप्त करना; ○ **दीर्घकालीन एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं,** जैसे- FPOs और उनके संघ की क्षमता का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, फसल-कटाई के पश्चात् प्रसंस्करण सुविधाएं, एग्री-लॉजिस्टिक्स, विपणन/उपभोग बिंदु और TOP फसलों की मांग तथा आपूर्ति प्रबंधन के लिए ई-प्लेटफॉर्म का निर्माण एवं प्रबंधन।

VISION IAS

बढ़ोतरी करना। • मांग एवं आपूर्ति तथा TOP फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े एकत्र करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना करना।	• **सहायता अनुदान:** ○ **सहायता का प्रतिरूप (पैटर्न):** सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं की कुल लागत का 50% भाग (अधिकतम सीमा- 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना) सहायता अनुदान के तौर पर प्रदान किया जाएगा (हालांकि, FPOs को सहायता अनुदान 70 प्रतिशत की दर से प्रदान किया जाएगा)। ○ **पात्र संगठनों में सम्मिलित हैं:** राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियां, कंपनियां, स्वयं-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, सेवा प्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला परिचालक, खुदरा और थोक श्रृंखला, केंद्र एवं राज्य सरकारें तथा इस कार्यक्रम में भाग लेने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र उनकी संस्थाएं/संगठन। • **बाजार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली (MIEWS) पोर्टल:** इसे हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा लॉन्च किया गया था। यह टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की कीमतों की 'वास्तविक समय पर निगरानी' प्रदान करेगा तथा साथ ही, ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना की शर्तों के संबंध में हस्तक्षेप के लिए अलर्ट भी जारी करेगा। यह सरकार को अत्यधिक उपलब्धता के दौरान मूल्यों में आकस्मिक गिरावट होने पर **समय पर बाजार हस्तक्षेप और मूल्य स्थिरीकरण** के लिए आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। यह पोर्टल सरलता से उपयोग किए जाने वाले दृश्य प्रारूप में TOP फसलों से संबंधित जानकारी, जैसे- कीमतें और आवक, क्षेत्र, उपज और उत्पादन, फसल कैलेंडर तथा फसल कृषि-विज्ञान आदि को प्रसारित करेगा। • उत्पादन प्रक्रिया में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने तथा किसानों की क्षमता के निर्माण हेतु सरकार इस योजना के अंतर्गत **भारत-इज़राइल सहयोग के तहत सृजित 28 उत्कृष्टता केंद्रों का उपयोग** करने के लिए भी प्रयासरत है। **हालिया परिवर्तन:** • दिसंबर 2020 में, इस योजना का विस्तार TOP के अतिरिक्त अन्य अधिसूचित बागवानी फसलों {समग्र (TOP to Total)} तक कर दिया गया है ताकि लॉकडाउन के कारण फलों और सब्जियों के उत्पादकों को विवशता में बिक्री करने से संरक्षण प्रदान किया जा सके और फसलोत्तर हानियों को कम किया जा सके। • यह योजना, अधिशेष उत्पादन क्षेत्र से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक उत्पादों के **परिवहन और भंडारण के लिए सब्सिडी** प्रदान करती है। • **पात्र फसलें:** ○ **फल:** आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, खट्टे फल, अनानास, अनार, कटहल। ○ **सब्जियां:** फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरी), भिंडी, प्याज, आलू और टमाटर। ○ भविष्य में कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर **कोई अन्य फल/सब्जियां पात्र सूची में शामिल की जा सकती है।** • **योजना की अवधि:** अधिसूचना की तिथि अर्थात् 11/06/2020 से छह माह की अवधि तक के लिए। • **सहायता का पैटर्न:** मंत्रालय द्वारा, लागत संबंधी मानदंडों के अधीन, निम्नलिखित

VISION IAS

	दो घटकों की लागत का 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी: ○ अधिशेष उत्पादन क्लस्टर से उपभोग केंद्र तक **पात्र फसलों का परिवहन**; और/या ○ पात्र फसलों के लिए **उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेना** (अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए);

17.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

17.3.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

विगत एक वर्ष में इस योजना के तहत विभिन्न परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के साथ आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा को बढ़ावा देना तथा कृषि उपज की बर्बादी को कम करना है।	• **यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।** • यह योजना पहले **संपदा (कृषि-समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters: SAMPADA) के नाम से जानी जाती** थी। • यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्तमान में संचालित योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। • इसके परिणामस्वरूप **फार्म गेट (कृषि स्थल) से लेकर रीटेल आउटलेट (खुदरा बिक्री केंद्र) तक** प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ-साथ आधुनिक आधारभूत संरचना के सृजन को बढ़ावा मिलेगा। 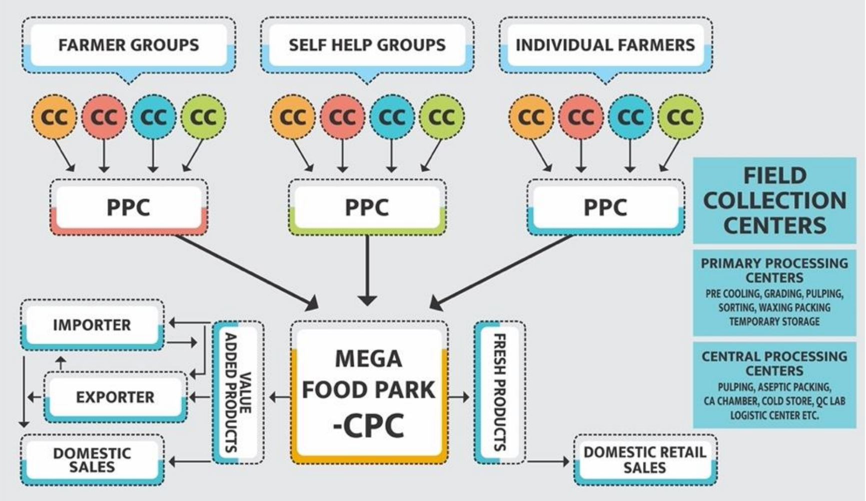 • इस केंद्रीय क्षेत्रक की योजना को वर्ष 2016-20 की समयावधि हेतु अनुमोदित किया गया था। ○ **मेगा फूड पार्क:** सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। इसे विशेष प्रयोजन साधन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ○ **एकीकृत प्रशीतित श्रृंखला, तथा मूल्य वर्धन और सुरक्षा अवसंरचना:** खेत से लेकर उपभोक्ता तक बाधा रहित शीत भंडारण श्रृंखला की सुविधा उपलब्ध कराना। इस अवसंरचना श्रृंखला परियोजना की स्थापना कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) आदि द्वारा की गई है। ○ **खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार:** इसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का

VISION IAS

	सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण/विस्तार करना है। यह परियोजना कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा स्थापित की गई है। ○ **खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना:** इसके दो घटक हैं: ▪ गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करना, ▪ HACCP/ISO मानक/खाद्य सुरक्षा/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। {HACCP अर्थात् संकट विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु प्रणाली (Hazard Analysis and Critical Control Point System); ISO अर्थात् इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन} • **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना**: क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करने हेतु आधुनिक अवसंरचना और साझा सुविधाओं का विकास करना। • **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन:** इंसुलेटेड/रेफ्रिजरेटेड (प्रशीतित) परिवहन के माध्यम से कनेक्टिविटी के साथ-साथ खेत के समीप प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/संग्रहण केंद्रों और अग्रवर्ती छोर पर आधुनिक खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना करना। • **मानव संसाधन एवं संस्थान:** मांग संचालित अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रचार गतिविधियों (सेमिनार, कार्यशालाओं, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन), और क्षेत्रक विशिष्ट कौशल का विकास करना।

© Vision IAS

18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)

18.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

18.1.1. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना- सेहत' (AB-PMJAY SEHAT)** नामक योजना को आरंभ किया गया है। यह योजना बीमा मोड पर PM-JAY के साथ संचालित होगी और संपूर्ण भारत में पोर्टेबल होगी।

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएं**
• सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) के लक्ष्य को प्राप्त करना। • सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और इसकी अंतर्निहित प्रतिबद्धता को पूरा करना, जिसका उद्देश्य है कि "कोई भी पीछे ना छूटे।"	• इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था। इस पहल को SDGs और इसमें अन्तर्निहित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि "कोई भी पीछे ना छूटे।" • इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (निवारक, संवर्धन और एंबुलेटरी देखभाल को कवर करना) को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पथप्रवर्तक हस्तक्षेप करना है। • इसमें दो अंतर-संबंधित घटक शामिल है: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।

18.1.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) का उपयोग कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जरूरी अनुकूलन के साथ आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और देश के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाने के लिए किया गया है।

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएं**

• बाल मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर में कमी करना।
• संचारी तथा गैर-संचारी रोगों (जिनमें स्थानीय स्तर के स्थानिक रोग भी शामिल हैं) की रोकथाम एवं नियंत्रण।
• एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना।
• जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक एवं जनांकिकीय संतुलन स्थापित करना।
• स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को पुनर्जीवित करना तथा आयुष (AYUSH) को मुख्यधारा में लाना।
• भोजन और पोषण, स्वच्छता एवं आरोग्य हेतु सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना; महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को संबोधित करने वाली सेवाओं पर विशेष बल देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच स्थापित करना तथा सार्वभौमिक टीकाकरण।
• स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन प्रदान करना।
	• यह सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्रों और स्वास्थ्य देखभाल के वितरण को सशक्त बनाने के लिए राज्यों के वित्तपोषण तथा समर्थन का एक प्रमुख साधन है।
	• **वित्त वर्ष 2015-16 से, सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है,** वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों, जैसे- जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्त पोषण अनुपात 90:10 है।
	• राज्यों को प्राप्त होने वाला वित्तीयन, राज्य द्वारा निर्मित **कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (Programme Implementation Plan: PIP)** पर आधारित होता है।
	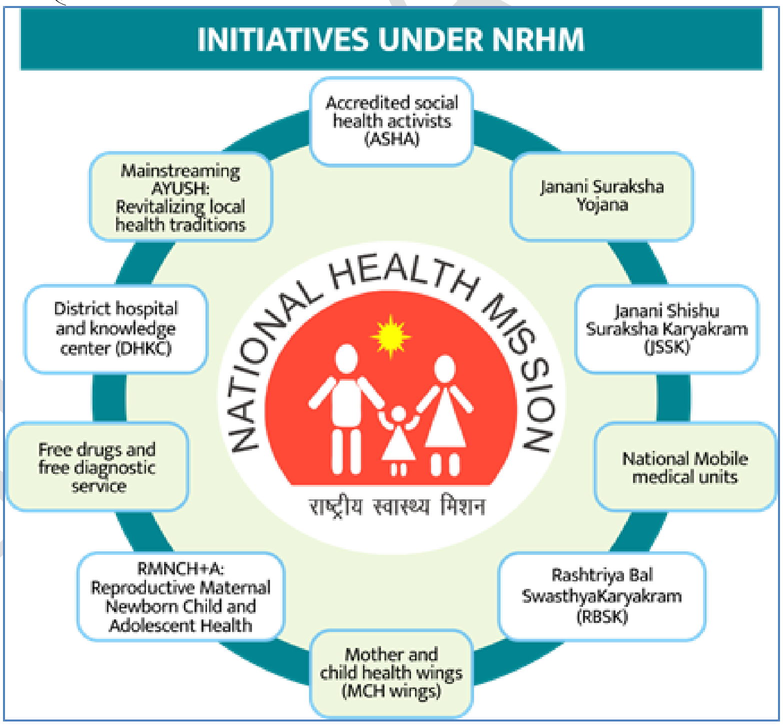
	• इसके अंतर्गत 2 उप-योजनाएँ शामिल हैं:
	  ○ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन;
	  ○ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।
	• जो राज्य मुख्य परिणामों/आउटपुट, यथा- IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं आदि में उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें **प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त वित्त प्रदान किया जाता है।**
	• इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) का क्रियान्वयन NHM के तहत किया जा रहा है। इसका लक्ष्य देश के सभी **कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार तथा बाजार में उपलब्धता और भंडारण संबंधी तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी देना है।**

	○ eVIN संपूर्ण देश में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के स्टॉक और भंडारण संबंधी तापमान की वास्तविक समय आधारित निगरानी को सक्षम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को संयोजित करती है।

18.1.3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission)#

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएं**
• विशेष रूप से जनसँख्या के **निर्धन और सुभेद्य वर्गों** को सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। • सभी स्तरों पर **अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण** (inter-sectoral convergence) के साथ एक संपूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना करना। • जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना।	• इसे वर्ष 2005 में EAG {सशक्त कार्य समूह (Empowered Action Group) जिसमें आठ राज्यों के समूह जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं} वाले राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान देने के लिए आरंभ किया गया था। • वित्त वर्ष 2015-16 से सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों जैसे कि जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्त पोषण अनुपात 90:10 है। • इस मिशन के तहत मुख्य ध्यान जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों की विस्तृत श्रृंखला पर है। साथ ही कार्रवाई सुनिश्चित के लिए एक पूर्णरूपेण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली और सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय समाभिरूपता (Inter-Sector Convergence) वाली विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर भी ध्यान दिया गया है। • **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई पहलें:** ○ मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता); ○ जननी सुरक्षा योजना; ○ राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ; ○ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK); ○ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK); ○ माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड (MCH wings); ○ RMNCH+A - प्रजननशील मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health)। ○ नि:शुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा। ○ जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र (District Hospital and Knowledge Center: DHKC)। ○ स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुन: जीवित करके **आयुष को मुख्य धारा में लाना।** • NRHM के अंतर्गत 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर एवं कस्बों को सम्मिलित किया जाना जारी रहेगा।

VISION IAS

18.1.4. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission)#

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर शहरी आबादी (विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों) की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। • लोगों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले **व्यय के अतिभार (out of pocket expenses)** को कम करना।	• यह 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और शहरों/कस्बों को शामिल करेगा। • आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट **शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली।** • समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी। • जिला स्वास्थ्य कार्य योजना। ○ **वित्त वर्ष 2015-16** से, सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों, जैसे- जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्त पोषण 90:10 है। • कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। • सेवा वितरण बुनियादी ढांचे के लिए यह शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) तथा रेफरल हॉस्पिटल और आउटरीच सेवाएं प्रदान करता है। • सामुदायिक प्रक्रिया हेतु इसमें महिला आरोग्य समिति और आशा/लिंक कर्मचारी (Link Worker) को शामिल किया गया है।

18.1.5. जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना।	• गर्भवती महिलाएं। • नवजात शिशु।	• JSY एक 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह योजना गर्भावस्था के दौरान प्रसूति पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान संस्थागत देखभाल तथा प्रसूति उपरांत देखभाल के साथ-साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है। • पात्र गर्भवती महिलाएं सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बच्चे को जन्म देने पर **नकद सहायता** की हकदार हैं। इस योजना में माँ की आयु और बच्चों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है। • घर पर ही प्रसव को प्राथमिकता देने वाली गर्भवती **BPL महिलाओं** को उनकी आयु और बच्चों की संख्या से निरपेक्ष, प्रति प्रसव **500 रुपये की नकद सहायता** प्रदान की जाती है। • निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में विशेष व्यवस्था के तहत **निर्धन गर्भवती महिलाओं** पर विशेष ध्यान दिया जाता है। • गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Performance based incentives)** प्रदान किया जाता है।

 © Vision IAS

18.1.6. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (Janani Shishu Suraksha Karyakram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• संस्थागत प्रसव में होने वाले **अधिक खर्च की समस्या का समाधान** करना, क्योंकि यह गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव न कराने का प्रमुख कारण है। • गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	• प्रसव हेतु सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाली गर्भवती महिलाएं।	• **निःशुल्क प्रसव:** इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक संस्थानों में (अधिकार आधारित दृष्टिकोण) मुफ्त दवाएँ एवं खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज, आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त रक्त आधान, **सामान्य प्रसव के मामले में तीन दिनों तक** तथा **सी-सेक्शन (सिजेरियन डिलीवरी) के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार** दिया जाता है। सभी बीमार नवजात और शिशुओं के लिए समान पात्रताएं हैं। • इसमें घर से स्वास्थ्य केंद्र तक जाने एवं वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। • यह जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत गर्भवती महिला को दी जाने वाली नकद सहायता के पूरक के रूप में कार्य करती है। इसमें **नकद सहायता हेतु कोई घटक नहीं** है।

18.1.7. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना।	• सभी गर्भवती महिलाएं, जो अपनी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी त्रैमासिक अवधि में हैं।	• **प्रत्येक माह की 9 तारीख** को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, निश्चित दिन को सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण **प्रसवपूर्व देखभाल (antenatal care)** प्रदान करना। • इस अभियान के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान एवं उनकी जांच करना है। • निजी क्षेत्र के डॉक्टर सरकार की इस पहल में सहयोग प्रदान करेंगे। • यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

18.1.8. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme: UIP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश भर के सभी बच्चों को 12 टीका निवारण योग्य रोगों (Vaccine Preventable Diseases: VPD) से सुरक्षित रखने हेतु निःशुल्क टीके उपलब्ध कराना। • प्रतिरक्षण कवरेज में तीव्रता से वृद्धि करना। • स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय शीत श्रृंखला प्रणाली	• यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। • इसे वर्ष 1985 में आरंभ किया गया था और यह विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है तथा देश में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है। • UIP के तहत, 12 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध मुफ्त टीके लगाए जाते है: तपेदिक (टी.बी.), डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस-B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप-B के कारण होने वाला निमोनिया और मेनिनजाइटिस, खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) और रोटावायरस। (चयनित राज्यों और जिलों में रूबेला, JE और रोटावायरस वैक्सीन)।

(Cold chain system) की स्थापना करना। • टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। • VPD और **ऐडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (AEFI)** के लिए निगरानी प्रणाली को सशक्त करना और उसे बनाए रखना। • UIP में नए और अप्रयुक्त टीकों व प्रौद्योगिकी की शुरुआत एवं और उनके उपयोग में वृद्धि करना।	• **UIP के तहत प्रदान किए जाने वाले टीके:** ○ **BCG (बेसिल कालमेट-ग्युरिन) वैक्सीन:** यह नवजात शिशुओं को ट्यूबरक्युलर मेनिनजाइटिस और संचारित होने वाले टी.बी. से संरक्षण के लिए दिया जाता है। ○ **OPV (ओरल पोलियो वैक्सीन):** यह बच्चों को पोलियोमेलाइटिस से संरक्षण प्रदान करता है। ○ **हेपेटाइटिस-B वैक्सीन:** यह हेपेटाइटिस-B वायरस संक्रमण से संरक्षण प्रदान करता है। ○ **पेंटावैलेंट वैक्सीन:** यह पांच रोगों- डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस (काली खांसी), हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप-B, हेपेटाइटिस-B से बच्चों संरक्षण प्रदान करने वाली संयुक्त वैक्सीन है। ○ **रोटावायरस वैक्सीन:** यह रोटावायरस डायरिया के विरुद्ध नवजात शिशुओं और बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। यह चयनित राज्यों में दिया जाता है। ○ **PVC (न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन):** यह नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोगों से संरक्षण प्रदान करता है। यह चयनित राज्यों में दिया जाता है। ○ **FIPV (आंशिक निष्क्रिय पोलियोमेलाइटिस वैक्सीन) (Fractional Inactivated Poliomylitis Vaccine):** इसका उपयोग पोलियोमेलाइटिस के विरुद्ध संरक्षण बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ○ **ख़सरा / एम.आर. वैक्सीन (Measles/ MR vaccine):** बच्चों को ख़सरा से बचाने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में ख़सरा और रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए ख़सरा और रूबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है। ○ **JE (जापानी इन्सेफेलाइटिस वैक्सीन):** JE वैक्सीन अभियान के बाद JE के लिए चयनित स्थानीय जिलों में दिया जाता है। ○ **डी.पी.टी. बूस्टर:** डी.पी.टी. {डिप्थीरिया, पर्टुसिस (whooping cough) और टेटनस} एक संयुक्त वैक्सीन है। यह बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस और काली खाँसी (पर्टुसिस) से संरक्षित करता है। ○ **टेटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया (TD) वैक्सीन:** टेटनेस टॉक्साइड (TT) वैक्सीन को UIP में TD वैक्सीन से प्रतिस्थापित कर दिया गया है ताकि किशोरों और प्रौढ़ वयस्कों (सभी आयु वर्ग के समूहों के लिए) में डिप्थीरिया के विरुद्ध प्रतिरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। **नोट:** टीकाकरण एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति में प्रतिरक्षित या संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। टीकाकरण व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से संरक्षित करने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

18.1.9. मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
इसका मुख्य लक्ष्य दो वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है।	• निम्न टीकाकरण कवरेज वाले स्थानों तथा उन क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जहाँ पहुँचना कठिन होता है और जहाँ ऐसे बच्चों का अनुपात उच्चतम है अर्थात् जिनका या तो पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से ही	• इसे वर्ष 2014 में, टीकाकरण कार्यक्रम को पुन:सक्रिय करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। • ध्यातव्य है कि UIP के तहत सभी टीके निशुल्क उपलब्ध कराए जाते है।

© Vision IAS

	टीकाकरण हुआ है।
	• गर्भवती महिलाएं, जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया गया है।
		• सरकार ने देश भर के 28 राज्यों में उन 201 जिलों को लक्षित किया है, जहाँ आंशिक टीकाकरण वाले अथवा टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी।
		• मिशन इन्द्रधनुष के कुल छह चरणों को पूरे देश में 554 जिलों को कवर करते हुए पूर्ण किया गया है।
		• इस हेतु WHO, UNICEF, रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
		• जहाँ बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है वहां पूर्ण टीकाकरण के लिए "कैच अप" अभियान का प्रारंभ।
		• **सघन मिशन इन्द्रधनुष (IMI):**
		  ○ **IMI:** इसे वर्ष 2017 में दो वर्ष तक की आयु वाले प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं की शामिल करने के लिए आरंभ किया गया था, जो विभिन्न कारणों से UIP में शामिल होने से वंचित रह गए थे।
		  ○ **IMI 2.0** को वर्ष 2019 में सभी उपलब्ध टीकों की असेवितों तक पहुंच सुनिश्चित करने और चिन्हित जिलों और प्रखंडों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज को गति प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।
		  ○ **IMI 3.0:** इसे देश के सभी जिलों में 90% पूर्ण प्रतिरक्षण (टीकाकरण) कवरेज प्राप्त करने और टीकाकरण प्रणाली के माध्यम से कवरेज को बनाए रखने के लक्ष्य के साथ फरवरी, 2021 में आरंभ किया गया था।
		    ▪ इस मिशन के तहत उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान दिया जाएगा जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण से चूक गए हैं।
		    ▪ इसके अतिरिक्त, इसमें प्रवासन क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा।
		    ▪ **IMI 3.0** के तहत, जिलों को कम जोखिम मध्यम जोखिम; और उच्च जोखिम वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
		• मिशन इन्द्रधनुष (MI) के प्रथम चरण के पश्चात् से **37.64 मिलियन बच्चों और 9.46 मिलियन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।**

19. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)

19.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

19.1.1. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैट्री भंडारण कार्यक्रम" {Production Linked Incentive (PLI) Scheme 'National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

18,100 करोड़ रुपये खर्च कर 50 गीगा वाट घंटा (GWh) वाली उन्नत रसायन सेल (ACC) बैट्री की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करना और 5 गीगा वाट घंटा की "उपयुक्त" (Niche) विनिर्माण क्षमता प्राप्त करना।	• **ACC बैटरी स्टोरेज विनिर्माताओं का चयन एक पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम** से किया जाएगा।
	• विनिर्माण सुविधा को दो वर्षों की अवधि के भीतर तैयार करना होगा। इसके बाद **प्रोत्साहन राशि** को **पांच वर्षों की अवधि के दौरान वितरित** किया जाएगा।
	• ऊर्जा घनत्व एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा स्थानीय मूल्यवर्धन में वृद्धि के एवज में प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि होगी।
	  ○ प्रत्येक चयनित ACC बैटरी स्टोरेज विनिर्माता को न्यूनतम 5 GWh क्षमता की **ACC विनिर्माण सुविधा स्थापित करने और पांच वर्षों के भीतर परियोजना स्तर पर न्यूनतम 60% घरेलू मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध** होना होगा।
	  ○ लाभार्थी फर्मों को कम से कम 25 प्रतिशत का घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा और दो वर्षों में 225 करोड़ रुपये/गीगावॉट घंटा का अनिवार्य निवेश करना होगा। बाद में उसे पांच वर्ष के भीतर 60 प्रतिशत तक घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा। यह सभी कार्य एकीकृत इकाई के मामले में मूल संयंत्र के स्तर पर या परियोजना स्तर पर किया जाना है।
	इस योजना से प्राप्त हो सकने वाले लाभ/परिणाम इस प्रकार हैं:
	• ACC बैटरी भंडारण विनिर्माण परियोजनाओं में लगभग 45,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश।
	• यह योजना भारत में बैटरी भंडारण के लिए मांग सृजन को सुगम बनाएगी।
	• **मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा:** घरेलू मूल्य-प्राप्ति पर अधिक बल देने से अंततः आयात निर्भरता में कमी आएगी।
	• इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स (EVs) के अंगीकरण के कारण तेल आयात बिल में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप 2,00,000 करोड़ रुपये से लेकर 2,50,000 करोड़ रुपये तक की शुद्ध बचत होगी। ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत ACC विनिर्माता, EVs के तीव्र अंगीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
	• ACCs के विनिर्माण से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।
	• प्रति वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये के आयात प्रतिस्थापन की संभावना।
	• ACC में उच्च विशिष्ट ऊर्जा घनत्व और उत्पादन चक्र प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है।
	• यह नई और विशिष्ट सेल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगा।
	नोट: ACC वस्तुतः उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों पर आधारित एक नई पीढ़ी की बैटरी है, जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। हालांकि, वर्तमान में भारत में ACC से संबंधित सभी मांग को आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

© Vision IAS

20. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

20.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

20.1.1. साक्षी संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवंबर 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने मौजूदा और पूर्व विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली निचली अदालतों को साक्षी संरक्षण योजना, 2018 के तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करने के लिए कहा था, भले ही इसके लिए गवाहों की ओर से कोई विशिष्ट आवेदन न किया गया हो। यह संरक्षण गवाहों की सुभेद्यता को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जा सकता है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
जोखिम आकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर गवाहों की सुरक्षा करना। इसमें शामिल हैं- आवश्यक होने पर गवाहों की पहचान बदलना, उन्हें सुरखित स्थान पर ले जाना, उनके आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना करना, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोर्ट रूम का उपयोग करना आदि।	• साक्षी संरक्षण योजना के तहत गवाहों की **तीन श्रेणियां** निर्धारित की गयी हैं: ○ **श्रेणी 'A':** जब मामले की जांच/ट्रायल के दौरान या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की जान को खतरा हो। ○ **श्रेणी 'B':** जब जांच/ट्रायल के दौरान या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा हो। ○ **श्रेणी 'C':** ऐसे मामले जहां खतरा मध्यम हो और जांच/ट्रायल के दौरान या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्य की प्रतिष्ठा या संपत्ति के उत्पीड़न या शोषण की धमकी दी गई हो। • योजना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, यह योजना **राज्य गवाह संरक्षण कोष** का प्रावधान करती है। यह निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधीन विभाग/गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी और **इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** ○ राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया गया **बजटीय आवंटन;** ○ न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा **गवाह सुरक्षा कोष में जमा किए जाने के आदेशित/आरोपित लागत की राशि की प्रति;** तथा ○ सरकार द्वारा अनुमत परोपकारी/धर्मार्थ संस्थानों/संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त **दान/आर्थिक योगदान।** ○ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रदत्त फंड/निधि।

VISION IAS

21. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs)

21.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

21.1.1. जल जीवन मिशन-शहरी {Jal Jeevan Mission (Urban) (JJM-U)}#

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• सतत विकास लक्ष्य-6 को ध्यान में रखते हुए, सभी 4,378 वैधानिक शहरों के सभी घरों में कार्यशील नल के माध्यम से जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना।
• 500 अमृत (AMRUT) शहरों में वाहित मल / सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करना।
• शहरी जलभृत प्रबंधन योजना (Urban Aquifer Management plan) के माध्यम से स्थायी ताजे जल की आपूर्ति को बढ़ावा देना।
• बाढ़ को कम करने एवं सुविधा बढ़ाने के लिए हरित स्थानों और जल प्रबंधन में दक्ष शहरों का निर्माण करने हेतु जल निकायों के जीर्णोद्धार पर ध्यान केंद्रित करना।
	• इस मिशन को वर्ष 2021-22 के बजट में लॉन्च किया गया था।
	• **निधियन/वित्तपोषण:** संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण; पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90%, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए एक तिहाई और 10 लाख से अधिक (मिलियन प्लस) आबादी वाले शहरों के लिए 25%
	• **परिणाम आधारित निधियन/वित्तपोषण:** निधियन/वित्तपोषण वस्तुतः तीन चरणों में अर्थात् 20:40:40 के अनुपात में की जाएगी। प्राप्त परिणामों और विश्वसनीय अपवर्जन के आधार पर तीसरी किस्त जारी की जाएगी।
	• **पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा देना:** 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने कुल परियोजना हेतु आबंटित निधि का कम से कम 10% PPP वाले परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निवेश करें।
	• JJM(U) मुख्यतः उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण / पुन: उपयोग, जल निकायों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए शहरी जल संतुलन योजना के विकास द्वारा जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
	• जल के क्षेत्र में नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु जल प्रौद्योगिकी उप-मिशन को शुरू किया जाएगा।
	• जल संरक्षण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication: IEC) नामक एक अभियान को प्रारंभ किया जाएगा
	• जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग तथा जल की मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से जल निकायों के मानचित्रण को सुनिश्चित करने के लिए शहरों में **पेय जल सर्वेक्षण** को आयोजित किया जाएगा।
	• **शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत** करने और शहरों की जल सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ **मिशन के तहत एक सुधार एजेंडे पर** जोर दिया गया है। इन प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:
	  ○ गैर-राजस्व जल को 20% से कम करना;
	  ○ शहर की कुल जल की मांग का कम से कम 20% और राज्य स्तर पर औद्योगिक जल की मांग के 40% को पूरा करने के लिए उपचारित किए गए जल का पुनर्चक्रण तथा दोहरी पाइपिंग प्रणाली, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट;
	• शहरों के लिए **GIS आधारित मास्टर प्लान;** नगरपालिका बॉण्ड जारी करके और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से धन जुटाना।

© Vision IAS

21.1.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना
{Prime Minister Street Vendor's AtmaNibhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme}
	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
	• इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स (पथ विक्रेताओं) को अपनी आजीविका को पुन: प्रारंभ करने के लिए 10,000 रुपये तक का वहनीय कार्यशील पूंजी ऋण (working capital loan) प्रदान करना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहे हैं।
	• **प्रमुख विशेषताएं:**
	  ○ 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी,
	  ○ निर्धारित समय पर/समय से पूर्व ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 7% की दर से ब्याज अनुदान/छुट,
	  ○ डिजिटल लेन-देन पर मासिक कैश-बैक प्रोत्साहन,
	  ○ पहला ऋण यदि समय पर चुका दिया जाए, तो उसके बाद ऋण पात्रता में और अधिक वृद्धि,
	  ○ ऋण के नियमित भुगतान हेतु अन्य प्रोत्साहन, तथा
	  ○ डिजिटल लेन-देन को पुरस्कृत किया जाएगा।
	• मंत्रालय ने पी.एम. स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग (वर्गीकरण) हेतु एक पहल को शुरू किया है।
	  ○ इस वर्गीकरण के पश्चात् और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, पात्र लाभार्थियों को अन्य केंद्रीय योजनाओं के लाभ पहुंचाए जाएंगे, ताकि उनका समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो सके।

21.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

21.2.1. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी {Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)- Urban}*/#

सुर्ख़ियों में क्यों?

जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में "किफायती किराये के आवासीय परिसर (Affordable Rental Housing Complexes: ARHC)" नामक एक योजना आरंभ की गयी।

PMAY (शहरी) & PMAY (ग्रामीण) का मुख्य लक्ष्य → सभी के लिए वर्ष 2022 तक आवास मिशन		
उद्देश्य	**अपेक्षित लाभार्थी**	**प्रमुख विशेषताएं**
• सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों की लगभग 1.12 करोड़ घरों की मांग को ध्यान में रखते हुए मकान उपलब्ध कराने हेतु राज्यों / संघ	• इसके लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं: आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (Economically weaker section: EWS), निम्न आय समूह (Low-Income Groups: LIGs) तथा मध्यम आय समूह (Middle Income	• जहाँ केवल **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)** घटक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme: CSS) के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, वहीं अन्य तीनों घटकों का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS) के रूप में किया जाएगा। • इसके तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) के माध्यम से निम्नलिखित हेतु शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies: ULBs) तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है:

राज्यक्षेत्रों (UTs) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना।	Groups: MIGs)।
	• **EWS के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये, LIGs के लिए 3-6 लाख रुपये तथा MIGs के लिए 6 लाख रुपये से अधिक किंतु 18 लाख रुपये से कम** निर्धारित की गयी है।
	• देश के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के परिवार के पास या लाभार्थी के नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।
		
		• जहाँ EWS श्रेणी के लाभार्थी इस मिशन के उपर्युक्त चारों घटकों के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे, वहीं LIG तथा MIG श्रेणी के लाभार्थी केवल मिशन के CLSS घटक के लिए ही पात्र होंगे।
		• हालांकि, इस मिशन के तहत, लाभार्थी केवल एक घटक के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
		• इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित / अर्जित घर वस्तुतः परिवार की महिला मुखिया (head) अथवा घर के पुरुष मुखिया व उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है।
		• अपने राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है।
		• **मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम** (slum rehabilitation programme) के तहत प्रति घर औसतन एक लाख रुपये केंद्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएँगे।
		• CLSS के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।
		• इस योजना के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु **जिओ-टैगिंग** का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए **पब्लिक फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS)** को अपनाया गया है। निर्माण संबंधी नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाये जाने के लिए **टेक्नोलॉजी सब-मिशन** प्रारंभ किया गया है।
		• सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्रक को **"अवसंरचना का दर्जा"** प्रदान किया है, इससे PMAY को बढ़ावा मिलेगा।
		• **किफायती किराये के आवासीय परिसरों (ARHCs) के बारे में**
		  ○ ARHCs का प्रयोजन शहरी प्रवासियों / निर्धनों को सुगमतापूर्ण जीवनयापन के लिए उनके कार्यस्थल के निकट वहनीय किराये वाले आवासीय परिसरों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना है।
		  ○ **अपेक्षित लाभार्थी:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) की श्रेणी में शामिल शहरी प्रवासी / निर्धन व्यक्ति।
		  ○ इसके अंतर्गत श्रमिक, औद्योगिक कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, छात्र आदि शामिल हैं।
		  ○ निम्नलिखित दो मॉडलों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा:
		    ▪ वर्तमान में सरकार के वित्त से निर्मित रिक्त आवासीय परिसरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक

		एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित किया जाएगा। ▪ सार्वजनिक / निजी संस्थाओं द्वारा अपनी रिक्त भूमि पर ARHCs का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाएगा। ○ केंद्र सरकार किफायती आवास निधि और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार) के तहत रियायती परियोजना वित्त, आयकर और GST में छूट तथा प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगी ताकि ARHCs में नवोन्मेषी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके। • इस योजना को सभी **सांविधिक कस्बों**, अधिसूचित नियोजन क्षेत्रों (Notified Planning Areas) तथा विकास क्षेत्र / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यान्वित किया जाएगा।

21.2.2. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक संसदीय स्थायी पैनल (मार्च 2021) के अनुसार, चयन की संबंधित तारीखों से लेकर 5 वर्षों की अवधि में केवल 35,457 करोड़ रुपये (18%) की 2,189 परियोजनाओं को ही पूरा किया गया है।

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएं**
• इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है, जो अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना (core infrastructure) उपलब्ध करवाते हैं और उन्हें एक संतोषजनक व गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। साथ ही वे स्वच्छ व संधारणीय पर्यावरण का विकास करते हैं तथा 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। • इसका उद्देश्य संधारणीय एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऐसे उदाहरण स्थापित करना भी है जिनका स्मार्ट सिटी के अंदर और बाहर, दोनों जगह अनुकरण किया जा सके ताकि देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्मार्ट सिटीज़ के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके। • विशेष रूप से निर्धनों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जीवन को सरल बनाना।	• स्मार्ट सिटी मिशन एक **केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS)** है। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा पांच वर्षों में प्रति वर्ष प्रति शहर लगभग 100 करोड़ रुपये की औसत **वित्तीय सहायता** देने का प्रस्ताव है। **इसमें राज्य / शहरी स्थानीय निकायों को, केंद्र द्वारा दी गयी राशि से संगत समान राशि का योगदान करना होगा।** • इस मिशन में **100 शहरों को सम्मिलित** किए जाने का प्रस्ताव है और इसकी अवधि पांच वर्ष होगी (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक)। हालांकि, शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के बाद, प्राप्त अनुभवों एवं सीख को मिशन में शामिल करने के उद्देश्य से इस मिशन को जारी रखा जा सकता है। • एक समान मानदंड के आधार पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाना है। अपनाए गए फॉर्मूले में राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की शहरी आबादी और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में सांविधिक कस्बों की संख्या को समान महत्व (50:50) दिया गया है। इस फॉर्मूले के आधार पर, प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में निश्चित संख्या में संभावित स्मार्ट शहर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से कम से कम एक स्मार्ट शहर प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। • **मिशन रणनीति:** ○ पूरे शहर के लिए पहल, जिसमें कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहर भर में लागू किया गया है ○ क्षेत्रों का चरण-दर-चरण विकास तथा क्षेत्र-आधारित विकास के तीन मॉडल ○ रेट्रोफिटिंग ○ पुनर्विकास

VISION IAS

	○ ग्रीनफील्ड • **मुख्य अवसंरचनात्मक घटक:** पर्याप्त जल आपूर्ति, सतत विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, वहनीय आवास (विशेष रूप से गरीबों के लिए), सुदृढ़ आई.टी. कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन (विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी), संधारणीय पर्यावरण, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा (विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और वृद्ध) तथा स्वास्थ्य और शिक्षा। • शहरी स्तर पर इस मिशन का कार्यान्वयन एक **विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle: SPV)** द्वारा किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता एक सी.ई.ओ. द्वारा की जाएगी और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies: ULBs) के नामित सदस्य शामिल होंगे। SPV शहरी स्तर पर **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत निगमित एक लिमटेड कंपनी होगी, जिसमें राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और ULBs के 50:50 इक्विटी शेयरधारिता वाले प्रमोटर शामिल होंगे। • भारत सरकार द्वारा SPV को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदत्त निधियां सशर्त अनुदान के रूप में होंगी और इन्हें एक पृथक अनुदान कोष में रखा जाएगा। • **20:20 मॉडल/अवधारणा:** हाल ही में, केंद्र ने एक "100-डेज चैलेंज" की शुरुआत की है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 20 स्मार्ट शहरों को अंतिम 20 स्मार्ट शहरों के साथ **सिस्टर सिटी** के रूप में संबद्ध किया जाएगा। वे तकनीकी ज्ञान ग्रहण कर और वित्तीय अध्ययनों के माध्यम से ख़राब प्रदर्शन करने वाले शहरों की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। • नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में योगदान देने हेतु **एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC)** की स्थापना की जा रही है। इससे अपराध की रोकथाम, बेहतर निगरानी और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।
स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अन्य महत्वपूर्ण पहलें	• **"ईज़ ऑफ़ लिविंग"** सूचकांक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है जो शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उनमें रहने की सुगमता का आकलन करने में सहायता करता है तथा शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के 'परिणाम-आधारित' दृष्टिकोण को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है। • **भारत शहरी वेधशाला (India Urban Observatory):** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में एक अत्याधुनिक भारत शहरी वेधशाला का परिचालन आरंभ किया गया है। यह वेधशाला शहरों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत और सरकारों के लिए विश्लेषिकी के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र करने हेतु शहरों से प्राप्त होने वाले डेटा (वास्तविक समय और अभिलेखीय दोनों ही स्रोतों से) के विभिन्न स्रोतों से जुड़ी होगी। यह साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करेगी।

21.2.3. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) {Swachh Bharat Mission (URBAN)}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में, **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0** को आगामी 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• खुले में शौच की प्रथा को उन्मूलित करना।
• अस्वास्थ्यकर शौचालयों का फ्लश शौचालयों में रूपांतरण।
• हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्केवेंजिंग) का उन्मूलन।
• नगर निगम के ठोस अपशिष्ट का 100% संग्रहण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण / निपटान, पुन: उपयोग / पुनर्चक्रण।
• स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों में एक व्यवहारिक परिवर्तन लाना।
• स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्वच्छता प्रभावों के बारे में नागरिकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना।
• डिजाइन, निष्पादन और व्यवस्था को संचालित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना।
• पूंजीगत व्यय और संचालन एवं रखरखाव लागत में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु समर्थकारी परिवेश का सृजन करना।
	• **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)** को भारत में स्वच्छता परिदृश्य को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को पांच वर्ष की अवधि (वर्ष 2014-2019) के लिए शुरू किया गया था। खुले में शौच मुक्त (ODF) 35 राज्यों के शहरी क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल के 52 ULBs को छोड़कर) के साथ भारत ने ODF भारत की परिकल्पना को साकार किया है।
	• केंद्र सरकार और राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच वित्तीयन का अनुपात 75%: 25% है (पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए यह 90%: 10% है)।
	• इस मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:
	  ○ घरेलू शौचालयों का निर्माण,
	  ○ समुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय,
	  ○ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
	  ○ सूचना, शिक्षा और संचार तथा जन जागरूकता,
	  ○ क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक और कार्यालय व्यय।
	• वित्त पोषण संबंधी अंतराल को कम करने के लिए **वित्त मंत्रालय के स्वच्छ भारत कोष** और **निगमित सामाजिक दायित्व** को प्रस्तावित किया गया है।
	• **SBM (U) 2.0:** यह स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को आगे जारी रखने हेतु एक पहल है। सभी सांविधिक नगरों में वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए इसमें निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाएगा:
	  ○ सतत स्वच्छता (Sustainable sanitation) (शौचालय का निर्माण);
	  ○ 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में मल अपशिष्ट प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार की व्यवस्था {यह SBM (U) 2.0 में सम्मिलित एक नया घटक है};
	  ○ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;
	  ○ सूचना, शिक्षा और संचार; और
	  ○ क्षमता निर्माण।
	• मिशन के पूर्ण होने पर, निम्नलिखित परिणाम/लाभ प्राप्त हो सकते हैं:
	  ○ सभी सांविधिक नगर ODF+ प्रमाणित हो जाएंगे;
	  ○ 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर ODF++ प्रमाणित हो जाएंगे;
	  ○ कचरा मुक्त शहरों के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सांविधिक नगरों को कम से कम 3-स्टार रेटिंग प्राप्त हो जाएगी;
	  ○ सभी पुराने अपशिष्ट स्थलों का जैव-उपचार किया जाएगा।

अन्य संबंधित पहलें	
SBM ODF + और ODF ++	• ODF+ और ODF++ का उद्देश्य शौचालय सुविधाओं के उचित रखरखाव और सभी शौच

VISION IAS

प्रोटोकॉल	अपशिष्टों एवं सीवेज का सुरक्षित संग्रह, परिवहन, उपचार/निपटान करना है। ○ **ODF+:** जल, रखरखाव और स्वच्छता युक्त शौचालय। ○ **ODF++:** मल अपशिष्ट और सेप्टेज प्रबंधन युक्त शौचालय। • आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार जिन शहरों को ODF प्रोटोकॉल के आधार पर कम से कम एक बार ODF प्रमाणित किया जा चुका है, वे स्वयं को **SBM-ODF+ और SBM-ODF++ घोषित कर सकते हैं।** **नोट:** • मार्च 2016 में जारी किए गए मूल ODF प्रोटोकॉल में वर्णित किया गया है, "यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है तो उस शहर/वार्ड को ODF शहर/वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। देश में अब तक 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 3,223 शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021	• स्वच्छ सर्वेक्षण वस्तुतः **भारत भर के चयनित शहरों और कस्बों में स्वच्छता, साफ़-सफाई और सैनिटेशन के मूल्यांकन हेतु** आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे **स्वच्छ भारत मिशन** के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2016 में आयोजित पहले सर्वेक्षण में 73 शहरों को शामिल किया गया था; तथा वर्ष 2020 में आयोजित सर्वेक्षण में इन शहरों की संख्या 4,242 हो गई। साथ ही, इसे विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया था। • इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी सुनिश्चित कर कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की अवधारणा की दिशा में की गई पहलों की संधारणीयता को बनाए रखना करना तथा विश्वसनीय परिणाम प्रदान करना है। इस हेतु तृतीय पक्ष के प्रमाणीकरण से मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से मौजूदा प्रणालियों को संस्थागत बनाना और समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता सृजित करना है। • **क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI)** इसका कार्यान्वयन भागीदार है।
वाटर प्लस प्रोटोकॉल	• इसका उद्देश्य शहरों और कस्बों के लिए एक दिशा-निर्देश प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपचारित अपशिष्ट-जल को पर्यावरण में प्रवाहित न किया जाए, जिससे स्वच्छता मूल्य श्रृंखला की संधारणीयता को प्रोत्साहित किया जा सके।
स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र (SSS)-शहरी	• इसे MoHUA और MoHFW के मध्य सहयोग से लागू किया जाएगा। • **गतिविधियों का दायरा:** ○ ODF बनने/बनाए रखने हेतु वार्डों/शहरों (जहां कायाकल्प शहरी-जन स्वास्थ्य केंद्र/U-CHCs अवस्थित हैं) को सक्षम बनाना और उनका समर्थन करना। ○ उच्च स्कोर की प्रगति के लिए ODF वार्ड/शहरों में 70% से कम के कायाकल्प स्कोर वाले U-PHCs/U-CHCs को सुदृढ़ करना। • स्वास्थ्य सुविधाओं और ULBs के नामितों को जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण करना।
MOHUA द्वारा शुरू की गई कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग	• **स्टार-रेटिंग पहल** के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 25 प्रमुख मापदंडों के आधार पर 7-स्टार रेटिंग प्रणाली के आधार पर शहरों की रेटिंग की जाती है जिसके अंतर्गत घर-घर

	जाकर संग्रहण करना (डोर-टू-डोर कलेक्शन), अत्यधिक अपशिष्ट उत्पादन करने वालों के द्वारा अनुपालन करना (बल्क जनरेटर कंप्लायंस), स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, सफाई, अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, वैज्ञानिक भूमि भराव, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस प्रबंधन, डंप उपचार और नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली आदि शामिल होंगे। • शहरों को एक निश्चित स्टार रेटिंग प्राप्त करने हेतु स्व-मूल्यांकन और स्व-सत्यापन करने की आवश्यकता होती है। नागरिकों को भी इसमें शामिल होना होगा। इस स्व-घोषणा को 1-स्टार, 3-स्टार, 5-स्टार और 7-स्टार कचरा मुक्त रेटिंग के लिए MoHUA द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से भी सत्यापित किया जाएगा।
ई-धरती ऐप और ई-धरती जियो पोर्टल	• **भूमि और विकास कार्यालय (L&DO),** मुख्य रूप से लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड तक संपत्ति का रुपांतरण (कन्वर्जन), कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम का प्रतिस्थापन (सबस्टीट्यूशन) और क्रेता के नाम में परिवर्तन (म्यूटेशन) आदि से संबंधित सार्वजनिक आवेदनों का निस्तारण करता है। • इस ऐप के तहत, सभी तीन मॉड्यूल अर्थात् कन्वर्जन, सबस्टीट्यूशन और म्यूटेशन को इनसे संबंधित आवेदन करने हेतु इसे लोगों के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। • पोर्टल पर L&DO के तहत प्रत्येक सरकारी संपत्ति (आवंटित या गैर-आवंटित) का GIS मानचित्र उपलब्ध है।

21.2.4. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)	• हाल ही में, दिल्ली मेट्रो के लिए एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च किया गया है। • NCMC को परिवहन गतिशीलता के लिए **वन नेशन, वन कार्ड** के रूप में घोषित किया गया है। यह पहल रिटेल शॉपिंग व खरीदारी के अतिरिक्त संपूर्ण देश में विभिन्न मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों में निर्बाध यात्रा को सक्षम करेगा। • **NCMC** एक **स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली** है। यह स्मार्टफ़ोन को एक अंतर-संचालनीय (interoperable) ट्रांसपोर्ट कार्ड में रूपांतरित करेगा। यात्री इसका उपयोग अंततः मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं (suburban railways services) के भुगतान के लिए कर सकते हैं।

22. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

22.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

22.1.1. जल जीवन मिशन-ग्रामीण {Jal Jeevan Mission (JJM)-RURAL}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

मार्च 2021 में, जल शक्ति मंत्रालय ने सूचित किया कि 'जल जीवन मिशन (ग्रामीण)' ने देश भर में चार करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध करा कर एक नया अभूतपूर्व लक्ष्य प्राप्त किया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• JJM का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल से जल) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC) उपलब्ध कराना है। ○ **FHTC:** एक नल कनेक्शन की कार्यक्षमता को आधारभूत संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे- घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से दीर्घकालीन रूप से निरंतर व पर्याप्त मात्रा में जल प्रदान करना अर्थात् नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्तायुक्त (BIS: 10500 मानक) कम से कम 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति) जलापूर्ति उपलब्ध कराना। • स्कूलों, आंगनवाड़ी	• JJM, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) का एक उन्नत संस्करण है, जिसे वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था। • **वित्तपोषण सहभाजन प्रतिरूप:** हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • **JJM के तहत घटक:** ○ गांव में प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन हेतु जलापूर्ति अवसंरचना का विकास करना। ○ जलापूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने हेतु विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या विद्यमान स्रोतों का संवर्द्धन करना। ○ जहाँ जल की गुणवत्ता से संबंधित समस्या विद्यमान है, वहां संदूषकों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप करना। ○ **ग्रे वाटर प्रबंधन** (घरेलू मल गाद रहित अपशिष्ट जल)। ○ उपयोगिताओं (utilities), जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, शोध एवं विकास, ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता-निर्माण आदि का विकास करना। • **समुदाय संचालित दृष्टिकोण:** JJM के तहत, ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 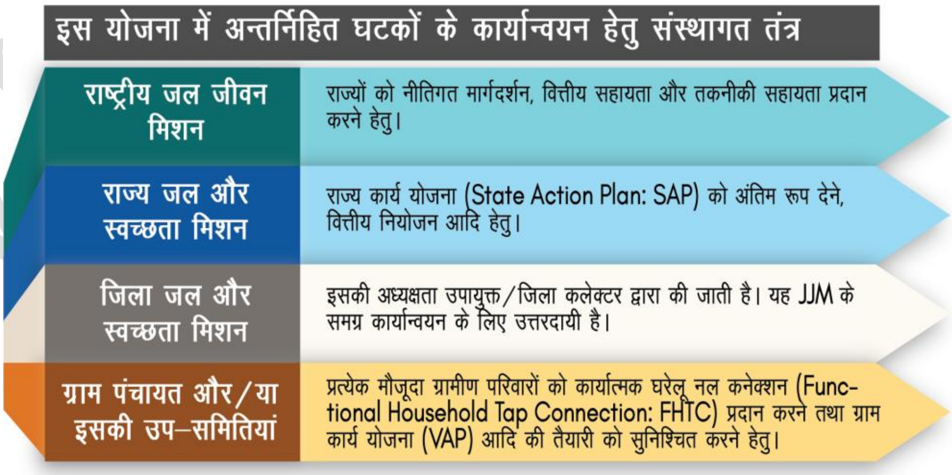 • **कार्यान्वयन रणनीति:** ○ योजनाओं का समयबद्ध समापन प्रस्तावित किया गया है। ○ उन बस्तियों को कवर करने को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां जल गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित है। ○ विद्युत शुल्क, नियमित कर्मचारियों के वेतन और भूमि की खरीद आदि जैसे किसी भी व्यय को केंद्रीय हिस्से पर भारित नहीं किया जाएगा। ○ **उपयोगिता-आधारित दृष्टिकोण:** यह संस्थानों को सेवाप्रदाताओं के रूप में कार्य करने और

© Vision IAS

केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।	पेयजल आपूर्ति सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा सभी प्रकार के उपभोक्ताओं से जल शुल्क वसूल करने में सक्षम बनाएगा। ○ **अभिसरण:** वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण आदि जैसे उपायों को लागू करने हेतु मनरेगा जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत करना। ○ **समुदाय हेतु प्रोत्साहन:** समुदाय को उनके ग्राम में संचालित-जलापूर्ति योजना में पूंजीगत व्यय के 10% का व्यय करने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। ○ **जल गुणवत्ता निगरानी और जांच (WQM&S):** इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और निगरानी गतिविधियों की स्थापना एवं रखरखाव करना शामिल है।
संबंधित पहलें	
जलमणि कार्यक्रम	• इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008 से **ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली** की स्थापना की जा रही है। • इसमें जल शोधन प्रणाली का स्वामित्व विद्यालय अधिकारियों के पास होता है, जबकि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए धन राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।
स्वजल योजना	• यह सामुदायिक मांग द्वारा संचालित, विकेन्द्रीकृत, एकल ग्रामीण और मुख्यतः सौर ऊर्जा से संचालित एक मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई (PWS) कार्यक्रम है। इसे नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों में प्रारम्भ किया गया है। • ग्रामीण समुदायों और राज्य क्षेत्रक एजेंसियों के साथ साझेदारी में ग्राम पंचायतों को इस योजना के निष्पादन हेतु शामिल किया जाएगा तथा ये इस योजना का संचालन और देखरेख भी करेंगी। **यह कार्यक्रम ODF स्थिति को भी बनाए रखेगा।** इस योजना के तहत स्वजल इकाइयों के संचालन और रखरखाव के लिए सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

22.1.2. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण {Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G)}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस मिशन का **दूसरा चरण (Phase-II)** आरंभ किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सफाई व स्वच्छता में सुधार तथा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना। • 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को त्वरित करना। • समुदायों तथा पंचायती राज संस्थानों को जागरुकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से संधारणीय स्वच्छता की प्रथाओं व सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। • पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित तथा संधारणीय स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।	• यह मिशन वर्ष 2019 तक पांच वर्षों (2014-2019) में देश को **खुले में शौच मुक्त** (**Open Defecation Free: ODF**) बनाने के लिए तत्कालीन निर्मल भारत अभियान को पुनर्संरचित करके 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। • इसका उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना तथा ग्राम पंचायतों को **ODF,** साफ एवं स्वच्छ बनाने का प्रयास करना है। • **परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन:** यह व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (Individual Household Latrines: IHHL) के निर्माण हेतु निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) के सभी परिवारों के लिए उपलब्ध है। निर्धनता रेखा से ऊपर (Above Poverty Line: APL) के परिवारों के लिए यह प्रोत्साहन अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों, लघु और सीमांत किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से दिव्यांग और महिला मुखिया वाले परिवारों तक ही सीमित है। • **इसे विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाला कार्यक्रम** कहा जाता है, **जिसने जमीनी स्तर पर जन आंदोलन** को उत्पन्न करके असंभव प्रतीत होने वाले

• ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन तंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सामुदायिक रूप से प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना।
• विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के मध्य स्वच्छता में सुधार करके महिला पुरुष समानता पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना तथा सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना।
	लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2 अक्टूबर 2019 को **भारत के सभी जिलों** ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free: ODF) घोषित कर दिया।
	• **दूसरा चरण (Phase-II):**
	  ○ यह चरण **वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25** की अवधि के लिए आरंभ किया गया है।
	  ○ केंद्र और राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य सभी घटकों के लिए **निधि का साझाकरण** प्रतिरूप पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 60:40 व अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100:00 होगा।
	  ○ यह कार्यक्रम के प्रथम चरण (2014-2019) में शौचालय की उपलब्धता और उनके उपयोग के मामले में अर्जित उपलब्धियों को बनाए रखने पर (अर्थात् संधारणीयता) ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही, सभी तक इन लाभों की पहुँच को सुनिश्चित करेगा।
	  ○ इसे **मिशन मोड के तहत** कार्यान्वित किया जाएगा।
	  ○ यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि **देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) निस्तारण की व्यवस्था की** जाए।
	  ○ **वित्त पोषण:** इसका वित्तपोषण बजटीय सहायता और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा तथा विशेष रूप से **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)** के लिए राजस्व सृजन मॉडल के तहत जारी निधि से प्रबंधित किया जाएगा।
	  ○ **निगरानी:** "ODF प्लस" के **SLWM** घटक की निगरानी **चार प्रमुख क्षेत्रों,** यथा- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जैव-निम्नीकृत ठोस अपशिष्ट (पशु अपशिष्ट सहित) प्रबंधन, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन और मल गाद प्रबंधन **के निर्गत-परिणाम संकेतकों** के आधार पर की जाएगी।
	  ○ **रोजगार सृजन:** यह घरेलू **शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण** के साथ-साथ SLWM के लिए अवसंरचना, जैसे- **कंपोस्ट पिट, जल को सोखने वाले गर्त, अपशिष्ट जल स्थिरीकरण तालाब और सामग्री संग्रह केंद्रों** के निर्माण के माध्यम से किया जाएगा।
	  ○ **ODF प्लस गांव:** इसे "ऐसे गांव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करता है तथा गांव देखने में स्वच्छ दिखाई देता है।" इसके तहत यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि गाँव के सभी घरों के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो। साथ ही, सभी सार्वजनिक स्थानों एवं **कम से कम 80% घरों में अपने ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता हो तथा न्यूनतम कचरा और न्यूनतम अपशिष्ट जल का जमाव हो।**

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र पहल	• यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन (SBM) का भाग है। • उत्तम स्वच्छता तथा वर्धित जागरुकता व स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय की एक संयुक्त पहल** है। • स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तीन प्रमुख घटक हैं: ○ कायाकल्प प्रमाणीकरण (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के उच्च मानकों के लिए प्रमाण पत्र) प्राप्त करने हेतु खुले में शौच मुक्त (ODF) ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य

	केंद्रों (CHC) की सहायता की जाएगी। ○ कायाकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) की ग्राम पंचायत को ODF बनने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ○ CHC/PHC नामितों को WASH (जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य/Water, Sanitation and Hygiene) में प्रशिक्षण दिया जाएगा। • कायाकल्प पुरस्कार विजेता PHC ग्राम पंचायत में ODF गतिविधियों का संचालन करेगा तथा उन CHC और PHC के नामित को WASH प्रशिक्षण प्रदान करेगा। • इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे साफ़-सफाई, स्वच्छता और मानक नियंत्रण के स्टैण्डर्ड को पूरा करने के लिए सुदृढ़ हो सकें।
स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (Swachh Iconic Places: SIP) पहल	• यह संबंधित राज्य और स्थानीय सरकारों तथा तीन केंद्रीय मंत्रालयों नामतः **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय की एक संयुक्त पहल** है। उल्लेखनीय है कि इस पहल हेतु **जल शक्ति मंत्रालय** नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। • इस पहल का उद्देश्य ऐसे स्थलों पर और आसपास सैनिटेशन एवं स्वच्छता मानकों में सुधार करके घरेलू व विदेशी दोनों आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाना है। • संपूर्ण भारत में 100 स्थानों को **उनकी विरासत, धार्मिक तथा/या सांस्कृतिक महत्व के कारण "प्रतिष्ठित (Iconic) स्थल"** के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। **प्रथम तीन चरणों में अब तक 30 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है।** इन सभी 30 प्रतिष्ठित स्थलों ने **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निगमों को नियुक्त किया है। मदुरई में श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को देश में सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल घोषित किया गया है।** • **चरण IV के तहत, 12 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है, यथा- अजंता गुफाएं** (महाराष्ट्र); **सांची स्तूप** (मध्य प्रदेश); **कुंभलगढ़ किला**, (राजस्थान); **जैसलमेर किला** (राजस्थान); **रामदेवरा** (जैसलमेर, राजस्थान); **गोलकोंडा किला** (हैदराबाद, तेलंगाना); **सूर्य मंदिर** (कोणार्क, ओडिशा); **रॉक गार्डन** (चंडीगढ़); **डल झील** (श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर); **बांके बिहारी मंदिर** (मथुरा, उत्तर प्रदेश); **आगरा का किला** (आगरा, उत्तर प्रदेश); **कालीघाट मंदिर** (पश्चिम बंगाल)।
राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (RSK)	• इसकी घोषणा 10 अप्रैल 2017 को चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्षगांठ पर की गयी थी। • इसका उद्घाटन अगस्त 2020 में दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में **स्वच्छ भारत मिशन पर संवाद एवं अनुभव केंद्र** के रूप में किया गया था।
दरवाजा बंद मीडिया अभियान	• यह व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) द्वारा एक सशक्त मास मीडिया अभियान है। विश्व बैंक द्वारा 'दरवाज़ा बंद' अभियान को समर्थन प्रदान किया गया है। **यह उन पुरुषों में व्यवहार परिवर्तन को** प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, **जिनके पास शौचालय हैं, परन्तु वे उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।** • हाल ही में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा **'दरवाज़ा बंद- भाग 2' अभियान** की शुरुआत की गई है। यह देश भर के गांवों की खुले में शौच मुक्त स्थिति की सततता पर ध्यान केंद्रित करता है।

स्वच्छता ही सेवा अभियान	यह, स्वच्छता पहल **'स्वच्छ भारत मिशन' के प्रचार हेतु दो सप्ताह (पखवाड़ा) तक संचालित होने वाला स्वच्छता** अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के लिए संगठित करना तथा जन आंदोलन को मजबूत बनाना है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक तथा पर्यटन स्थलों की योजनाबद्ध तरीके से सफाई की जाएगी।

गोबर-धन योजना (GOBAR Dhan scheme)	• अप्रैल 2018 में गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन या "गोबर-धन" योजना का शुभारंभ किया गया।
	• गोवर्धन योजना को **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBMG) के भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।**
	  ○ **यह खुले में शौच मुक्त (ODF) रणनीति को प्राप्त करने का** एक महत्वपूर्ण तत्व है।
	• इसका उद्देश्य गांवों को **अपने मवेशियों और जैव-निम्नीकृत अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन** में सहायता करना है।
	• इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक संसाधनों को बायोगैस तथा जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हुए गांवों को स्वच्छ बनाए रखना है।
	• हाल ही में, **जल शक्ति मंत्रालय** ने 'गोवर्धन' योजना पर **एक एकीकृत पोर्टल का आरंभ किया है।**
	  ○ नए एकीकृत दृष्टिकोण के तहत सभी बायोगैस कार्यक्रमों/योजनाओं का समन्वयन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBMG) के तहत किया जाएगा।

ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) डैशबोर्ड, ODF-प्लस एडवाइजरी तथा ODF-प्लस और स्वच्छ ग्राम दर्पण मोबाइल एप्लिकेशन	• इन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है तथा जल शक्ति मंत्रालय ने इनका शुभारंभ किया है। • **लक्ष्य:** ODF-प्लस गतिविधियों का संचालन करने वाले राज्यों तथा जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। • **"स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप"** लोगों को इस कार्यक्रम के जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन पर निगरानी रखने की अनुमति प्रदान करती है।

22.1.3. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस मिशन के दूसरे चरण को अनुमोदित किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• गंगा नदी को व्यापक रूप से **स्वच्छ और संरक्षित** करना। • गंगा नदी बेसिन का **जलसंभर प्रबंधन (वाटरशेड मैनेजमेंट)** करना; तथा व्यर्थ अपवाह (रनऑफ) और प्रदूषण को कम करना। • गंगा नदी की **मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक और/या पर्यटन संबंधी महत्त्वपूर्ण गांवों का विकास** करना। • **नदी तट प्रबंधन संपादित करना।**	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • परियोजना के तहत 8 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, 47 कस्बों और 12 नदियों को कवर किया जाएगा। ○ गंगा नदी घाटी या बेसिन में 11 राज्य, यथा- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी परियोजनाओं (NGRBP) के तहत वर्तमान में गंगा नदी की मुख्य प्रवाह वाले पांच प्रमुख राज्यों, यथा- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

© Vision IAS

• **जलीय जीवन का संरक्षण** करना।
• विभिन्न संलग्न मंत्रालयों के मध्य **समन्वय स्थापित** करना।
	
	• भारतीय न्यास अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट/न्यास के रूप में **स्वच्छ गंगा निधि (दान निधि)** की स्थापना की गयी है ।
	  ○ इसमें दान करने वाले दानकर्ता **आयकर अधिनियम के तहत 100% छूट** के लिए पात्र होते हैं और इस प्रकार के योगदान CSR संबंधी गतिविधि के दायरे में भी आते हैं।
	• **विश्व बैंक** ऋण के माध्यम से परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga: NMCG) और राज्य में इसके समकक्ष राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (State Programme Management Groups: SPMGs) द्वारा किया जाता है।
	  ○ NMCG, वर्ष 2016 में स्थापित राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा है। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (National Ganga River Basin Authority: NGRBA) को प्रतिस्थापित किया है।
	• NMCG और SPMGs द्वारा **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** एवं **पंचायती राज संस्थानों (PRIs)** को इस परियोजना में शामिल किया गया है।
	• घाट और नदी तटों पर हस्तक्षेप के माध्यम से, नागरिकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु **नदी केंद्रित शहरी नियोजन प्रक्रिया स्थापित** करने का प्रयास किया जाएगा।
	• **आरंभिक अवधि की गतिविधियां:** तैरते हुए ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने के लिए **नदी की सतह की सफाई की जाएगी।** ग्रामीण सीवेज नालियों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण (ठोस और तरल) को रोकने के लिए **ग्रामीण स्वच्छता** एवं शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
	• **मध्यम अवधि की गतिविधियां:** यह 5 वर्ष की समय सीमा में कार्यान्वित की जाएगी:
	  ○ गंगा के तट पर स्थित 118 शहरी आवासीय क्षेत्रों में **सीवरेज अवसंरचना के कवरेज** का विस्तार किया जाएगा।
	  ○ जैव-उपचार विधि, अंत:स्थाने उपचार व नगरपालिका सीवेज और दूषित जल उपचार संयंत्रों का प्रयोग कर जल निकासी के **अपशिष्ट जल के उपचार**

	द्वारा प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी। ○ **औद्योगिक प्रदूषण** का प्रबंधन किया जाएगा। ○ **जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।** • **दीर्घावधि की गतिविधियां:** पारिस्थितिक-प्रवाह का निर्धारण, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और सतही सिंचाई की दक्षता में वृद्धि की जाएगी। • मिशन के दूसरे चरण के लिए जून 2020 में विश्व बैंक बोर्ड द्वारा 400 मिलियन अमरीकी डॉलर अनुमोदित किया गया था। ○ यह ऋण दिसंबर 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ○ इस चरण के तहत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं में मिशन के पहले चरण की स्पिलओवर परियोजनाएं और यमुना एवं काली नदियों जैसी सहायक नदियों की सफाई करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। • जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के लिए नमामि गंगे को **लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार योजना** (Prime Minister's Awards for Excellence for Public Administration Scheme) के तहत शामिल किया गया है।
गंगा ग्राम योजना	• गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटक महत्व के गांवों को विकसित करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत वर्ष 2016 में **गंगा ग्राम योजना** आरम्भ की गयी थी। • गंगा ग्राम से संबंधित कार्यों में व्यापक ग्रामीण स्वच्छता (सैनिटेशन), जल निकायों और नदी घाटों का विकास करना, शवदाहगृह का निर्माण / आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।
गंगा ग्राम परियोजना (Ganga Gram Project)	इसे वर्ष 2017 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से आरंभ किया गया था। यह **पवित्र नदी के तट के किनारे अवस्थित गांवों का समग्र विकास** करने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण है, जिसमें ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।
गंगा उत्सव 2020 (Ganga Utsav 2020)	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा **पवित्र नदी गंगा की महिमा का उत्सव मनाने** के लिए 2 से 4 नवंबर 2020 तक तीन दिवसीय **सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्सव** का आयोजन किया गया था। इस उत्सव में कहानी पाठ, लोककथा सुनाना, गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद, प्रश्नोत्तरी, विविध पारंपरिक कलाओं की प्रदर्शनी, प्रख्यात कलाकारों का नृत्य और संगीत प्रदर्शन, फोटो गैलरी, प्रदर्शनियों और अन्य बहुत से कार्यक्रम शामिल थे।

22.1.4. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (National Hydrology Project: NHP)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस परियोजना की मध्यावधि (चौथा वर्ष की) प्रगति की समीक्षा की गई।

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएं**
• **विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से जल संसाधनों से संबद्ध आंकड़ों** के अधिग्रहण,	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र** की योजना है (2016)।

© Vision IAS

भंडारण, संयोजन और प्रबंधन हेतु एक प्रणाली स्थापित करना। • सूचना प्रणाली के उपयोग और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे- रिमोट सेंसिंग को अपनाकर राज्य और केंद्रीय क्षेत्रकों के संगठनों में जल संसाधन प्रबंधन में क्षमता का निर्माण करना। • बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी आंकड़ों को कम से कम 1 दिन से लेकर 3 दिन पहले ही एकत्र कर लेना।	• यह परियोजना **विश्व बैंक** द्वारा सहायता प्राप्त (50% ऋण) है। • इस परियोजना के घटक निम्नलिखित हैं: ○ **जल संसाधन निगरानी प्रणाली (Water Resources Monitoring Systems: WRISs):** मौसम विज्ञान, नदी/जलधारा प्रवाह, भूजल, जल की गुणवत्ता और जल भंडारण का मापन आदि सहित नए और विद्यमान जलमौसम विज्ञान निगरानी प्रणालियों (hydro met monitoring systems) की स्थापना / आधुनिकीकरण का वित्तपोषण करना। ○ **जल संसाधन सूचना प्रणाली:** विभिन्न डेटा स्रोतों / विभागों से प्राप्त डेटाबेस और उत्पादों के मानकीकरण के माध्यम से वेब-सक्षम जल संसाधन निगरानी प्रणालियों के साथ राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय जल सूचना केंद्रों को सुदृढ़ करना। ○ **जल संसाधन परिचालन और योजना प्रणाली:** इंटरैक्टिव विश्लेषणात्मक साधनों और निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म का विकास करना। ○ **संस्थागत क्षमता का संवर्धन:** ज्ञान आधारित जल संसाधन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण करना। • NHP से **जल-मौसम विज्ञान (Hydro-meteorological) से संबंधित डाटा** एकत्रित करने में सहायता मिलेगी और इसका रियल टाइम के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तथा किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकेगा। • यह जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा के संयोजन और प्रबंधन के माध्यम से **नदी बेसिन एप्रोच को अपनाकर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन** की सुविधा प्रदान करेगा। यह जल संसाधन मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करेगा।

22.1.5. बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project: DRIP)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के चरण II और चरण III को अनुमोदित किया गया।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• चयनित मौजूदा बांधों तथा उनसे संबद्ध उपकरणों की **सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन** में स्थायी रूप से सुधार करना, • प्रतिभागी राज्यों/ कार्यान्वयन एजेंसियों (CWC) की **संस्थागत बांध सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना।** • कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का अन्वेषण करना ताकि बांधों के स्थायी संचालन और रख-रखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके (चरण II और चरण III के लिए)।	• **यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।** • **चरण 1:** ○ यह परियोजना वर्ष 2012 में विश्व बैंक के सहयोग से छह वर्षो के लिए आरंभ की गई थी। ○ इस योजना के प्रारंभ में सात राज्यों (अर्थात् झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड) में **223 बांध परियोजनाओं** को शामिल किया गया था। ○ बांधों के लिए **आपातकालीन कार्य योजना (EAP)** प्रस्तावित है। यह एक बांध से संबंधित संभावित आपातकालीन स्थितियों की पहचान करती है और जीवन एवं संपत्ति की हानि के न्यूनीकरण हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। • हाल ही में, संपूर्ण देश में स्थित 736 विद्यमान बांधों का व्यापक पुनरुद्धार करने के लिए **योजना के चरण II और चरण III को अनुमोदित किया गया था।** ○ इस परियोजना की लागत 10,211 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने की अवधि 10 वर्ष है और इसमें दो चरण शामिल हैं।

	प्रत्येक चरण छह वर्षों का होगा तथा इसमें अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक, दो वर्षों की पुनरावृत्ति (overlapping) अवधि शामिल है। ○ **वित्त पोषण:** इसमें बाह्य वित्तपोषण का हिस्सा (विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से वित्तीय सहायता) 7,000 करोड़ रुपये (कुल परियोजना लागत का) है और शेष 3,211 करोड़ रुपये का वहन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का योगदान ऋण देयता के रूप में 1,024 करोड़ रुपये है और केंद्रीय घटक के हिस्से के रूप में (counter-part) 285 करोड़ रुपये का वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।
डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (धर्मा) (DAM HEALTH AND REHABILITATION MONITORING APPLICATION: DHARMA)	DHARMA बांध संबंधी सभी डेटा के प्रभावी ढंग से डिजिटलीकरण हेतु आरंभ किया गया एक वेब टूल है। **यह देश में बड़े बांधों से संबंधित परिसंपत्ति तथा स्वास्थ्य सूचना के प्रामाणिक प्रलेखन** में सहायता करेगा और आवश्यकता आधारित पुनर्वास सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाएगा।

23. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

23.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

23.1.1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana: ABRY)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार को बढ़ावा देना और **कोविड रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन** को प्रोत्साहित करना।	• यह **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। • इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत वर्ष 2020-2023 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। • **1,000 तक नियोजित कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए:** सरकार द्वारा नए कर्मचारियों (1 अक्टूबर, 2020 को या उसके उपरांत और 30 जून 2021 तक की अवधि में नियोजित) के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए कर्मचारियों व नियोक्ता दोनों के वेतन संबंधी अंशदान का भुगतान दो वर्ष तक किया जाएगा। • **1,000 से अधिक नियोजित कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए:** सरकार द्वारा नए कर्मचारियों के संबंध में केवल कर्मचारियों के EPF अंशदान का भुगतान दो वर्ष तक किया जाएगा। • **लाभार्थी:** कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, जो 1 अक्टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation: EPFO) से पंजीकृत था। • EPFO उपयुक्त साधनों को अपनाकर यह सुनिश्चित करेगा कि **EPFO द्वारा कार्यान्वित की गई किसी अन्य योजना के साथ ABRY के तहत प्रदान किए गए लाभों का अतिव्यापन नहीं हो रहा है।**

23.2. पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)

23.2.1. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana: ABVKY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी के दौरान आर्थिक सहायता का भुगतान करना।	• यह **कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक कल्याणकारी उपाय है।
	• यह कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के तहत आने वाले श्रमिकों को **बेरोजगार होने पर नकद प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।**
	  ○ ESI योजना का **उद्देश्य 'कर्मचारियों'** को बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता और रोजगार के दौरान घायल होने के कारण हुई मृत्यु की घटनाओं की स्थिति में **संरक्षण अर्थात् सामाजिक सहायता प्रदान करना है।** साथ ही, बीमाकृत कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध करवाना है।
	  ○ राहत का दावा करने के लिए न्यूनतम **दो वर्ष की बीमा योग्य रोजगार अवधि अनिवार्य है।**
	हालिया परिवर्तन:
	• यह योजना 01-07-2018 से आरंभ की गई थी। आरंभ में इस योजना को दो वर्ष की अवधि

VISION IAS

	के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था। **इस योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है।** • **कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान नौकरी की क्षति के समाधान हेतु प्रदान की गई रियायत:** ○ अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए राहत भुगतान के तहत औसत मजदूरी देय को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ○ श्रमिकों द्वारा राहत संबंधी दावा प्रत्यक्ष रूप से दायर किया जा सकता है, पहले उन्हें इसे अंतिम नियोक्ता द्वारा अग्रेषित करने की आवश्यकता होती थी। ○ राहत के दावे का भुगतान बेरोजगारी की तिथि से 30 दिन (पहले 90 दिन) के पश्चात् देय होगा। ○ राहत संबंधी लाभ का निपटान **आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर** किया जाएगा। ○ **बढ़ी हुई राहत 24 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान देय होगी।**

23.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

23.3.1. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project Scheme)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021 को **बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है।**

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करना। • खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं से सभी किशोर श्रमिकों को बाहर निकालने, उनके कौशल निर्माण एवं उचित व्यवसायों में उनके एकीकरण में योगदान करना। • हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच जागरुकता बढ़ाना। • बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण करना।	• पहचाने गए लक्षित क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिक। • खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में संलग्न 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिक। • बाल श्रमिकों के परिवार।	• यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। • परियोजना का समग्र दृष्टिकोण **लक्षित क्षेत्र में एक समर्थकारी परिवेश का सृजन करना है,** जिसमें बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने तथा श्रम न करने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित और सशक्त किया जाएगा तथा परिवारों को उनकी आय स्तरों में सुधार करने हेतु विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। • 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को बचाना और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना। ○ यह कार्य सर्व शिक्षा अभियान के निकट समन्वय के माध्यम से किया जाएगा। • औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में आने से पूर्व 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project: NCLP) के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है जहाँ उन्हें समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वज़ीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान की जाती है। • इसके तहत निधियों को प्रत्यक्ष जिला परियोजना समितियों को प्रदान कर दिया जाता है, जो इन निधियों को प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु गैर-सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संस्थाओं / सिविल सोसायटी संगठनों आदि को आवंटित करने का कार्य करती हैं। • पारदर्शिता के साथ कार्य का समय पर निपटान

© Vision IAS

		सुनिश्चित करने हेतु बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) को सफल बनाने के लिए पेंसिल (PENCiL) (शून्य बाल श्रम के लिए प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। • **इसके पांच घटक हैं- चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लेंट कॉर्नर, राज्य सरकार, NCLP और अभिसरण।** • राज्य सरकार के स्तर पर राज्य श्रम विभाग में स्थापित राज्य संसाधन केंद्र द्वारा निगरानी की जाती है। जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी को उनके संबंधित जिलों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए नामित किया जाता है। • बच्चों को न्यूनतम तीन माह तक मॉड्यूलर आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) का भुगतान किया जाएगा। • इस योजना के तहत खतरनाक व्यवसायों और गतिविधियों में कार्य करने वाले बच्चों की पहचान करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए सर्वेक्षण करने हेतु कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के तहत **जिला परियोजना समितियों (DPS)** की स्थापना की जाती है।

23.3.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees' State Insurance Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अक्टूबर 2020 में, इस योजना का विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक कर दिया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत परिभाषित है:- बीमारी, दिव्यांगता, नियोजन क्षति, प्रसूति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय संरक्षण तथा बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों हेतु चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराना।	• यह एक स्व-वित्तपोषित योजना है जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करती है। • इस योजना को **नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा वित्त पोषित** किया जाता है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा कोष में विप्रेषित किया जाएगा। • इस कोष को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 द्वारा विनियमित तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा प्रशासित किया जाता है। ESIC श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सांविधिक रूप से गठित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। • ESI अधिनियम, 1948, **10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों** पर लागू होता है। इसके तहत **21,000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी** शामिल हैं। • **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** के माध्यम से भारत सरकार ESI अधिनियम के तहत अंशदान की दर निर्धारित करती है। • अंशधारकों की अंशदान की दर 4% निश्चित की गई है, जिसमें नियोक्ताओं की हिस्सेदारी 3.25% और कर्मचारियों की

	हिस्सेदारी 0.75% है। • यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मौसमी कारखानों, चाय या कॉफी के मिश्रण, पैकिंग या पुन: पैकिंग या किसी भी अन्य प्रक्रियाओं में संलग्न कारखानों के लिए प्रयोज्य नहीं है। • विभिन्न लाभों के अतिरिक्त, ESI योजना के तहत आने वाले लाभार्थी, कर्मचारी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY) के तहत बेरोजगारी भत्ते के भी हकदार हैं।

VISION IAS

न्यूज़ टुडे

- 2 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

24. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)

24.1. पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)

24.1.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme For MSMEs)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• विनिर्माण और सेवा उद्यमों, दोनों में **उत्पादकता बढ़ाना।** • अर्थव्यवस्था में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को GST में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना,** जिसके परिणामस्वरूप MSMEs को दिए जाने वाले ऋण की लागत में कमी हो सके।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। • यह योजना अपनी वैधता की अवधि के दौरान वैध **उद्योग आधार संख्या (Udyog Aadhar Number: UAN)** वाले सभी **GST पंजीकृत MSMEs** के लिए नए और वृद्धिशील ऋण पर **2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करती है।** ○ राज्य/केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत पहले से ही ब्याज अनुदान प्राप्त करने वाले MSMEs प्रस्तावित योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। • योजना का **कवरेज 100 लाख रुपये तक के सभी मीयादी ऋण / कार्यशील पूंजी (term loans / working capital) तक सीमित** है। • दावा दायर करने की तिथि पर ऋण खातों को मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset: NPA) घोषित किया हुआ नहीं** होना चाहिए। • उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा, जिसके दौरान खाता NPA बना रहता है। • **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/SIDBI)** विभिन्न उधार संस्थानों को ब्याज अनुदान को निर्देशित करने के उद्देश्य से **नोडल एजेंसी** है। • मीयादी ऋण या कार्यशील पूंजी को **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। **हाल ही में हुए बदलाव:** • **योजना की वैधता 31 मार्च, 2021 तक** बढ़ा दी गई है। • पात्र संस्थानों द्वारा दिए गए अर्ध-वर्ष के लिए विभिन्न समूहों में दावों की स्वीकृति की अनुमति है। • **GST हेतु पात्र इकाइयों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है।** जिन इकाइयों को GST प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है वे या तो आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN) जमा कर सकते हैं या उनके ऋण खाते को संबंधित बैंक द्वारा MSME के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। • UAN के बिना भी इस योजना के तहत व्यापारिक गतिविधियों को कवर करने की अनुमति प्रदान की गई है। • मीयादी ऋण या कार्यशील पूंजी को सहकारी बैंकों द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है {पहले केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा पंजीकृत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय

	कंपनियों (NBFCs) को ही ऋण या कार्यशील पूंजी का विस्तार करने की अनुमति थी}।

24.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

24.2.1. शहद मिशन (Honey Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विगत एक वर्ष में इस योजना के तहत विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• मधुमक्खी पालन में कौशल विकास के लिए आद्योपान्त (एंड टू एंड) कार्यान्वयन संबंधी संरचना का सृजन करना, जो ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करे। • उत्तम मधुमक्खी पालन प्रथाओं (GPB) के राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों को लागू करना। • गुणवत्तापूर्ण दक्ष प्रशिक्षकों का एक नेटवर्क विकसित करना। • मधुमक्खी के छत्ते द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु विदेशी बाजार तक पहुँच प्रदान करना। • ऋण के संयोजन द्वारा आरम्भिक मधुमक्खी पालनकर्ताओं से व्यवहार्य वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन के मार्ग को सक्षम बनाना। • भारत में मधुमक्खी पालन के सभी हितधारकों के बीच अभिसरण और समन्वय को बढ़ावा देना।	• वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री के आह्वान पर 'स्वीट रिवॉल्यूशन' ('मीठी क्रांति') के लिए 'शहद मिशन' को अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था। • खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) मधुमक्खी पालन करने वालों को मधुमक्खी के निवास स्थान के परीक्षण, मधुमक्खी का भक्षण करने वाले कीटों व मधुमक्खियों में होने वाले रोगों की पहचान तथा प्रबंधन, शहद निष्कर्षण और मोम शोधन आदि के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। • KVIC प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की केन्द्रीय एजेंसी है, जो शहद के संबंध में प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लेबल लगाने वाली इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान करती है। ○ अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत शहद एक लघु वनोपज (MFP) है।

24.2.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

ग्रामोद्योग विकास योजना (Gramodyog Vikas Yojana)	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। • इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने **'खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन'** प्रारंभ किया है। • इस मिशन का उद्देश्य **घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में वृद्धि करते हुए बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करना** है। • इस योजना को **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** द्वारा **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) तंत्र** पर तैयार किया गया है। • शुरुआत में इस कार्यक्रम के भाग के रूप में **चार प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी,** जिनमें से एक का पूर्वोत्तर में होना भी शामिल है। • कारीगरों के प्रत्येक लक्षित समूह को लगभग **50 स्वचालित अगरबत्ती बनाने वाली मशीनों और 10 मिश्रण करने वाली मशीनों (mixing machines)** की सहायता प्रदान की जाएगी। • इसी प्रकार से, कुल 200 स्वचालित अगरबत्ती बनाने वाली मशीनें और 40

© Vision IAS

	मिश्रण करने वाली मशीनें कारीगरों को उपलब्ध कराई जाएंगी। • KVIC मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और लागत का शेष 75% कारीगरों से मासिक किश्तों में वसूल करेगा। इसे **'ग्रामोद्योग विकास योजना'** के तहत अगरबत्ती के निर्माण और ग्रामोद्योग को विकसित करने में शामिल कारीगरों के लाभ के लिए अनुमोदित किया गया था। • **नोट:** इससे पूर्व केंद्र सरकार ने आयात नीति में अगरबत्ती मद को **"मुक्त" व्यापार से "प्रतिबंधित" व्यापार की श्रेणी में** रखा था। साथ ही, घरेलू उद्योग के लाभ हेतु अगरबत्ती के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली 'गोल बांस की छड़ों' पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है।

पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना (स्फूर्ति) (A Scheme of Fund for Regeneration of Traditional INDUSTRIES: SFURTI)	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
	• इसे वर्ष 2005 में **पारंपरिक उद्योगों {खादी, कॉयर और ग्रामोद्योग} के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए** प्रारंभ किया गया था।
	  ○ **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC),** खादी और ग्रामोद्योग क्लस्टरों के लिए एक नोडल एजेंसी है।
	  ○ कॉयर (नारियल के रेशे) आधारित क्लस्टरों के लिए **कॉयर बोर्ड (CB)** एक नोडल एजेंसी है।
	• **उद्देश्य:**
	  ○ देश में **पारंपरिक उद्योगों के क्लस्टर विकसित करना।**
	  ○ **पारंपरिक उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी,** बाजार संचालित, उत्पादक और लाभप्रद बनाना।
	  ○ स्थानीय हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ, उद्योग क्लस्टरों की **स्थानीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना,** ताकि वे विकासात्मक पहलों के लिए सक्षमकारी बन सकें।
	  ○ नवाचारी और पारंपरिक कौशल, उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रिया, मार्किट इंटेलिजेंस और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित एक नया मॉडल निर्मित करना, ताकि चरणबद्ध रूप में समान प्रतिमानों को क्लस्टर-आधारित पुनर्जीवित पारंपरिक उद्योगों में दोहराया जा सके।

VISION IAS

25. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

25.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

योजनाएं	प्रमुख विशेषताएं
छात्रवृत्ति योजना	**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT) विधि के माध्यम से** छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए **मैट्रिक-पूर्व** छात्रवृत्ति योजना, **मैट्रिकोत्तर** छात्रवृत्ति योजना तथा **मेरिट एवं साधन आधारित** छात्रवृत्ति योजना।
मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (Maulana Azad National Fellowship Scheme)	इसके द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्तियां (fellowships) प्रदान की जाती हैं।
नया सवेरा - नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (Naya Savera - Free Coaching and Allied Scheme)	इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों / उम्मीदवारों को तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु **नि:शुल्क कोचिंग** प्रदान करना है।
पढ़ो परदेश (Padho Pardesh)	यह अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना है।
नई उड़ान (Nai Udaan)	संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
नई रोशनी (Nai Roshni)	**अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं का नेतृत्व विकास** करना।
सीखो और कमाओ (Seekho Aur Kamao)	14-35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास योजना तथा मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोजगार क्षमता में सुधार लाने पर लक्षित।
प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan (Mantri Jan Vikas Karyakram: PMJVK)	यह अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। इससे राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़ेपन के मानकों के संबंध में अंतर को कम किया जा सकेगा।
जियो पारसी (Jiyo Parsi)	भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना।
उस्ताद/USTTAD - अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट	मई 2015 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी कारीगरों / शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कारीगरों और उद्यमियों को राष्ट्रव्यापी विपणन मंच प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए संपूर्ण देश में **हुनर हाट** भी आयोजित किए जाते हैं।
नई मंजिल (Nai Manzil)	स्कूल छोड़ने वालों के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल प्रदान करने की एक योजना।
हमारी धरोहर (Hamari Dharohar)	भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की एक योजना।

VISION IAS

© Vision IAS

मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन {Maulana Azad Education Foundation (MAEF)}	• यह शिक्षा और रोजगार उन्मुख संबंधित कार्यक्रमों को निम्नानुसार लागू करता है: ○ अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित **मेधावी लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ○ **गरीब नवाज रोजगार योजना** को वर्ष 2017-18 में युवाओं को अल्पकालिक रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ○ मदरसा छात्रों और स्कूल छोड़ने वालों के लिए **सेतु पाठ्यक्रम (Bridge Course)**।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी {Equity to National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)}	• अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और आय उत्पन्न करने वाले उपक्रमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करना।
नोट: उपर्युक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए भी योजनाओं को कार्यान्वित करता है तथा वार्षिक हज यात्रा की व्यवस्था का समन्वय करता है।	

26. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)

26.1. पुनर्संरचित/संशोधित योजनाएं (Restructured/Modified Schemes)

26.1.1. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम. - कुसुम) योजना {PM-Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyan (PM-KUSUM) Scheme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना।
• बजट 2020-21 में इसके कवरेज को विस्तारित किया गया है:
  ○ इस योजना का लक्ष्य किसानों को उनकी ऊसर / बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने के लिए सक्षम बनाना है।
  ○ 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने हेतु सहयोग किया जाएगा।
  ○ अन्य 15 लाख किसानों को अपने ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सौर ऊर्जा आधारित बनाने में सहायता प्रदान की जाएगी।
	• इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट (GW) की सौर क्षमता को जोड़ना या हासिल करना है (मूल लक्ष्य 25.7 गीगावॉट था)।
	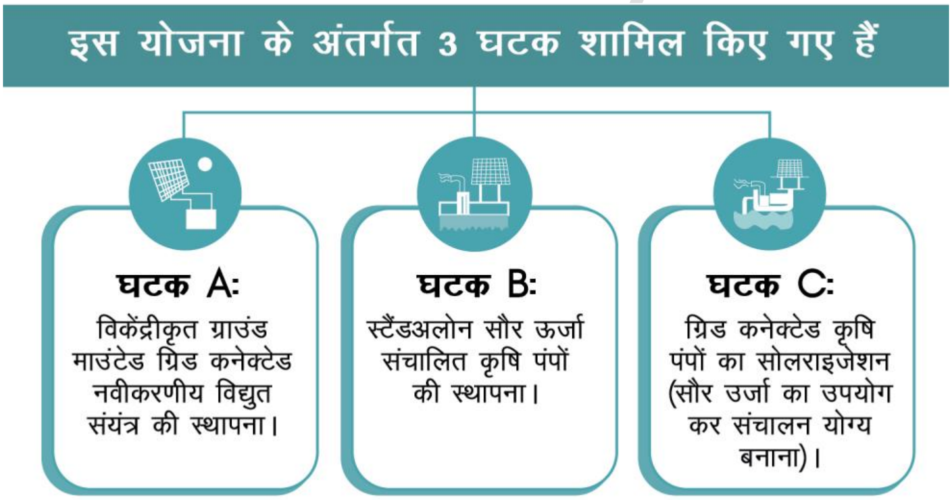
	
	• **विभिन्न घटकों को प्रोत्साहन/समर्थन:**
	  ○ **घटक-A:** 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय विद्युत संयंत्र व्यक्तिगत किसानों / सहकारी समितियों / पंचायतों / किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा अपने बंजर या कृषि योग्य भूमि या चारागाह भूमि और दलदली भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। इन्हें **नवीकरणीय विद्युत उत्पादक (Renewable Power Generator: RPG)** कहा जाता है।
	    ▪ इसके तहत न्यूनतम निर्धारित क्षमता उपयोगिता कारक (Capacity Utilization Factor: CUF) से कम सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (Renewable Power Generation: RPG)** पर कोई अर्थदंड आरोपित नहीं किया जाएगा।
	    ▪ राज्यों द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर लघु किसानों की सहायता के लिए **500 kW से कम क्षमता की सौर परियोजनाओं को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है** (पहले अनुमति नहीं थी)।
	    ▪ उत्पादित विद्युत् को डिस्कॉम्स (DISCOMs) द्वारा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा **निर्धारित फीड इन टैरिफ (Feed in tariffs)** पर क्रय किया जाएगा।
	    ▪ इसके तहत पांच वर्षों तक विद्युत खरीद के लिए विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
	  ○ **घटक-B:** 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक की क्षमता के स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए

© Vision IAS

	किसान / किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत स्वदेशी सौर सेल और मॉड्यूल के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित सौर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। केंद्र और राज्य प्रत्येक द्वारा सोलर पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत योगदान किया जाएगा; शेष 40 प्रतिशत का वहन किसान (लागत का 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं) द्वारा किया जाएगा। ○ **घटक-C:** एकल किसान / किसानों को 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक की क्षमता वाले पंपों को सौर ऊर्जा संचालित पंपों में रूपांतरित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। • MNRE द्वारा **देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों के लिए उचित सेवा शुल्क का 33 प्रतिशत** अपने पास रखा जाएगा। **हालिया परिवर्तन:** • इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है तथा पंपों के बजाय संपूर्ण कृषि संबंधी विद्युत आपूर्ति को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु **घटक C को पुनर्संरचित/संशोधित किया गया है।** ○ अब तक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने के लिए 60% वित्तीय सहायता (केंद्र और राज्य द्वारा समान अनुपात में) प्रदान की जाती थी, जिसका अर्थ है कि शेष 40% किसानों को स्वयं वहन करना पड़ता था। ○ **केंद्र द्वारा अब** कृषि फीडर (जो अनिवार्य रूप से गांव के सभी पंपों को विद्युत की आपूर्ति करता है) को विद्युत की आपूर्ति करने वाले **लघु सौर संयंत्र के निर्माण करने की लागत का 30 प्रतिशत वहन किया जाएगा** और शेष **70% लागत का वहन राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा।** ○ यह किसानों को गांव के **विद्यमान प्रत्येक पंप को** सोलर पंप से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता **से छुटकारा** प्रदान करेगा।

26.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

26.2.1. ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) {Grid Connected Rooftop Solar Programme (Phase-II)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने इस योजना के संबंध में एक परामर्शिका जारी की है क्योंकि कुछ विक्रेताओं द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं से डिस्कॉम या विद्युत वितरण कंपनियों (Distribution Companies: DISCOMs) द्वारा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा था।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
वर्ष 2022 तक ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप (SRT) प्रणाली के माध्यम से **40 GW की संचयी क्षमता को प्राप्त करना।**	• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया है तथा इसे **डिस्कॉम या विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा क्रियान्वित** किया जा रहा है। • **डिस्कॉम को** इस योजना के कार्यान्वयन दौरान होने वाले **अतिरिक्त व्यय हेतु मुआवजा** प्रदान किया जाता है। • **इस योजना के तहत निम्नलिखित दो घटकों को शामिल किया गया है:** ○ **घटक A:** चरण II के अंतर्गत, आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance: CFA) को निम्नलिखित तरीकों से पुनर्संरचित (वर्ष 2019 में) किया गया है: ▪ 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली SRT प्रणाली की मानक लागत का 40 प्रतिशत CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा। ▪ 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली SRT प्रणाली की मानक लागत का 20 प्रतिशत CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा।

	▪ 10 किलोवाट तक की क्षमता के लिए प्रति आवास और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (GHS) और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) हेतु 500 किलोवाट तक की संचयी क्षमता के लिए मानक लागत का 20%, CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा। ▪ **अन्य श्रेणियों** अर्थात् संस्थागत, शैक्षिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि **के लिए CFA का प्रावधान उपलब्ध नहीं है।** ○ **घटक B:** इसके तहत डिस्कॉम (18 GW की आरंभिक अतिरिक्त क्षमता वृद्धि के लिए) को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह वित्तीय वर्ष में उनके (डिस्कॉम) द्वारा आधार क्षमता (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त संचयी क्षमता) से अधिक प्राप्त की गई SRT क्षमता के आधार पर दिया जाएगा।

26.2.2. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (Jawaharlal Nehru National Solar Mission: JNNSM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उद्देश्य	लक्ष्य	प्रमुख विशेषताएं
• दीर्घकालिक नीति, बड़े पैमाने पर परिनियोजन लक्ष्यों, प्रगतिशील अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल, घटकों एवं अन्य उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में **सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम** करना। • **सौर ऊर्जा को जीवाश्म आधारित ऊर्जा विकल्पों के समतुल्य उपयोग करने योग्य बनाने** के मौलिक उद्देश्य के साथ विद्युत उत्पादन और अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना। • देश भर में सौर ऊर्जा के प्रसार संबंधी नीतिगत शर्तों को त्वरित रूप से निर्मित कर **सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी अभिकर्ता के रूप में स्थापित करना।**	• मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (पूर्व निर्धारित लक्ष्य 20 गीगावाट) सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना। इसके तहत कुल 6,00,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। • इस लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावाट ऊर्जा रूफटॉप और 60 गीगावाट ऊर्जा *लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स* के माध्यम से प्राप्त करना सम्मिलित है। • इसके लक्ष्य में प्रतिवर्ष सौर सेलों की लगभग 2 गीगावाट क्षमता का निर्माण करने के लिए पॉली सिलिकॉन मैटेरियल हेतु समर्पित विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना भी सम्मिलित है। • ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर प्रकाशीय प्रणालियों सहित	• इस योजना को **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के एक भाग रूप में वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था। • मिशन में 3 चरण हैं: चरण 1 (वर्ष 2010-13), चरण II (वर्ष 2013-15) और चरण III (वर्ष 2017-22)। • यह पूँजी सब्सिडी विभिन्न शहरों और कस्बों में रूफटॉप सौर परियोजनाओं; भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से विकसित व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF) आधारित परियोजनाओं; तथा लघु सौर परियोजनाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकृत उत्पादन के लिए प्रदान की जाएगी।

© Vision IAS

	2,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना। • वर्ष 2022 तक 2 करोड़ वर्गमीटर का सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र सुनिश्चित करना। • ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर प्रकाशीय प्रणालियों को स्थापित करना।	

26.2.3. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना (Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• **प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए** सौर परियोजना विकासकर्ताओं को सुविधा प्रदान करना।
• परियोजना विकासकर्ताओं और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन सुविधा (demonstration facility) के रूप में कार्य कर, **सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित** करना।
• राज्यों को इनके सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व अधिदेश को पूरा करने और स्थानीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु परियोजना विकासकर्ताओं **से महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त करने** में सक्षम बनाना।
• सौर पार्क की स्थापित क्षमता एवं उत्पादन के समकक्ष उत्सर्जन में कटौती करते हुए **कार्बन फुटप्रिंट में कमी** करना।
• परंपरागत विद्युत् संयंत्रों के लिए महंगे **जीवाश्म ईंधनों की खरीद को रोककर** राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देना।
	• इस योजना को वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **वर्ष 2021-22 तक 40 गीगावॉट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित** करने के लक्ष्य के तहत कम से कम 25 सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करना है (हालांकि, इससे पूर्व 20 गीगावॉट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे वर्ष 2020 तक प्राप्त किया जाना था)।
	• यह सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से देश में **विभिन्न स्थानों पर सौर पार्कों की स्थापना हेतु राज्यों को समर्थन प्रदान करने की परिकल्पना करता है।**
	  ○ सौर पार्क, भिन्न-भिन्न फर्मों द्वारा सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों के रूप में एक निर्धारित स्थान पर स्थापित प्रतिष्ठापन हैं, जो सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करते हैं।
	  ○ सौर पार्क सभी प्रकार की मंजूरियों, पारेषण प्रणाली, जल उपलब्धता, सड़क कनेक्टिविटी, संचार नेटवर्क सहित अन्य सुविधाओं से युक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
	• यह योजना वृहत पैमाने पर विद्युत उत्पादन हेतु ग्रिड कनेक्टेड **सौर ऊर्जा परियोजनाओं** की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उसमें तीव्रता लाएगी।
	• इसके तहत सौर पार्कों की क्षमता **500 मेगावाट और उससे अधिक** होगी। हालांकि, **छोटे सौर पार्कों पर भी विचार किया जा रहा है,** जहाँ दुर्गम भूभाग के कारण आस-पास की भूमि का अधिग्रहण करना मुश्किल हो और जहाँ गैर-कृषि भूमि की अत्यधिक कमी हो।
	• ये सौर पार्क **राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSUs) और निजी उद्यमियों के सहयोग** से विकसित किए गए हैं। इसके तहत कार्यान्वयन एजेंसी को **सोलर पावर पार्क डेवलपर (Solar Power Park Developer: SPPD) नाम दिया गया** है।
	• **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) का स्वरूप:** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

	(DPR) तैयार करने के लिए **प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपये तक का CFA** प्रदान किया जाएगा। ○ इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर **20 लाख रुपये प्रति मेगावाट** या ग्रिड-कनेक्टिविटी लागत सहित **परियोजना लागत का 30%,** जो भी कम हो, को **CFA** के रूप में प्रदान किया जाता है। ○ **12 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत,** जो भी कम हो, सौर पार्क की आंतरिक अवसंरचना के विकास के लिए SPPDs को प्रदान किया जाता है। साथ ही, **8 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत,** जो भी कम हो, बाह्य पारेषण (external transmission) प्रणाली के विकास के लिए **सेंट्रल /स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (C/S TU)** को प्रदान किया जाता है।

27. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchyati Raj)

27.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

27.1.1. स्वामित्व: ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (SVAMITVA: Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मई 2021 में इस योजना से संबंधित एक **अद्यतन दिशा-निर्देश** जारी किया गया।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• ग्रामीण नियोजन के लिए **सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण** और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
• ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए **वित्तीय परिसंपत्ति** के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर **वित्तीय स्थिरता** सुनिश्चित करना।
• संपत्ति कर का निर्धारण, जो प्रत्यक्ष रूप से उन राज्यों में ग्राम पंचायतों (GP) को प्राप्त होगा, जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है या फिर, राज्य के कोष में संचित किया जाता है।
• सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और **भौगोलिक सूचना प्रणाली** (Geographic Information System: GIS) आधारित मानचित्रों का निर्माण करना, जिनका किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
• GIS का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan: GPDP) तैयार करने में सहायता करना।
	• इसे **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** के रूप में अप्रैल 2020 में आरंभ किया गया था।
	• इसका उद्देश्य **ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के स्वामियों को 'अधिकार अभिलेख'** (record of rights) प्रदान करना और **संपत्ति कार्ड** (Property cards) जारी करना है।
	  ○ ग्राम पंचायत और सामुदायिक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा GIS आधारित मानचित्र भी सृजित किए जाएंगे।
	  ○ ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके सीमा-निर्धारण किया जाएगा।
	• **योजना के अंतर्गत शामिल घटक:**
	  ○ **सतत परिचालनरत संदर्भ स्टेशन** (Continuously Operating Reference System: CORS) की स्थापना करना।
	    ▪ **CORS संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क** है। यह एक वर्चुअल बेस स्टेशन प्रदान करता है, जो लंबी दूरी के उच्च सटीकता नेटवर्क रियल-टाइम किनेमैटिक (RTK) (गति की शुद्धता को मापने में उपयोगी) सुधारों तक पहुंच प्रदान करता है।
	    ▪ CORS नेटवर्क भू-आधारित नियंत्रण बिंदुओं (Ground Control Points) की स्थापना में सहायता करता है। यह **भूमि के सटीक भू-संदर्भीकरण** (Georeferencing), **भू-सत्यापन और सीमांकन** के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
	  ○ ड्रोन का उपयोग करके वृहद पैमाने पर **मानचित्रण** करना।
	  ○ सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को संवेदनशील बनाने के लिए **जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।**
	  ○ **स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन "ग्राम मानचित्र"** का संवर्धन करना।
	    ▪ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) की तैयारी में सहायता करने हेतु स्थानिक विश्लेषणात्मक साधनों के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के अंतर्गत बनाए गए डिजिटल स्थानिक

	डेटा / मानचित्रों से लाभ प्राप्त करना। ○ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर **कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों** की स्थापना करना। ○ **योजना डैशबोर्ड का विकास/रखरखाव करना** और स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण में सहायता हेतु ड्रोन सर्वेक्षण तैयार किए गए स्थानिक डेटा / मानचित्रों को मंत्रालय के स्थानिक योजना प्रवर्तन के साथ एकीकृत करना। ○ **सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण** / राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना। • **कवरेज:** इस योजना में अंततः देश के सभी गांवों को शामिल किया जाएगा। संपूर्ण कार्य अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक **पांच वर्षों की अवधि में** पूर्ण होने की संभावना है। • **योजना के कार्यान्वयन में शामिल हितधारक:** ○ **नोडल मंत्रालय:** पंचायती राज मंत्रालय। ○ **प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ○ राज्य राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग। ○ स्थानीय जिला प्रशासन। ○ सम्पत्ति का स्वामी। ○ ग्राम पंचायत। ○ **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre: NIC)- भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रभाग।** ○ व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों (यदि कोई हो) में संपत्ति धारक अन्य संबंधित विभाग।

© Vision IAS

28. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

28.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

28.1.1. जलमार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project: JMVP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जलमार्ग विकास परियोजना लगभग 1,600 करोड़ रुपये की बचत करने में सफल रही है। इसमें से 800 करोड़ रुपये का उपयोग उत्तर प्रदेश से बिहार तक गंगा के किनारे निवास करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं के विकास हेतु किया जाएगा।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नौवहन (Navigation) क्षमता में वृद्धि करना।	• यह परियोजना गंगा नदी पर प्रयागराज और हल्दिया के मध्य जलमार्ग (वाणिज्यिक नौवहन के लिए) के विकास की परिकल्पना करती है। इसकी लंबाई 1,620 कि.मी. है। • इस परियोजना के अंतर्गत **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल** सम्मिलित हैं। • राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) पर **वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर में 4 मल्टी-मॉडल टर्मिनलों के निर्माण की योजना** है। • इस परियोजना के अंतर्गत भारत में पहली बार जलमार्ग परिवहन के संसाधन प्रबंधन का बेहतर उपयोग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित **नदी सूचना प्रणाली (River Information System)** को अपनाया गया है। • JMVP को विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और निवेश समर्थन से, 5,369.18 करोड़ रुपये (800 मिलियन अमरीकी डॉलर) की अनुमानित लागत के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। • **परियोजना की लागत को भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य 50:50 के सह-विभाजन के आधार** पर साझा किया जा रहा है। • ज्ञातव्य है कि हाल ही में, **वाराणसी में गंगा नदी पर भारत के प्रथम अंतर्देशीय मल्टी-मॉडल टर्मिनल पत्तन** का उद्घाटन किया गया था।

29. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

29.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

29.1.1. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विगत एक वर्ष में इस योजना के अंतर्गत विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>राजमार्ग क्षेत्रक (हाईवे सेक्टर) हेतु यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को समाप्त कर सम्पूर्ण देश में माल और यात्री आवागमन क्षमता के बेहतर उपयोग पर केन्द्रित है।</td><td>

- भारतमाला के प्रथम चरण में लगभग 24,800 कि.मी. सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वयित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के तहत 10,000 कि.मी. के शेष सड़क कार्य भी शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 34,800 कि.मी. है।

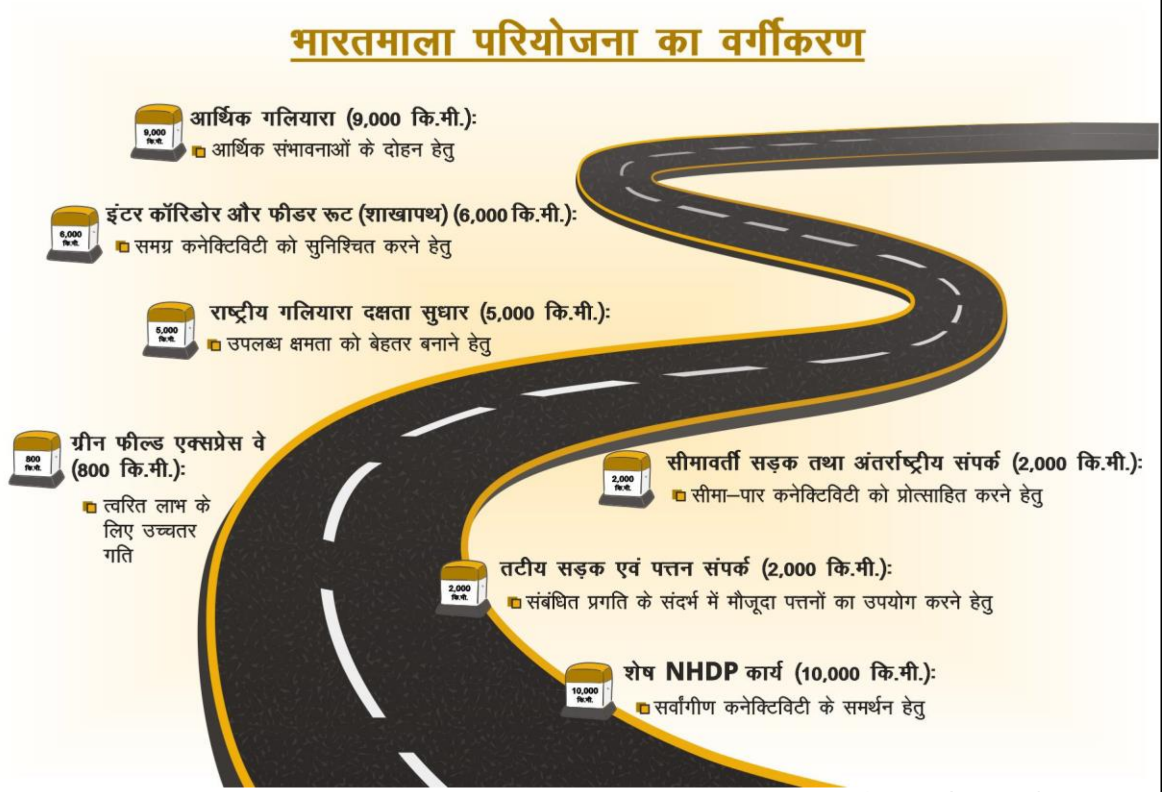

- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास और चोक प्वाइंट के उन्मूलन के माध्यम से **मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार** करना।
- **उत्तर-पूर्व में कनेक्टिविटी सुधार पर ध्यान केन्द्रित** करना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के सहयोग से लाभ प्राप्त करना।
- **पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों,** आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटन रुचि के स्थलों, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार मार्गों आदि **कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान** केन्द्रित करना।
- भारतमाला परियोजना के तहत **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)** द्वारा **लॉजिस्टिक्स इफिशिएन्सी एन्हैन्स्मेंट प्रोग्राम (LEEP)** प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अवसंरचना, प्रक्रियात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हस्तक्षेपों के माध्यम से वस्तुओं की कंसाइनमेंट लागत, समय, ट्रैकिंग एवं स्थानान्तरणीयता में सुधार करना तथा भारत में माल ढुलाई में वृद्धि करना है।

</td></tr>
</table>

© Vision IAS

	• राजमार्ग परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से NHAI द्वारा एक **राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ (National Highways Investment Promotion Cell: NHIPC)** का गठन किया गया है। ○ इस परियोजना का क्रियान्वयन सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य लोक निर्माण विभाग (PWDs) के माध्यम से किया जाएगा।

30. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

30.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

30.1.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आजीविका संकट ने इस योजना को निर्धनों की आजीविका से संबंधित चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
मनरेगा (MGNREGS) के मुख्य उद्देश्य हैं: • मांग के अनुसार **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को** वित्तीय वर्ष में एक गारंटीकृत रोजगार के रूप में **कम से कम 100 दिनों का अकुशल मैन्युअल कार्य** उपलब्ध कराना, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक संपत्तियों का निर्माण हो; • **गरीबों के आजीविका संसाधन आधार** को सुदृढ़ करना; • अग्रसक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; तथा • **पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़** बनाना।	• **प्रमुख लक्ष्य:** ○ मजदूरी के माध्यम से रोजगार के अवसरों की गारंटी प्रदान कर **ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।** ○ स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य को बढ़ावा देकर रोजगार अवसरों के निर्माण के माध्यम से **ग्रामीण निर्धनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना।** ○ ग्रामीण क्षेत्रों के **प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प करना।** ○ **एक स्थायी और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार** का निर्माण करना। ○ अधिकार-आधारित विधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेष रूप से, महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का सशक्तीकरण करना। ○ विभिन्न निर्धनता और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से **विकेन्द्रीकृत, सहभागितापूर्ण आयोजन को सुदृढ़** करना। ○ पंचायती राज संस्थानों को सशक्त कर जमीनी स्तर पर **लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।** • **ग्राम पंचायत जांच के बाद परिवारों (हाउसहोल्ड)** को पंजीकृत करती है, और जॉब कार्ड जारी करती है। • मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का **सामाजिक लेखापरीक्षा (Social Audit)** अनिवार्य है। • **कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी। • रोजगार 5 किमी के दायरे में प्रदान किया जाएगा और यदि दूरी 5 किमी से अधिक है, तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। • **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005** की धारा 6(1) के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है। • यदि आवेदन करने या कार्य मांगे जाने के पंद्रह दिनों के अन्दर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो **आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ता पाने का**

© Vision IAS

	अधिकारी होता है। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। • **मजदूरी और निर्माण सामग्री (wage and material ratio) में 60:40** के अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए। कोई ठेकेदार और मशीनरी अनुमन्य नहीं है। • केंद्र सरकार कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित अकुशल मैनुअल श्रम की 100 प्रतिशत मजदूरी लागत एवं भौतिक लागत के 75 प्रतिशत का वहन करती है। • सरकार ने विभिन्न राज्यों में अधिसूचित सूखा प्रभावित जिलों में 100 दिनों से अधिक दिनों (150 दिनों तक) के लिए अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी दे दी है। • अब इस योजना का उद्देश्य **रोजगार सृजन के अतिरिक्त, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार** करना, **उद्यमशीलता के लिए श्रमिकों का कुशल विकास** और GIS मैपिंग तथा कार्य की ब्लॉक-स्तर निगरानी जैसे कार्यों हेतु युवाओं की नियुक्ति करना है। • GeoMGNREGA मनरेगा के तहत निर्मित संपत्तियों की जियोटैगिंग के लिए **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)**, इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से MoRD का एक अनूठा प्रयास है। • **कोविड-19 महामारी के प्रकोप के अंतर्गत मनरेगा का प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2020-21 में फरवरी, 2021 तक कुल 344 करोड़ कार्य दिवस रोजगार सृजित हुए। यह अब तक का सर्वाधिक सृजित कार्य दिवस रोजगार था। कुल कार्य दिवसों में से लगभग 52% महिला कार्य दिवस सृजित किए गए, जो महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है।

30.1.2. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

अप्रैल 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया कि इस योजना के प्रथम चरण अर्थात् वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक 92% निर्माण कार्यों को संपन्न करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **वर्ष 2022 तक PMAY-G चरण- II के तहत 1.95 करोड़ आवासों के निर्माण** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। • यह योजना मूल रूप से **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** (EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं) और **निम्न आय वर्ग** (LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं) के लोगों को कवर करने के लिए प्रारंभ की गई थी, किंतु	• प्रधान मंत्री द्वारा **वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास"** का आह्वान किया गया था। इस हेतु 20 नवंबर, 2016 को PMAY-G नामक एक प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ध्यातव्य है कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक देश भर में 1.14 करोड़ आवास निर्मित किए जा चुके हैं। • **लाभार्थियों की पहचान:** सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) का प्रयोग करते हुए **13 बिंदु अपवर्जन मानदंडों** को अपनाया गया है। • **ग्राम सभा की भूमिका:** पूर्व में सहायता प्राप्त लाभान्वितों एवं अन्य कारणों

वर्तमान में इसके तहत मध्य आय वर्ग (MIG) को भी कवर किया गया है।	से अयोग्य लोगों की पहचान करने के लिए सूची ग्राम सभा को दी जाएगी। • **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** भू-संदर्भित (geo referenced) तस्वीरों की जांच और उन्हें अपलोड एक मोबाइल ऐप द्वारा किया जाएगा। • **प्रत्येक लाभार्थी को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में** 1.20 लाख रुपये (मैदानी क्षेत्रों में) और 1.30 लाख रुपये {पर्वतीय राज्यों / पूर्वोत्तर राज्यों / दुर्गम क्षेत्रों / संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख / एकीकृत कार्य योजना (Integrated Action Plan: IAP) जिलों / वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए} प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अनुदान को केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा। लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। • PMAY-G के तहत निर्मित किए गए सभी आवासों के लिए धनराशि 4 किस्तों में प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में जियोटैग फोटोग्राफ के माध्यम से निर्माण के विभिन्न चरणों के सत्यापन के पश्चात् प्रदान की जाती है। • लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90/95 कार्य दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी दी जाती है। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण, या किसी अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। • यह स्थानीय सामग्रियों और घरों के **स्थानीय विशिष्टता आधारित डिजाइन** का उपयोग करके निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। • राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में **राजगीरों के अखिल भारतीय प्रशिक्षण और प्रमाणन का एक कार्यक्रम शुरू** किया गया है। • कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी समुदाय भागीदारी (सामाजिक लेखा परीक्षा), संसद सदस्य (DISHA समिति), केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटरिंग आदि के माध्यम से की जानी है। • इस योजना में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एल.पी.जी. कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच आदि के लिए **भारत सरकार तथा राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का प्रावधान** किया गया है। • **योजना के प्रशासनिक व्यय में निर्धारित राशि में से 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की कटौती की गई है।** • **तीन चरणों के सत्यापन (सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, ग्राम सभा, और जियो-टैगिंग)** के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करने की प्रक्रिया ने PMAY-G के तहत सबसे निर्धनतम व्यक्ति के चयन को सुनिश्चित किया है।

30.1.3. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

DAY-NRLM का वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पांच वर्ष के लिए विशेष पैकेज को स्वीकृति प्रदान की गई है।

© Vision IAS

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• निर्धन परिवारों की लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी के रोजगार अवसरों तक पहुंच को सक्षम बना कर ग्रामीण गरीबी को कम करना। • 2024-25 तक 10-12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूहों में संगठित करना। • सशक्त समुदाय संस्थानों के निर्माण के माध्यम से निर्धनों की आजीविका में सतत सुधार लाना। • ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म स्थापित करना, जो उन्हें आजीविका में वृद्धि तथा वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। • 7.0 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँच स्थापित करना, जिनमें से 4.5 करोड़ अभी भी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से जोड़े नहीं जा सके हैं।	• यह एक **केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम** है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए विभिन्न आजीविकाओं को बढ़ावा देना है। • इस मिशन में स्वयं सहायता की भावना से सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से **सामुदायिक संस्थानों के साथ कार्य करना** शामिल है। यह DAY-NRLM का विशिष्ट संकल्प है। • इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्रखंड स्तरों पर समर्पित कार्यान्वयन सहायता इकाइयों के साथ **विशेष-प्रयोजन इकाइयों** (स्वायत्तशासी राज्य समितियों) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। • **यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन-** प्रत्येक चिह्नित निर्धन ग्रामीण परिवार में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाना है। सुभेद्य समुदायों पर विशेष बल दिया जाता है। • **निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (PIP)** - NRLM द्वारा लक्षित परिवारों (NTH) की पहचान हेतु BPL के बजाय निर्धनों की पहचान के लिये **सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (Participatory Identification of Poor: PIP)** अपनाया जाता है। PIP एक समुदाय संचालित प्रक्रिया है, जहां CBOs स्वयं सहभागितापूर्ण ढंग से गांव में गरीबों को चिह्नित करते हैं। CBOs द्वारा पहचाने गए गरीबों की सूची का निरीक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। • यह **रिवॉलविंग फंड (RF)** और **सामुदायिक निवेश कोष (CIF)** के माध्यम से संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जा सके तथा मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड निर्मित कर सकें। • **वित्तीय समावेशन-** यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है तथा SHGs और उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है • **आजीविका-** NRLM कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में निर्धनों के मौजूदा आजीविका पोर्टफोलियो को स्थिर करने एवं प्रोत्साहित करने; बाह्य आजीविका बाजारों के लिए कौशल निर्माण; और स्व-नियोजित एवं उद्यमियों को पोषित करने (सूक्ष्म उद्यमों के लिए) पर ध्यान केंद्रित करता है। • यह **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP)** को क्रियान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए NRLM कोष का 25% भाग निर्धारित है। ASDP ग्रामीण युवाओं के कौशल और अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वेतन रोजगार में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। • NRLM, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **ग्रामीण विकास स्व-रोजगार संस्थान (RUDSETI) मॉडल** के आधार पर देश के सभी जिलों में **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। • NRLM, **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) के माध्यम से** सफल, लघु-स्तरीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पादकता को बढ़ाती है। MKSP का लक्ष्य निर्धन तथा निर्धनतम के लिए घरेलू भोजन और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। • **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना** को NRLM के उप-समुच्चय (सब-सेट) के रूप में डिजाइन किया गया है। इससे **'अवधारणा का प्रमाण' (प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट)** बनाया जा सकेगा, केंद्र और राज्यों की क्षमताओं का निर्माण किया जा सकेगा तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को NRLM में स्थानांतरित (transit) करने हेतु एक सक्षम वातावरण

VISION IAS

	बनाया जा सकेगा। NRLM को देश में लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों के लिए 13 उच्च निर्धनता वाले राज्यों में लागू किया जाएगा। • आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने तथा डिजिटल वित एवं आजीविका से संबंधित हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित करने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना अर्थात् **"राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP)"** को स्वीकृति प्रदान की गयी है। • अक्टूबर 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **वित्त वर्ष 2023-24 तक, पांच वर्ष की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 520 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज** देने की मंजूरी दी थी। इसके तहत इस विस्तारित अवधि के दौरान आवंटन को निर्धनता अनुपात से जोड़े बिना मांग जनित आधार पर DAY-NRLM का वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (Aajeevika Grameen Express Yojana: AGEY)	• इसे वर्ष 2017 में **DAY-NRLM को सुसाध्य बनाने हेतु इसके तहत एक उप-योजना के रूप में** प्रारंभ किया गया था। • AGEY का उद्देश्य **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान करना** है। • DAY–NRLM के तहत समुदाय आधारित संगठनों (Community Based Organisations: CBOs) के परामर्श से **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Missions: SRLMs)** उन मार्गों की पहचान करते हैं, जहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, परन्तु परिवहन सेवाएं निम्नस्तरीय हैं। • SHG सदस्यों को वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर पहचाने गए मार्गों पर **वाहनों के संचालन के लिए CBOs द्वारा ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाता है। • AGEY हेतु **पृथक रूप से कोई बजटीय आवंटन नहीं** किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, DAY-NRLM के मौजूदा प्रावधानों के तहत CBOs को प्रदान किए गए सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund: CIF) का उपयोग SHG सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है।

30.1.4. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DeenDayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana: DDU-GKY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• भारत के ग्रामीण निर्धनों को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने वाले कौशल अभाव जैसे कि औपचारिक शिक्षा और विपणन योग्य कौशल की कमी को समाप्त करना।	• 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवा। • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST) /महिला / विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTG) / दिव्यांगजन: **45 वर्ष की आयु तक।**	• यह दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एक **उप-योजना** है। • **इसमें नियोजन से जुड़ी कौशल संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन** प्रदान किया जाता है। • ग्रामीण निर्धनों को नि:शुल्क **मांग आधारित** कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। • **सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज** (SC/ST 50%; अल्पसंख्यक 15% तथा महिलाएं 33%)। • **रोजगार प्रतिधारण, करियर की प्रगति और विदेश में प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहन** प्रदान करना।

 © Vision IAS

		• कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए **गारंटीकृत प्लेसमेंट।** • प्लेसमेंट के पश्चात् सहयोग, प्रवासन सहयोग और एलुमनी (पूर्ववर्ती प्रशिक्षु) नेटवर्क। • नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का पोषण करना और उनके कौशल का विकास करना। • जम्मू और कश्मीर (हिमायत/HIMAYAT योजना द्वारा), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और 27 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों (रोशनी/ROSHNI योजना द्वारा) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक बल देना। • यह **स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन** को अनिवार्य करती है। • **त्रि-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल:** ○ ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) में स्थित **DDU-GKY राष्ट्रीय इकाई** नीति-निर्माण, तकनीकी सहायता और सुविधा एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ○ **DDU-GKY राज्य मिशन** कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं; तथा ○ **परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (Project Implementing Agencies: PIAs)** कौशल और प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करती हैं।

30.1.5. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सितंबर 2020 तक इस योजना के तहत लगभग 27.21 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार प्रदान किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौटने वाले प्रवासियों और इसी प्रकार से प्रभावित नागरिकों** को आजीविका रोजगार प्रदान करना। • गाँव में सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं, जैसे- सड़कों, आवासों, आंगनवाड़ियों, पंचायत भवनों, विभिन्न आजीविका आस्तियों और सामुदायिक परिसरों का निर्माण करना तथा आजीविका के अवसर सृजित करना।	• इस अभियान को जून 2020 में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए **6 राज्यों, यथा- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों में 125 दिनों की अवधि के लिए** आरंभ किया गया था। • इसमें 116 अभियान जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए **25 लक्ष्य संचालित कार्यों का गहन तथा संकेन्द्रित कार्यान्वयन शामिल किया गया है।** इस अभियान का संसाधन आवरण 50,000 करोड़ रुपये का है। • यह **ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य 11 भागीदार मंत्रालयों** (पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, खान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) **तथा छह राज्य सरकारों के मध्य एक संयुक्त प्रयास** है।

31. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)

31.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

31.1.1. इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (इंस्पायर योजना) {Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

फरवरी 2021 में, मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया था कि 'विगत तीन वर्षों की अवधि में, देश भर के मान्यता प्राप्त स्कूलों से कक्षा 6-10 के लगभग 1,23,024 युवा छात्रों ने **इंस्पायर पुरस्कार- मानक (The Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge: MANAK)** प्राप्त किया है।'

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• युवा छात्रों को **विज्ञान का अध्ययन करने और शोध क्षेत्र में करियर बनाने** हेतु आकर्षित करना। • रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना और बच्चों के मध्य नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। • **अनुसंधान एवं विकास की नींव और उसके आधार** को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिभाशाली युवा मानव संसाधन को आकर्षित करना, संलग्न करना, बनाए रखना तथा उन्हें विकसित करना।	• प्रतिभाओं को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2008 में इंस्पायर योजना को अनुमोदित किया गया था। • इस योजना के अंतर्गत **15-35 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों/युवाओं को शामिल किया गया है।** • इंस्पायर योजना के तीन कार्यक्रम और पाँच घटक हैं। ○ **प्रतिभाओं के प्रारंभिक आकर्षण की योजना (Scheme For Early Attraction Of Talent: SEATS):** SEATS का लक्ष्य 5 हज़ार रुपये का इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने के माध्यम से 10-15 वर्ष की आयु वर्ग के 10 लाख प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के अध्ययन की ओर आकर्षित करना है, ताकि वे नवाचारों के आनंद का अनुभव कर सकें। इंस्पायर इंटर्नशिप के माध्यम से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 50,000 विद्यार्थियों को **विज्ञान क्षेत्र के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं के साथ अंतःक्रिया कराने** के उद्देश्य से 100 से अधिक स्थानों पर वार्षिक ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन शिविर आयोजित किये जाएंगे। 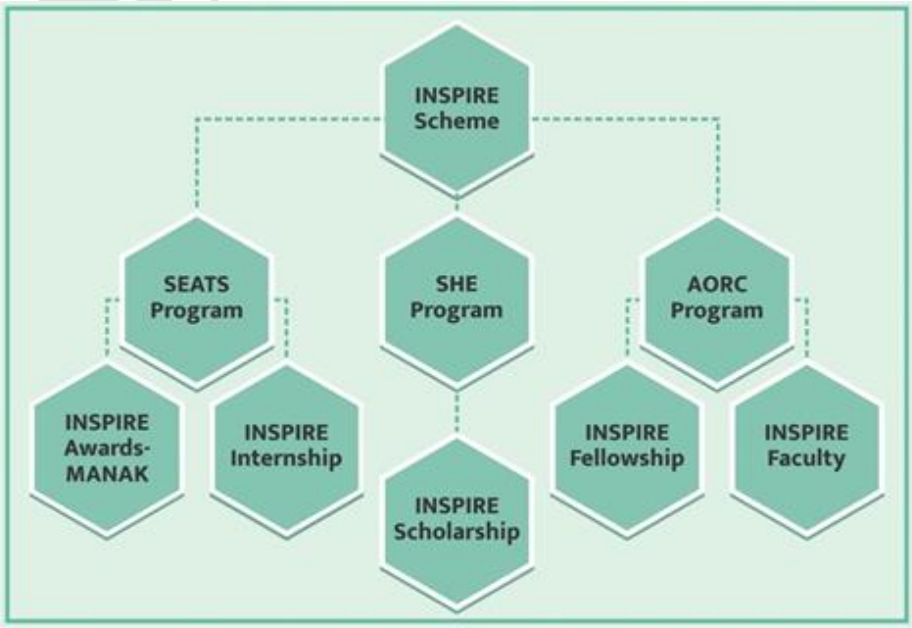 ○ **उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship for higher education: SHE):** SHE

© Vision IAS

	के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा के लिए, 17-22 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं हेतु प्रत्येक वर्ष 0.80 लाख रुपये/वर्ष की 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना की मुख्य विशेषता प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान किया गया **मेंटरशिप सपोर्ट** (शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन) है। ○ **अनुसंधान में करियर बनाने के लिए निश्चित अवसर (Assured Opportunity For Research Careers: AORC):** AORC के दो उप-घटक हैं। ▪ पहला घटक अर्थात् **इंस्पायर फैलोशिप** (22-27 वर्ष का आयु समूह) प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग और चिकित्सा सहित आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों में शोध (डॉक्टरेट डिग्री) के लिए 1000 फेलोशिप प्रदान करता है। ▪ दूसरा घटक, अर्थात् **इंस्पायर फैकल्टी स्कीम,** प्रत्येक वर्ष आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों क्षेत्रों के 27-32 वर्ष के आयु वर्ग के 1000 पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं हेतु 5 वर्ष के लिए संविदात्मक और टेन्योर ट्रैक पदों के माध्यम से निश्चित अवसर प्रदान करता है।
मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज (मानक) (The Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge-MANAK)	• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने वर्ष 2017 में **नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF)** की भागीदारी के साथ **इंस्पायर पुरस्कार-मानक** {मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज (MANAK)} कार्यक्रम को आरंभ किया था। • **इस** कार्यक्रम का उद्देश्य **स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवोन्मेषी सोच की संस्कृति को प्रोत्साहित करने** के लिए विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोग में निहित **दस लाख मूल विचारों/नवाचारों को लक्षित** करना है। • इसका उद्देश्य **कक्षा 6 से 10** में अध्ययन करने वाले 10-15 वर्ष के आयु के छात्रों को प्रेरित करना है। • इस कार्यक्रम के तहत DST वस्तुतः सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों की ओर से सामान्य समस्याओं का समाधान करने की क्षमता वाले मूल और नवोन्मेषी विचारों को आमंत्रित करता है। • इन विचारों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु चयनित करने से पूर्व **स्कूल के स्तर पर, जिला और राज्य स्तर पर कठिन स्क्रीनिंग और मेंटरिंग की प्रक्रिया** से गुज़रना पड़ता हैं।

31.1.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

किरण (पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी) {KIRAN (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing)}	• **वर्ष 2014 में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने "किरण" नामक छत्रक कार्यक्रम के तहत सभी महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को पुनर्संरचित किया।** यह DST की महिला-विशिष्ट योजना है। किरण कार्यक्रम का अधिदेश महिलाओं को मुख्यधारा में लाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता लाना है। • किरण के विभिन्न कार्यक्रम और घटक जैसे कि महिला वैज्ञानिक योजना-A (WOS-A), महिला वैज्ञानिक योजना-B (WOS-B) आदि महिला वैज्ञानिकों द्वारा उनके जीवन वृत्ति के मार्ग (career path) में सामना किए जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों **(मुख्य रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों, स्वरोजगार, अंशकालिक करियर, स्थानांतरण आदि के कारण होने वाला करियर में अवरोध या व्यवधान)** को संबोधित या दूर करते हैं। • यह योजना मंत्रालय द्वारा **STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित)** के क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण सुर्ख़ियों में थी।

विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti)	• इस कार्यक्रम को DST द्वारा वर्ष 2019 में **STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्रों में उन्नतर शिक्षा और करियर बनाने के लिए छात्राओं को प्रेरित करने के लिए आरंभ किया गया था।**
	• विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत नजदीकी वैज्ञानिक संस्थानों का भ्रमण करने, विज्ञान शिविर में जाने, प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यानों में शामिल होने और करियर परामर्श के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
	  ○ **500 से अधिक जिलों की चयनित महिलाओं को** ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे।
	• यह कार्यक्रम वर्तमान में **जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) द्वारा** 58 जिलों में लगभग 2,900 छात्र-छात्राओं की भागीदारी के साथ **कार्यान्वित किया जा रहा है।**
	• अक्टूबर 2020 में, **DST** और इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन कॉर्पोरेशन **(IBM)** इंडिया ने विज्ञान ज्योति कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सहयोग की घोषणा की।
	  ○ **इस सहयोग से होने वाले अपेक्षित लाभ:**
	    ▪ IBM इंडिया के साथ साझेदारी, मौजूदा गतिविधियों को सुदृढता प्रदान करेगी, साथ ही **भविष्य में और अधिक स्कूलों को शामिल करने करने हेतु इस कार्यक्रम का विस्तार करने में सहायता** भी प्रदान करेगी।
	    ▪ इस कार्यक्रम के तहत IBM इंडिया में कार्यरत **महिला तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा** छात्राओं के साथ संवाद किया जाएगा और **रोल मॉडल के रूप में छात्राओं को** STEM संबंधी विषयों में करियर बनाने के लिए **प्रेरित किया जाएगा।**
	"इंटरनेशनल डे ऑफ़ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस" के अवसर पर **11 फरवरी 2021** को आरंभ हुए विज्ञान ज्योति **कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत विज्ञान में छात्राओं की रुचि बढ़ाने तथा STEM विषयों के माध्यम से उन्हें अपना करियर बनाने** में सहायता प्रदान करने के लिए देश के 50 और जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार इस कार्यक्रम **का समग्र कवरेज 100 जिलों तक हो गया है।**

'एंगेज विद साइंस' (Engage With Science)	• इस कार्यक्रम को छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यालयों के नेतृत्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अग्रणी रखने के लिए आरंभ किया गया है। • इस कार्यक्रम को **विज्ञान प्रसार (VP)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो DST के तहत एक स्वायत्त संगठन है। • अक्टूबर 2020 में, **DST और IBM इंडिया** ने 'एंगेज विद साइंस' को भी कार्यान्वित करने के लिए **सहयोग की घोषणा की है।** • इसका उद्देश्य **खेल संबंधी रोचक गतिविधियों/सरलीकरण (Gamification) जैसे साधनों के माध्यम से स्कूली छात्रों के मध्य उत्साह और भागीदारी की की भावना को उत्पन्न करना** एवं विज्ञान और तकनीक आधारित सामग्री के उपयोग में वृद्धि करने में सहायता करना है। **साथ ही, STEM को उनके भविष्य के करियर के लिए आकांक्षापूर्ण बनाना है।** • इसके तहत **IBM द्वारा** कार्यक्रम से संबंधित छात्र कार्यशालाओं, संगोष्ठियों जैसी **दैनिक गतिविधियों को संचालित किया जाएगा।** साथ ही, IBM द्वारा छात्रों को परामर्श देने के लिए अपने विशेषज्ञ कार्यबल का उपयोग भी किया जाएगा। • यह प्लेटफॉर्म खेल संबंधी रोचक गतिविधियों से संबंधित साधनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग जैसे घटकों के उपयोग के माध्यम से छात्रों को **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित सामग्री (क्लाउड, बिग डेटा आदि) के प्रतिचयन और उनका सक्रिय रूप से उपयोग करने के संबंध में अंतःक्रिया करने, भाग लेने और उनका उपयोग करने के**

© Vision IAS

	लिए प्रेरित करेगा।
सर्ब-पावर (खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाना) {SERB-POWER (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research)}	• विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board: SERB) - पावर (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research: POWER) योजना, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों तथा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के विभिन्न विज्ञान और तकनीकी कार्यक्रमों में **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शोध के वित्तपोषण में लैंगिक असमानता को कम करने का कार्य करेगी।** ○ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत में **40 प्रतिशत STEM** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) **स्नातक महिलाएं हैं** जबकि इस संबंध में वैश्विक औसत 35 प्रतिशत है। हालांकि, 30 प्रतिशत के वैश्विक औसत के विपरीत **भारत में केवल 14 प्रतिशत महिला शोधकर्ता नियोजित हैं।** • **इस योजना के दो घटक है:** ○ **सर्ब-पावर फैलोशिप (SERB-POWER Fellowship):** इसके तहत भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में कार्यरत, विज्ञान और इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में पीएचडी डिग्री धारक उत्कृष्ट महिला शोधकर्ताओं और नवोन्मेषकों **(35-55 वर्ष की आयु के मध्य का भारतीय नागरिक)** को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत नामित व्यक्ति को फैलोशिप की अवधि के दौरान **अन्य सरकारी स्रोतों से कोई फैलोशिप प्राप्त नहीं होनी चाहिए।** ▪ **सहायता की प्रकृति और अवधि:** नियमित आय के अतिरिक्त प्रत्येक महीने 15,000 रुपये की फैलोशिप तथा प्रति वर्ष 10 लाख रुपये शोध अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। एक बार इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर चुके शोध छात्रों को **दूसरी बार पुनः नामांकित नहीं किया जाएगा।** ○ **सर्ब-पावर अनुसंधान अनुदान (SERB- POWER Research Grants):** इस योजना का उद्देश्य उदयीमान और प्रतिष्ठित महिला शोधकर्ताओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आरंभ करने के लिए व्यक्तिगत-केंद्रित और प्रतिस्पर्धी मोड आधारित अनुसंधान के लिए वित्तपोषण प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। **यह अनुदान महिला शोधकर्ताओं** को निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत वित्त पोषण प्रदान कर सशक्त बनाएगा: ▪ **स्तर I:** तीन वर्ष की अवधि के लिए 60 लाख रूपये तक का वित्तपोषण। ▪ **स्तर II:** तीन वर्ष की अवधि के लिए 30 लाख रूपये तक का वित्तपोषण।

VISION IAS

32. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

32.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

32.1.1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना {Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के तीसरे चरण को प्रारंभ किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **उद्योग द्वारा डिजाइन किए गए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण** प्राप्त करने, रोजगार योग्य और अपनी आजीविका निर्वहन योग्य बनाने के लिए **बड़ी संख्या में युवाओं को सक्षम और संगठित करना।** • **मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाना** और कौशल प्रशिक्षण को देश की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ श्रेणीबद्ध करना। • **प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण को प्रोत्साहित करना** और कौशल के पंजीयन के लिए आधार तैयार करना। • चार वर्षों (2016- 2020) की अवधि में **10 मिलियन युवाओं को लाभान्वित** करना।	• PMKV का पायलट चरण वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है, जिसमें **नि:शुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित करना** शामिल है। • इसके पायलट चरण के दौरान लगभग **19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।** PMKVY 2.0 (वर्ष 2016-20) • इसके दूसरे चरण को **क्षेत्र और भूगोल दोनों के संदर्भ में वृद्धि करके** प्रारंभ किया गया था। इस चरण में भारत सरकार के अन्य मिशनों, जैसे- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, आदि के साथ और अधिक संरेखण किया जाना था। • यह योजना **सामान्य लागत मानदंडों** के अनुरूप थी और इसका कुल बजटीय परिव्यय 12,000 करोड़ रुपये था। • **योजना के प्रमुख घटक:** ○ **लघु अवधि का प्रशिक्षण (Short Term Training: STT):** ऐसे उम्मीदवार जो या तो स्कूल / कॉलेज ड्रॉपआउट या बेरोजगार थे, उन्हें नौकरी की भूमिका के अनुसार (आमतौर पर 2-6 महीने के लिए) प्रशिक्षित किया गया था। अपने मूल्यांकन और प्रमाणन के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भागीदारों (Training Partners: TPs) द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की गई थी। ○ **पूर्व शिक्षण को मान्यता (Recognition of Prior Learning: RPL):** इस घटक के तहत पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल रखने वाले व्यक्तियों का आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को **राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framework: NSQF) के अनुरूप संरेखित करना** है। प्रशिक्षण/अभिविन्यास की अवधि 12-80 घंटे होती है। ○ **विशेष परियोजनाएं:** उपलब्ध योग्यता पैक (Qualification Packs:QP)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (National Occupational Standards: NOS) के तहत परिभाषित नहीं की गई विशेष रोजगार भूमिकाओं एवं विशेष क्षेत्रों और सरकारी निकायों, कॉर्पोरेट्स/ उद्योग निकायों से सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु। • यह योजना **दो घटकों के माध्यम से कार्यान्वित** की जा रही है: ○ **केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (Centrally Sponsored Centrally Managed: CSCM):** इस घटक को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation: NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

	PMKVY 2016-20 के तहत निर्धारित फंड का 75 प्रतिशत और संबंधित भौतिक लक्ष्यों को CSCM के तहत आवंटित किया गया है। ○ **केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (Centrally Sponsored State Managed: CSSM):** इस घटक को राज्य सरकारों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशनों (State Skill Development Missions: SSDMs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। PMKVY 2016-20 के तहत निर्धारित फंड का 25% और संबंधित भौतिक लक्ष्यों को CSSM के तहत आवंटित किया गया है। • जिलों में **प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (PMKKs)** स्थापित किए गए हैं। • PMKVY 1.0 और PMKVY 2.0 के तहत देश में बेहतर मानकीकृत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से **1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित/दिशानिर्देशित** किया गया है। **PMKVY 3.0** • इसे जनवरी 2021 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत लगभग 600 जिलों में युवाओं के लिए 300+ कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे **कौशल विकास को अधिक मांग-संचालित और इसके दृष्टिकोण को विकेन्द्रीकृत** बनाने में मदद मिली है। • इसको राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों एवं जिलों से और अधिक समर्थन तथा जवाबदेही के साथ अधिक विकेन्द्रीकृत स्वरुप में लागू किया जाएगा। राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) के मार्गदर्शन में स्थापित **जिला कौशल समितियां (District Skill Committees: DSCs) जिला स्तर पर मांग के आकलन में और कौशल अंतराल को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाएंगी। • **नए युग और उद्योग 4.0 (Industry 4.0) से संबंधित नौकरियों की भूमिकाओं के संदर्भ में** कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग-आपूर्ति अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। • **PMKVY 3.0 का लक्ष्य आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है।**

32.1.2. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में **शिक्षु अधिनियम, 1961** (वर्ष 2014 में संशोधित) में संशोधन का एक प्रस्ताव लाया गया है। इसमें शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् शिक्षुता, स्नातकों के प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के लिए **राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) को फिर से संगठित करने पर भी बल** दिया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन** प्रदान करना, जो प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना चाहते हैं। • वर्ष 2020 तक प्रशिक्षुओं की संख्या को 2.3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना।	• इसके निम्नलिखित दो घटक हैं: ○ प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले सभी नियोक्ताओं को **निर्धारित वजीफे के 25% (अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षु) की प्रतिपूर्ति** भारत सरकार द्वारा की जाएगी। ○ फ्रेशर प्रशिक्षुओं (जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सीधे प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए आते हैं) के संबंध में **बुनियादी प्रशिक्षण की लागत साझा** की जाएगी जोकि 500 घंटे/3 माह की अधिकतम अवधि के लिए प्रति प्रशिक्षु 7500 रुपये होगी। • **योजना का दायरा:** इसमें स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं को छोड़कर सभी श्रेणियों के प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है, जो शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा प्रशासित योजना के अंतर्गत आते हैं। • इसे **प्रशिक्षण महानिदेशक (Director General of Training: DGT) द्वारा लागू** किया जाएगा।

VISION IAS

33. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

33.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

33.1.1. सुगम्य भारत अभियान {Sugamya Bharat Abhiyan/ Accessible India Campaign (AIC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

फरवरी, 2021 में केंद्र सरकार ने 'सुगम्य भारत ऐप' को प्रारंभ किया तथा 'एक्सेस - द फोटो डाइजेस्ट' नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• दिव्यांग जनों (PWD) के लिए सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करना।
• इस योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को शामिल किया गया है:
  ○ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी राज्यों की राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को दिव्यांग जनों के लिए पूर्णतः सुलभ बनाना।
  ○ 50 प्रतिशत सरकारी भवनों का सुगम्यता ऑडिट करना तथा राज्यों के दस सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों में ऐसे भवनों को पूर्णतः सुगम्य बनाना।
  ○ देश के 50% रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित करना।
  ○ सरकारी स्वामित्व वाले 25% सार्वजनिक परिवहन वाहनों को पूर्ण रूप से सुगम्य परिवहन वाहनों के रूप में परिवर्तित करना।
  ○ सभी सरकारी (केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों) वेबसाइटों में से 50% का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना तथा उन्हें पूर्ण रूप से सुगम्य वेबसाइटों में परिवर्तित करना।
	• दिव्यांग जनों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, अभियान को **तीन भागों में** विभाजित किया गया है, यथा-
	  ○ सुगम्य वातावरण तैयार करना;
	  ○ सुगम्य परिवहन प्रणाली तथा
	  ○ सुगम्य सूचना एवं संचार पारितंत्र।
	• **सुगम्य भारत ऐप:** यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन है। यह सुगम्य भारत अभियान के 3 स्तंभों के प्रति संवेदनशील बनाने और इन तक पहुंच बढ़ाने का एक साधन है।
	• **एक्सेस - द फोटो डाइजेस्ट:** इस पुस्तिका की परिकल्पना, एक उपकरण और मार्गदर्शक के रूप में की गई है। यह सुगमता को सुनिश्चित करने वाली 10 मूलभूत विशेषताओं और संबंधित अच्छे-बुरे व्यवहारों के बारे में हितधारकों को संवेदनशील बनाती है। सरलतापूर्वक समझ प्रदान करने के लिए इन विशेषताओं को चित्रात्मक रूप में प्रतिबिंबित किया गया है।

© Vision IAS

34. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile)

34.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

34.1.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Park: SITP)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

मार्च 2021 में कपड़ा मंत्री ने संसद को सूचित किया था कि आगामी 3 **वर्षों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे,** जिससे कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने में सक्षम करने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• वस्त्र उद्योग को **वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु** अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करना।
• अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और सामाजिक मानकों को पूरा करने हेतु **वस्त्र इकाइयों को सहायता प्रदान करना।**
• **वस्त्र क्षेत्रक** में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना तथा रोजगार के नवीन **अवसर सृजित** करना।
	• वर्ष 2005 में अपैरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (APES) और द सेन्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (TCIDS) नामक **दो योजनाओं का विलय** करके इसे प्रारंभ किया गया था।
	• यह योजना **उच्च विकास क्षमता युक्त औद्योगिक समूहों और स्थानों को लक्षित** करती है, जहाँ विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
	• **एकीकृत वस्त्र पार्कों (ITPs)** को स्थापित करने हेतु **सार्वजनिक निजी भागीदारी** प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।
	• यह एक **मांग आधारित योजना** है जिसमें दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर, निवेश के इच्छुक उद्यमी अपने प्रस्ताव को सरकार के पास भेज सकते हैं।
	• एक ITP में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:
	  ○ **भूमि:** स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के तहत 20 एकड़ से अधिक भूमि होनी चाहिए;
	  ○ **सामान्य अवसंरचना:** सड़क, जल और विद्युत की आपूर्ति, आदि;
	  ○ **सामान्य सुविधाओं के लिए भवन:** प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला, आदि;
	  ○ **कारखाने:** उत्पादन प्रयोजनों हेतु।
	• ITP को संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), समर्थ (SAMARTH) इत्यादि से भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
	• **वित्तपोषण: परियोजना लागत का 40%** (प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90%) वित्तपोषण **भारत सरकार** द्वारा किया जाएगा, जिसकी **अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये** होगी जिसका वहन तीन किश्तों के माध्यम से किया जाएगा।
	• इस परियोजना की लागत का वहन वस्त्र मंत्रालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC) और औद्योगिक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (IPMC) की अनुदान/इक्विटी तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा किया जाता है।
	• परियोजना लागत में ITP की आवश्यकताओं पर निर्भर टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सहायक उपकरण, पैकेजिंग आदि जैसी समर्थन गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा।

35. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

35.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

35.1.1. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना {(National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme)}*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रसाद योजना** के तहत **केरल स्थित गुरुवायूर में एक "पर्यटक सुविधा केंद्र"** का उद्घाटन किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव** प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक नियोजित और धारणीय तरीके से **तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास करना।** • रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर **प्रत्यक्ष और गुणक प्रभाव हेतु तीर्थाटन पर्यटन का उपयोग करना।** • धार्मिक गंतव्यों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ाना;** • **स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन** इत्यादि को बढ़ावा देना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।** • यह योजना **अवसंरचना विकास** पर लक्षित है जैसे-प्रवेश स्थल (सड़क, रेल और जल परिवहन), लास्ट माइल कनेक्टिविटी) मौलिक पर्यटन सुविधाएँ उदाहरणार्थ- सूचना/विवेचन केंद्र एटीएम/मनी एक्सचेंज, पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन आदि। • सार्वजनिक वित्त पोषण के अंतर्गत शामिल घटकों के लिए, **केंद्र सरकार 100% वित्त प्रदान करेगी।** • परियोजना के बेहतर स्थायित्व के लिए, **PPP और CSR को** शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे। • केंद्र सरकार ने **उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री तथा मध्यप्रदेश के अमरकंटक व झारखंड के पारसनाथ** को योजना में शामिल किया है।

VISION IAS

36. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

36.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

36.1.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School: EMRS)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना के दिशा-निर्देशों को नवंबर 2020 में संशोधित किया गया था।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालयों की स्थापना** और साथ ही देश भर में सभी क्षेत्रों, बस्तियों तथा **विविध परिवेश में आदिवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास** को सुनिश्चित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना करना। • आदिवासी बहुल क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति (ST) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना।** साथ ही, पाठ्येतर गतिविधियों के साथ, उन्हें शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंचने और उन्हें सामान्य आबादी के समतुल्य स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। • **50% से अधिक जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों** वाले सभी जनजातीय ब्लॉक में वर्ष **2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना** की जाएगी। • ये **जवाहर नवोदय विद्यालयों** के समान हैं (इन विद्यालयों का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को महत्व दिए बिना उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है)।इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त **स्थानीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित** करने हेतु विशेष सुविधाएं होंगी। • 12 EMDBS को उन सभी पहचाने गए उप-जिलों/ब्लॉक्स में स्थापित किया जाएगा, जहाँ अनुसूचित जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक (90% या उससे अधिक) है। • सभी संबंधित अवसंरचनाओं (भवन, उपकरण आदि) के साथ **खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करने के लिए एक समर्पित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल दिया जाएगा। इस उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में एक चिन्हित व्यक्तिगत खेल और एक सामूहिक खेल हेतु विशेषीकृत अत्याधुनिक सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। • खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए **खेल कोटे के तहत 20% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।** • इस योजना के तहत **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS) को **100% अनुदान सहायता** प्रदान की जाएगी। • NESTS को **जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति द्वारा** निर्देशित/संचालित किया जाएगा।

36.1.2. प्रधान मंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जून 2020 में, सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत यह निर्दिष्ट किया गया था कि इस योजना के कवरेज को मौजूदा 18,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से बढ़ाकर 50,000 वन धन स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तक कर दिया जाएगा, जबकि आदिवासी सभाओं के कवरेज को भी तीन गुना बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान	• यह योजना **न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र {'Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) & Development of Value Chain**

करना तथा • प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन सुविधा स्थापित करना।	for MFP'} का एक घटक है, जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। • **इसे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेडT/RIFED) द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो इस हेतु** राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। • **यह देश की जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास** के लिए एक सुविचारित मास्टर प्लान है। • **प्रमुख प्रावधान:** ○ **यह आदिवासी संग्रहकर्ताओं के आजीविका सृजन और उन्हें उद्यमियों में परिवर्तित करने हेतु** संचालित **एक पहल** है। ○ मुख्य रूप से वन जनजातीय जिलों में **आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले एक वन धन विकास केंद्र (VDVK)** की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। ○ **एक केंद्र में 15 आदिवासी स्वयं सहायता समूह शामिल किए जायेंगे**, जिनमें से प्रत्येक में 20 जनजातीय गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) संग्रहकर्ता या कारीगर शामिल होंगे, अर्थात् प्रति वन धन केंद्र में लगभग 300 लाभार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। ○ **यह केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है।** इसके अतिरिक्त ट्राइफेड द्वारा प्रत्येक 300 सदस्य के लिए वन धन केंद्र को 15 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। ○ स्वामित्व स्थापित करने के लिए जनजातीय संग्रहकर्ता को प्रति सदस्य रु.1000 का योगदान करना होगा। ○ **स्वयं सहायता समूह को परिचालन परिसर उपलब्ध कराने के लिए पंचायतें/जिला प्रशासन को दिशानिर्देशित** किया गया है। ○ **मूल्य संवर्धन हेतु प्रशिक्षण**, उपकरण का उपयोग और उद्यम प्रबंधन। ○ **लघु वनोपज (MFP) मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए** स्थानीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा वैश्विक स्तर पर **खरीदारों की पहचान करना।** ○ **रसद और परिवहन के लिए व्यवस्था करना।** ○ **ब्रांडिंग और मार्केटिंग।**

36.1.3. न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र {Scheme for 'Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) Through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP}

सुर्ख़ियों में क्यों?

विगत एक वर्ष में इस योजना के अंतर्गत विभिन्न लघु वनोपजों (MFP) को शामिल किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• स्थानीय स्तर पर आवश्यक अवसंरचना के साथ-साथ उनके द्वारा एकत्रित किए गए चिन्हित लघु वनोपज (MFP) के लिए मुख्य रूप से MSP के माध्यम से MFP संग्रहकर्ताओं हेतु उचित प्रतिफल (रिटर्न) सुनिश्चित करना।	• **लघु वनोपज (MFP) संग्रहकर्ताओं की आजीविका में सुधार के लिए** इस योजना को **एक सामाजिक सुरक्षा जाल** के रूप में तैयार किया गया है ,ताकि उन्हें उनके द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज (MFP) हेतु उचित मूल्य प्रदान किया जा सके। • **ट्राइफेड द्वारा इस योजना को देश के 21 राज्यों की सरकारी एजेंसियों के सहयोग** से संकल्पित और कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए बड़ी राहत के एक स्रोत के रूप में उभरी है। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब तक किए गए प्रयास व्यर्थ न हों तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन को मजबूत करने और आदिवासी आबादी के सशक्तीकरण में योगदान करने के लिए **ट्राइफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और लघु वनोपज (MFP) योजना एवं वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप के द्वितीय चरण की शुरुआत की है।**

© Vision IAS

	• इस चरण के दौरान, एक विशेष कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत **वन धन योजना को लघु वनोपज योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ विलय कर दिया जाएगा।** • संयुक्त रूप से, इन दोनों पहलों के माध्यम से **आदिवासियों के लिए एक व्यापक विकास पैकेज** प्रस्ताव लाया गया है। यह प्रस्ताव रोजगार और आय तथा उद्यमिता को बढ़ावा देगा। • **नोट:** MFP वन उपज का एक उप-भाग है (भारतीय वन अधिनियम 1927 में परिभाषित)। **MFP को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 {Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006}** के तहत परिभाषित किया गया है। • इस अधिनियम की धारा 2 में MFP को **'पौधे की किस्मों के सभी गैर-काष्ठ वन उत्पाद'** के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें बांस, झाड़ियां (शाखा-काष्ठ), स्टंप, बेंत, टसर, कोकून (कच्चे रेशम का कोये), शहद, मोम, लाख, तेंदु/केंदु के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें आदि शामिल हैं।

36.1.4. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives)

ट्राईफूड/स्फूर्ति मॉडल (Trifood/SFURTI Model)	• नवंबर 2020 में, ट्राईफूड/स्फूर्ति मॉडल के अधीन 200 परियोजनाओं को प्रारंभ करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने एक घोषणा की थी। • **ट्राईफूड/स्फूर्ति मॉडल:** ○ **यह भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड/TRIFED)** की अभिसरित पहलों में से एक है। ○ इस प्रकार के प्रथम मॉडल को अगस्त, 2020 में **रायगढ़, (महाराष्ट्र) और जगदलपुर (छत्तीसगढ़)** में लॉन्च किया गया था। ○ यह कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती और औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित **क्लस्टर कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी आबादी के लिए वर्ष भर एक सतत आय को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।**
ट्राईफूड योजना (TRIFOOD Scheme)	• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। • इस योजना के अंतर्गत आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्रित **लघु वनोपज (MFP)** के प्रसंस्करण के लिए **तृतीयक मूल्य संवर्धन केंद्र** स्थापित किए जाएंगे। • **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)** के अंतर्गत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण वाली योजना के अधीन प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। • इसका उद्देश्य **आदिवासियों की आय में वृद्धि करना है।** **नोट:** पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries : SFURTI) अर्थात् स्फूर्ति योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत संचालित किया गया है।

37. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

37.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

37.1.1. एकीकृत बाल विकास सेवाएं (Integrated Child Development Services: ICDS)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **"पोषण अभियान"** का मूल्यांकन किया, जो ICDS का एक अभिन्न अंग है।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

छोटे बच्चों में अल्पपोषण (अल्प वजनी 0-3 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत) को 10 प्रतिशत से कम करना एवं इसकी रोकथाम करना;
बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना;
मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने संबंधी घटनाओं को कम करना;
बाल विकास प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना; तथा
उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता में वृद्धि करना।

</td><td>

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
ICDS योजना को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और विकास करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक है।
इसमें संबंधित गांव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को शामिल किया जाएगा।
यह एक सार्वभौमिक और आत्म-चयन आधारित योजना है, अर्थात् कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर इन सेवाओं हेतु नामांकन करा सकता है।

ICDS छत्रक योजना के तहत उप-योजनाएं

आंगनवाड़ी सेवाएं: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समग्र विकास के लिए।

<table>
<tr><th>Services</th><th>Target Group</th></tr>
<tr><td>1. Supplementary Nutrition</td><td>Children below 6 years, Pregnant & Lactating Mothers (P&LM)</td></tr>
<tr><td>2. Immunization</td><td>Children below 6 years, Pregnant & Lactating Mothers (P&LM)</td></tr>
<tr><td>3. Health Check-up*</td><td>Children below 6 years, Pregnant & Lactating Mothers (P&LM)</td></tr>
<tr><td>4. Referral Services</td><td>Children below 6 years, Pregnant & Lactating Mothers (P&LM)</td></tr>
<tr><td>5. Pre-School Education</td><td>Children below 3-6 years,</td></tr>
<tr><td>6. Nutrition & Health Education</td><td>Women (15-45 years)</td></tr>
</table>

बाल संरक्षण सेवाएं: इसका उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित परिवेश प्रदान करना तथा उनसे संबंधित सुभेद्यता को कम करना है।
राष्ट्रीय शिशुगृह (creche) सेवा: इसका उद्देश्य कामकाजी माताओं को अपने काम के दौरान बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना है। इस प्रकार यह महिलाओं को रोजगार करने के लिए सशक्त बनाती है।
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): संपूर्ण देश में 01.01.2017 से सभी जिलों में यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू हो गया है। PMMVY के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (Pregnant Women and Lactating Mothers: PW&LM) के बैंक/डाकघर खाते में DBT के माध्यम से 5,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
किशोरी बालिकाओं (Adolescent Girls: AGs) के लिए योजना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य AGs के लिए सहयोगात्मक परिवेश निर्मित करते हुए उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना है ताकि

</td></tr>
</table>

© Vision IAS

<table>
<tr><td></td><td>
वे आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बन सकें। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली AGs को लक्षित समूह के रूप में शामिल करना है।

- **पोषण घटक:** राशन या पका हुआ गर्म भोजन घर ले जाना। एक वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन वित्तीय मानदंड 9.5 रुपये होगा। इसमें AGs में सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रवर्धन करने की लागत शामिल होगी।
- **गैर-पोषण घटक:** इसके तहत आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की अनुपूर्ति करना; स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition & Health Education: NHE) प्रदान करना; परिवार कल्याण, किशोरी जनन और यौन स्वास्थ्य (Adolescent Reproductive & Sexual Health: ARSH), शिशु देखभाल पद्धतियां के संबंध में परामर्श/मार्गदर्शन प्रदान करना; जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है।

* **पोषण अभियान:** इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से देश में कुपोषण को कम करना है।
</td></tr>
</table>

37.1.2. राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) {National Nutrition Mission (Poshan Abhiyaan)}#

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>
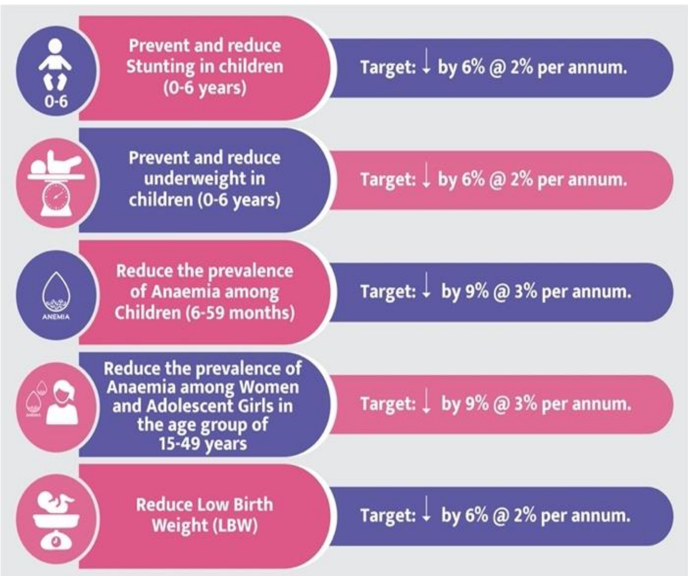

</td><td>

* इस अभियान का लक्ष्य सहक्रियात्मक और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर जीवन चक्र संबंधी प्रबंधन के माध्यम से वर्ष 2022 तक देश में **कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से कम करना** है।
* इस योजना की लागत का 50% विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास संस्था द्वारा वहन किया जा रहा है तथा शेष 50% केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य विभाजित किया गया है।
* **पोषण (POSHAN) अभियान के मुख्य स्तंभ:**
  - एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS)-कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (CAS);
  - अभिसरण;
  - व्यवहार में परिवर्तन, **सूचना, शिक्षा और संचार** अभियान;
  - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;
  - नवाचार;
  - प्रोत्साहन; तथा
  - शिकायत निवारण।
* अक्टूबर 2020 में, नीति आयोग ने तीसरी प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर 2019-अप्रैल 2020 के मध्य की अवधि को कवर करते हुए) जारी की है। इसमें आयोग ने **पोषण प्लस रणनीति** का समर्थन किया है *(इस रणनीति के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए नवंबर 2020, समसामयिकी का मासिक लेख 7.3. 'भारत में कुपोषण' देखें)।*
</td></tr>
</table>

37.1.3. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Padhao Beti Bachao: BBBP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने इस योजना से संबंधित विगत 6 वर्षों की उपलब्धियों को प्रकाशित किया है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन करना।
• बालिकाओं का **अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित** करना।
• बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना।
	• इसे 22 जनवरी 2015 को **हरियाणा के पानीपत** में प्रधान मंत्री द्वारा आरंभ किया गया था।
	• BBBP वस्तुतः **घटते बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio: CSR)** और संपूर्ण जीवन-चक्र में महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।
	• यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित **एक त्रि-मंत्रालयी प्रयास** है।
	• इस योजना के प्रमुख घटकों में **गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम का प्रवर्तन, राष्ट्रव्यापी जागरूकता एवं प्रचार अभियान सहित प्रथम चरण (वर्ष 2014-15) के दौरान चयनित 100 जिलों (कम बाल लिंगानुपात वाले) में बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई** को शामिल किया गया है।
	• इसके तहत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, संवेदीकरण, जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से मानसिकता में बदलाव पर विशेष बल दिया गया है।
	• देश के सभी 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करते हुए BBBP को अखिल भारतीय स्तर पर मार्च 2018 में लागू कर दिया गया था।
	• **दो घटक:**
	  ○ BBBP के संबंध में समर्थन जुटाना और मीडिया के माध्यम से अभियान चलाना।
	  ○ **बाल लिंगानुपात के संबंध में बदतर स्थिति वाले** लैंगिक रूप संवेदनशील चयनित जिलों में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप करना।
	• BBBP योजना में व्यक्तिगत स्तर पर नकद प्रोत्साहन / नकद अंतरण संबंधी घटक के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना नहीं है।
	• महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में जिला /ब्लॉक /जमीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण को संभव बनाना।
	• **लक्षित समूह:**
	  ○ **प्राथमिक:** युवा और नवविवाहित युगल; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं; माता-पिता।
	  ○ **द्वितीयक:** युवा, किशोर (लड़कियां और लड़के), ससुराल पक्ष, चिकित्सक/ चिकित्सा पेशेवर, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और नैदानिक केंद्र।
	  ○ **तृतीयक:** अधिकारी, पंचायती राज संस्थान; अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह / सामूहिक, धार्मिक नेता, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया, चिकित्सा संघ, उद्योग संघ, सामान्य जन।
	• राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर BBBP योजना की निगरानी करना।
	• BBBP से संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री के प्रसार हेतु **डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड** एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों के जन्म से संबंधित मासिक आंकड़े को अपडेट किया जाता है। इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजना के तहत सर्वोत्तम पद्धतियों के रूप में अपनाया गया है।
	• **6 वर्षों के दौरान BBBP की उपलब्धियां:**
	  ○ **मनोवृत्ति परिवर्तन:**
	    ▪ यह योजना **कन्या भ्रूण हत्या,** लड़कियों में **शिक्षा की कमी** और जीवन-चक्र के दौरान अधिकारों से वंचित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रही है।
	    ▪ इससे लैंगिक भेदभाव की व्यापकता और इसे समाप्त करने में **समुदाय की भूमिका को लेकर जनता में जागरूकता** और **संवेदनशीलता बढ़ी है।**

VISION IAS

© Vision IAS

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के अंतर्गत निगरानी योग्य घटक

लैंगिक रूप से संवेदनशील चयनित जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में एक वर्ष में 2 अंको का सुधार करना।

↓

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में लैंगिक अंतराल को वर्ष 2014 के 7 अंक से कम करते हुए 1.5 अंक प्रति वर्ष करना।

↓

संस्थागत प्रसव की दर में प्रति वर्ष कम से कम 1.5% की वृद्धि करना।

वर्ष 2018–19 तक माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर को तीव्र कर 82% तक पहुँचाना।

↓

चयनित जिलों के प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए कार्यात्मक शौचालय उपलब्ध कराना।

लड़कियों की पोषण स्थिति में सुधार करना – 5 वर्ष से कम आयु वाली अल्प वजनी और एनीमिया पीड़ित लड़कियों की संख्या को कम करना।

↓

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन पर बल देना।

↓

एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के सार्वभौमीकरण को सुनिश्चित करना।

↓

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में समुदायों को संगठित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों / स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को सामुदायिक चैंपियन के रूप में प्रशिक्षित करना।

Achievements under Beti Bachao Beti Padhao

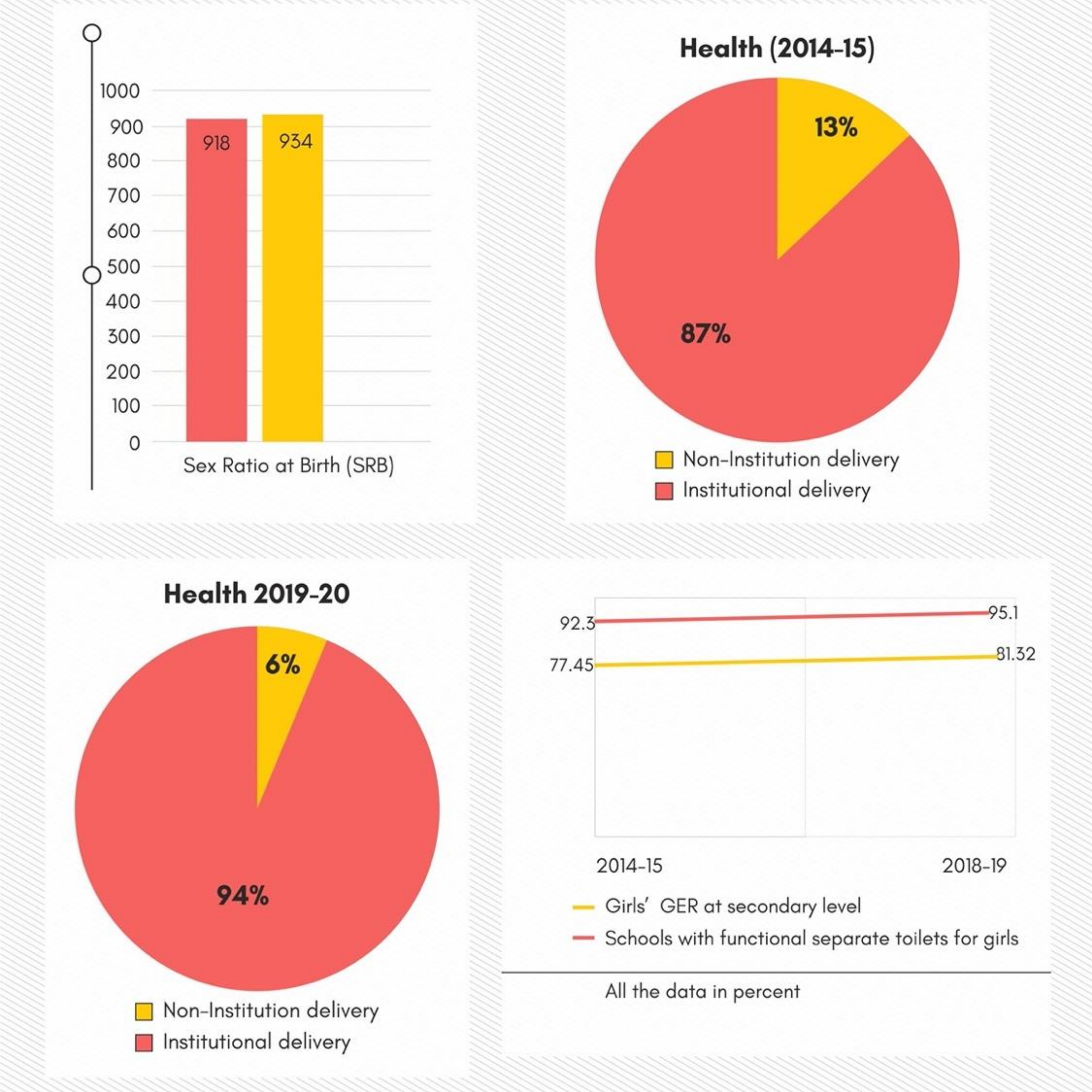

© Vision IAS

38. नीति आयोग (Niti Ayog)

38.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

38.1.1. अटल नवप्रवर्तन मिशन (Atal Innovation Mission: AIM)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

अप्रैल 2021 में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने देश भर में **अटल नवप्रवर्तन मिशन** द्वारा स्थापित 295 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं को अंगीकृत (अडॉप्ट) किया या अपना लिया।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• देश भर में (स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तरों पर) **नवाचार और उद्यमशीलता आधारित परिवेश का सृजन करना और बढ़ावा देना।**
• **इसकी परिकल्पना, एक अम्ब्रेला नवाचार संगठन के रूप में की गई है,** जो केन्द्रीय, राज्य और क्षेत्रकीय नवाचार योजनाओं के मध्य नवाचार नीतियों के संरेखण (alignment) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
	• इसे संपूर्ण देश में **नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करने तथा बढ़ावा देने के लिए** आरंभ किया गया था।
	• AIM द्वारा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक **समग्र दृष्टिकोण** को अपनाया गया है।
	• इसके दो प्रमुख कार्य हैं-
	  ○ **स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU)** योजना के माध्यम से **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन,** जिसमें इन्नोवेटर (innovators) को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा।
	  ○ **नवाचार को प्रोत्साहन:** नवाचारी विचारों के सृजन के लिए मंच उपलब्ध करवाना।
	• समग्र रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं-
	  ○ **अटल टिंकरिंग लैब (ATLs):** यहाँ छठी से बारहवीं कक्षा तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखते हैं तथा विचारों का विकास करते हैं।
	    ▪ **अटल टिंकरिंग मैराथन:** यह मैराथन भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र नवोन्मेषकों की खोज करने हेतु 6 विषयगत क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी, और कृषि-तकनीक में देशव्यापी चुनौती प्रस्तुत करता है।
	  ○ **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs) एंड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC):** इन्हें विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन, लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) तथा कॉर्पोरेट उद्योग स्तरों पर स्थापित किया जाएगा।
	  ○ **अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज:** सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव हेतु प्रौद्योगिकी चालित नवाचारों तथा उत्पाद सृजन को प्रोत्साहन।
	  ○ **"मेंटर इंडिया" अभियान:** यह देश के अग्रणी लोगों (जो छात्रों का मार्गदर्शन और उन्हें परामर्श प्रदान कर सकते हैं) को शामिल करने हेतु एक **रणनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है।** उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, सरकार और वैश्विक सहयोग इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
	• हाल ही में, अटल इनोवेशन मिशन के तहत, AIM की अटल टिंकरिंग लैब (ATL) की समग्र क्षमता का लाभ उठाने के लिए नीति आयोग ने **भारतीय विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉड्यूल** को स्थापित करने की दिशा में नैसकॉम (NASSCOM) के साथ साझेदारी की है। छात्रों को AI की विभिन्न अवधारणाओं

	के माध्यम से कार्य करने और सीखने में सक्षम बनाने हेतु इस मॉड्यूल में विभिन्न गतिविधियों, वीडियो और प्रयोगों को शामिल किया गया है। • AIM की पहलों ने भारत को **वर्ष 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान से वर्ष 2020 में 48 वें स्थान पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई** है। • **आत्मनिर्भर भारत ARISE-अटल न्यू इंडिया चैलेंज (Aatmanirbhar Bharat ARISE-Atal New India Challenges):** यह **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्ट-अप एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि** करने हेतु अटल नवाचार मिशन द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। इसे **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), चार मंत्रालयों** अर्थात्- रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं **संबंधित उद्योगों** द्वारा संचालित किया जाएगा।

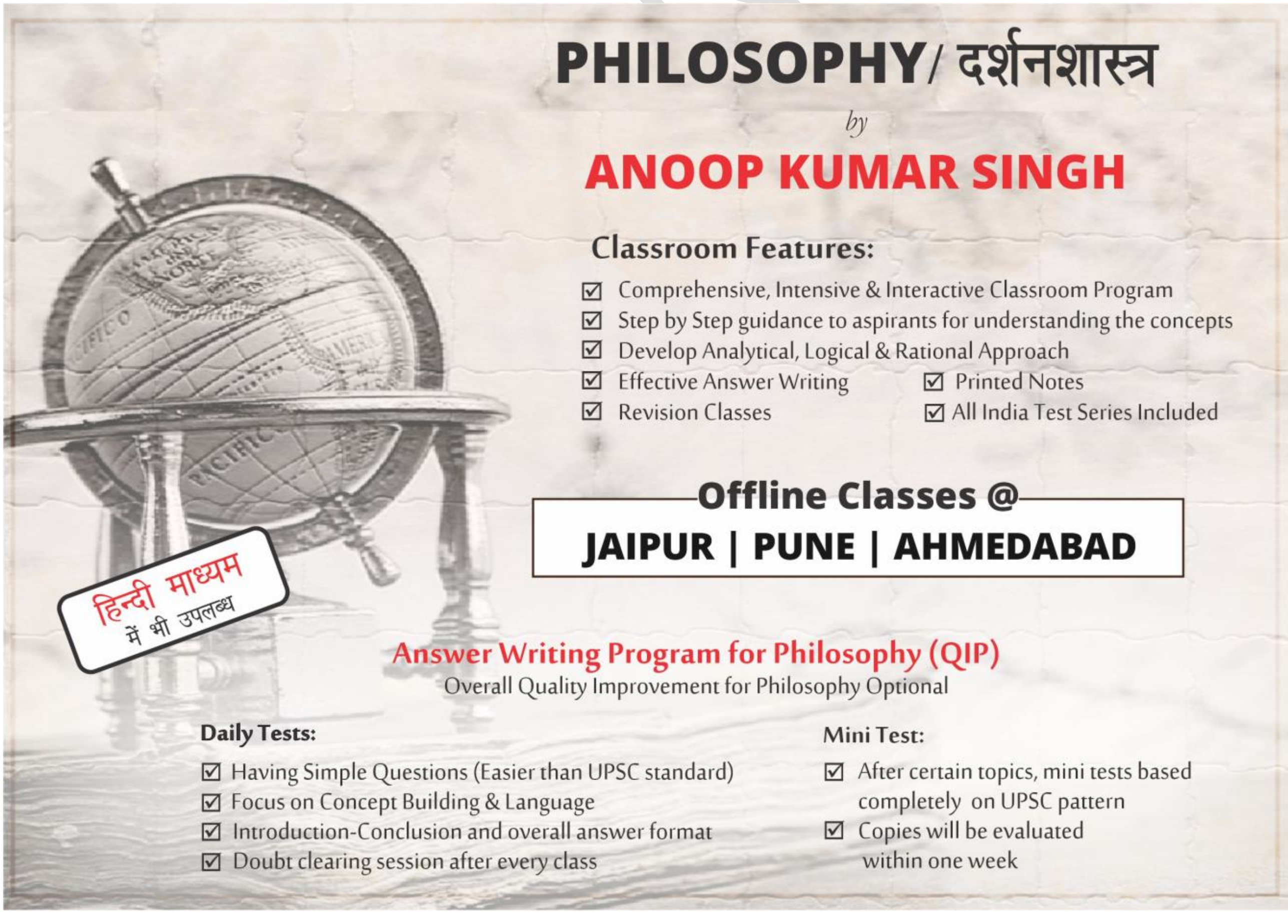

39. प्रधान मंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office: PMO)

39.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

39.1.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) (Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को **प्रगति (PRAGATI) दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **सामान्य जन की शिकायतों का निवारण और साथ ही साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी एवं समीक्षा करना।**	• यह एक बहु-उद्देशीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है, जो विशिष्ट रूप से **तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों** को समूहबद्ध करता है: ○ डिजिटल डेटा मैनेजमेंट; ○ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग; तथा ○ भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी। • यह एक **त्रिस्तरीय प्रणाली** है, जिसमें प्रधान मंत्री, केन्द्र सरकार के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव सम्मिलित हैं। • यह **सहकारी संघवाद** को सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक ही मंच पर लाता है। • यह शिकायतों के लिए **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System: CPGRMS),** परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group: PMG) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटाबेस को सशक्त बनाएगा एवं उन्हें तकनीकी रूप से उन्नत करेगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest Congratulations to all successful candidates
7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019
FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS
2 AIR
JATIN KISHORE
3 AIR
PRATIBHA VERMA
6 AIR
VISHAKHA YADAV
7 AIR
GANESH KUMAR BASKAR
YOU CAN BE NEXT
9 IN TOP 10 SELECTION IN CSE 2018
1 AIR
KANISHAK KATARIA
2 AIR
AKSHAT JAIN
3 AIR
JUNAID AHMAD
4 AIR
SHREYANS KUMAT
5 AIR
SRUSHTI JAYANT DESHMUKH
7 AIR
KARNATI VARUNREDDY
8468022022
WWW.VISIONIAS.IN
DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI